



सत्यमेव जयते



42<sup>वीं</sup>

वार्षिक  
रिपोर्ट

1 अप्रैल, 2020 - 31 मार्च, 2021

भारतीय प्रेस परिषद  
नई दिल्ली



**भारतीय प्रेस परिषद**

**वार्षिक रिपोर्ट**

(1 अप्रैल, 2020 – 31 मार्च, 2021)

**नई दिल्ली**

Printed at : Chandu Press, D-97, Shakarpur, Delhi-110092  
Phone: 011-42448841, 9810519841

## भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद

13वीं सेवावधि

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
<b>भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के सम्पादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))</b>		
श्री चन्द्रमणि रघुवंशी	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और न्यूजपेपर एडीटर्स कॉन्फ्रेंस	संपादक, बिजनौर टाइम्स, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री उत्तम चन्द्र शर्मा	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और न्यूजपेपर एडीटर्स कॉन्फ्रेंस	संपादक, मुजफ्फरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
श्री प्रदीप कुमार जैन	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और न्यूजपेपर एडीटर्स कॉन्फ्रेंस	संपादक, विश्व परिवार, हिंदी दैनिक, रायपुर, छत्तीसगढ़
श्री ओम प्रकाश खेमकरनी	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और न्यूजपेपर एडीटर्स कॉन्फ्रेंस	संपादक, मेहनत, पंजाबी दैनिक, पंजाब
श्री सैय्यद रजा हुसैन रिजवी	हिंदी समाचारपत्र सम्मेलन और न्यूजपेपर एडीटर्स कॉन्फ्रेंस	संपादक, त्रिगुट, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
*रिक्त	-	-
<b>सम्पादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क)}</b>		
श्री अमर देवुलापाल्ली	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, प्रेस और वर्किंग न्यूज कैमरामेंस एसोसिएशन	संवादाता, साक्षी, तेलगु दैनिक, हैदराबाद
श्री बलविंदर सिंह जम्मू	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन और प्रेस एसोसिएशन	मुख्य संवादाता, पंजाबी ट्रिब्यून, पंजाबी दैनिक, चंडीगढ़
श्री एम ए मजिद	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन और वर्किंग न्यूज कैमरामेंस एसोसिएशन	श्रमजीवी पत्रकार, आदाब तेलंगाना, उर्दू दैनिक, हैदराबाद

\* डॉ. बलदेव राज गुप्ता, जिन्हें राजपत्र अधिसूचना दिनांक 30.05.2018 के जरिये सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, ने दिनांक 02.06.2020 को इस्तीफा दे दिया था और इसे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 04.06.2020 को प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(5) के तहत स्वीकार कर लिया गया था।

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री कमल नैन नारंग	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन और वर्किंग न्यूज कैमरामैस एसोसिएशन	फोटो पत्रकार, द हिंदु बिजनस लाईन, अंग्रेजी दैनिक, नई दिल्ली
श्री छायाकांत नायक	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज कैमरामैस एसोसिएशन	संवादाता, द शिलांग टाइम्स, अंग्रेजी दैनिक, शिलांग
श्री जयशंकर गुप्ता	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज कैमरामैस एसोसिएशन	संवादाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री आनन्द प्रकाश राणा	इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, प्रेस एसोसिएशन और वर्किंग न्यूज कैमरामैस एसोसिएशन	विशेष सम्पर्की, हरि भूमि, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
<b>बड़े, मध्यम और लघु समाचारपत्रों के स्वामी और प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}</b>		
श्री राकेश शर्मा	इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी	राष्ट्रदूत, हिंदी दैनिक, जयपुर
श्री राकेश शर्मा	इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी	आज समाज, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री अशोक कुमार नवरत्न	इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी एंड ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन	एनसीआर टूडे, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
*रिक्त	-	-
श्री श्याम सिंह पंवार	इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन और एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया	जनसामना, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री केशव दत्त चंदौला	एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी एंड ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन	राजपूत मर्यादा, हिंदी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश

\* रिट याचिका संख्या 3105/2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2020 के जरिये उक्त रिक्ति भरने के लिए एक आदेश को स्वीकृति दी गयी।

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी
<b>समाचार-एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}</b>		
श्री अशोक उपाध्याय	यूनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यू एन आई)	संपादक, यूनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यू एन आई) नई दिल्ली
<b>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}</b>		
*प्रो0 (सुश्री) सुषमा यादव		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
*श्री शैलेन्द्र दुबे		भारतीय विधिज्ञ परिषद
*श्री माधव कौशिक		साहित्य अकादमी
<b>लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित सांसद {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ड.)}</b>		
*रिक्त		(लोक सभा)
*रिक्त		(लोक सभा)
*रिक्त		(लोक सभा)
*श्री स्वप्न दासगुप्ता, संसद सदस्य		(राज्य सभा)
*श्री राकेश सिन्हा, संसद सदस्य		(राज्य सभा)

**सचिव : अनुपमा भटनागर**

\* सदस्यों, जिन्हें धारा 5 (3) (घ) तथा (ड) के जरिए अधिसूचित किया गया था, का कार्यकाल, 15.03.2021 को समाप्त हो गया।



## विषयसूची

### प्राक्कथन

वर्ष के मुख्य आकर्षण	1
अध्याय I परिषद की भूमिका और कार्य	8
अध्याय II संक्षिप्त विवरण	11
अध्याय III प्रेस की स्थिति	27
अध्याय IV प्रेस द्वारा दर्ज़ मामलों के अंतर्गत न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण	46
अध्याय V प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ मामलों के अंतर्गत न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण	58
अध्याय VI परिषद का वित्त, 2020-21	72

### संलग्नक

क	1 अप्रैल, 2020 – 31 मार्च 2021 तक मामलों का विवरण	98
ख	प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (2020-2021)	99
ग	प्रेस के विरुद्ध दर्ज़ शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची (2020-2021)	109
घ	न्यायनिर्णयन (2020-2021) का आलेख	120
ङ	श्री अशोक कुमार नवरत्न को धारा 5(3) (ख) के तहत सदस्य के रूप में अधिसूचित करते हुए, राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 15.06.2020	121

च	श्री माधव कौशिक को धारा 5(3)(घ) के तहत डा. के. श्रीनिवासराम के स्थान पर सदस्य के रूप में अधिसूचित करते हुए, राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 16.7.2020	122
छ	प्रेस परिषद (व्यक्तियों के संघों की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया) नियम, 2021 को अधिसूचित करते हुए राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 5.2.2021	123
ज	प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की विषयगत सूची (2020-21)	125
झ	न्यायनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची (प्रेस द्वारा दर्ज मामलों में)	126
ञ	न्यायनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची (प्रेस के विरुद्ध दर्ज मामलों में)	128

## प्राक्कथन

भारतीय प्रेस परिषद की वर्ष 2020-21 की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

हम सभी ने महामारी के तनाव को महसूस किया है, फिर भी 2020 की अपार चुनौतियों के बावजूद, परिषद ने अपने अधिदेश को ईमानदारी से पूर्ण करना जारी रखा और ऑफलाइन तथा वर्चुअल मोड में काम किया। यह रिपोर्ट परिषद की जांच समिति की बैठकों और इसकी पूर्ण परिषद की कई बैठकों के परिणामों का सारांश प्रस्तुत करती है। प्रेस परिषद के कामकाज के संबंध में प्रेस जगत और आम जनता के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करते हुए, ये बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की गईं।

पत्रकारों की स्थिति, जो महामारी में और खराब हो गई है, को ध्यान में रखते हुए, परिषद ने उसे ठीक करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कई संस्तुतियां कीं, जिनमें से प्रमुख हैं (i) समूह बीमा योजना को तैयार करना एवं लागू करना (ii) डॉक्टरों और अन्य कोविड योद्धाओं की श्रेणी में उन पत्रकारों को शामिल करना, जो कोविड -19 के कारण मारे गए, और उन्हें उनके समान लाभ प्रदान करना। इसी तरह, महामारी में लॉकडाउन के दौरान कई समाचार पत्रों या इसके संस्करणों को बंद किये जाने के बाद मीडिया घरानों द्वारा बड़ी संख्या में पत्रकारों की छंटनी, वेतन कटौती पर परिषद ने गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके व्यापक अध्ययन के लिए परिषद ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक उप समिति का गठन किया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने अपनी सलाहकार की भूमिका में, मीडिया को, आत्महत्या पर रिपोर्टिंग, कोविड-19 के प्रकोप पर सत्यापित समाचारों के प्रसार, जांचाधीन मामलों की कवरेज संबंधी मानकों का पालन करने और पीड़ितों, गवाहों संदिग्धों और अभियुक्तों का अत्यधिक प्रचार न करने की सलाह दी क्योंकि इससे निजता के अधिकारों का हनन हो सकता है। इसने प्रकाशन घरानों को भारतीय समाचार पत्रों में विदेशी समाचार सामग्री के सत्यापित अंश प्रकाशित करने की सलाह भी दी।

मीडिया के लिए आचार संहिता बनाने के अपने अधिदेश को आगे बढ़ाते हुए, इसने वर्ष के दौरान, न्यायनिर्णीत मामलों के आधार पर विभिन्न मानक तैयार किए और कोविड-19 पर रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए, तथा समाचार कवर करते समय बच्चे की गोपनीयता से संबंधित "यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012" की धारा 26 के प्रावधानों को अंगीकार किया ।

महामारी के मद्देनजर, परिषद ने अपना 54वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, 2020 को वेबिनार के माध्यम से मनाया, जिसमें "कोविड -19 महामारी के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर इसका प्रभाव" विषय पर विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री और माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने अपने विचार साझा किए और महामारी के प्रसार को कम करने में मीडिया के प्रयासों की प्रशंसा की। स्मारिका का विमोचन, राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना इस वर्ष स्थगित कर दिया गया था, हालांकि, पत्रकारिता के आचरण के मानक का अद्यतन संस्करण डिजिटल रूप से जारी किया गया था।

अंत में, मैं, इस अवसर पर, अपने कार्यकाल के दौरान, परिषद के प्रभावी कामकाज के लिए परिषद के सभी सदस्यों की प्रतिबद्धता के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। परिषद की सचिव, डॉ. अनुपमा भटनागर, आई.आई.एस. के साथ काम करके मुझे बेहद खुशी हुई, उनके अनुभव से परिषद को विभिन्न दृष्टिकोणों से लाभ हुआ है। सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल के साथ समय पर लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की भी मैं सराहना करता हूं।

मुझे आशा और विश्वास है कि पाठकों को यह रिपोर्ट, पिछली रिपोर्टों की तरह ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगेगी।

नई दिल्ली  
31-03-2021

न्यायमूर्ति चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद,  
अध्यक्ष,  
भारतीय प्रेस परिषद

## वर्ष के मुख्य आकर्षण

इस वर्ष, कोविड महामारी के कारण, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में “कोविड 19 महामारी और मीडिया पर इसके प्रभाव” के दौरान मीडिया की भूमिका विषय पर विचार-विमर्श के साथ वेबिनार के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। इस अवसर पर, भारत के माननीय राष्ट्रपति, महामहिम श्री रामनाथ कोविंद, भारत के माननीय उप राष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संदेश/ऑडियो-वीडियो के माध्यम से अपने विचार साझा किए और इस विषय पर संबोधन किया।



न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद, माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने महामहिम श्री रामनाथ कोविंद, भारत के माननीय राष्ट्रपति का लिखित संदेश पढ़ा।



माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2020 के अवसर पर ऑडियो वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार साझा किए।



न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद, माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के लिखित संदेश को पढ़ा।



राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2020 के अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस विषय पर ऑडियो-वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार साझा किए।



न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद, माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने वेबिनार को संबोधित किया और इस विषय पर अपने विचार भी साझा किए।



राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2020 के अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए पैनलिस्ट

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद ने जांच समिति की 12 बैठकें आयोजित की। जांच समिति की सभी बैठकें व्यक्तिगत रूप से आयोजित की गई थीं ।



21-22 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में परिषद की बैठक



16 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में जांच समिति की बैठक



17 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में जांच समिति की बैठक



16 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में परिषद की बैठक

परिषद ने 16.01.2021 से 31.01.2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। इस अवधि के दौरान, फाइलों की समीक्षा/छँटाई की गई और कार्यालय का सौंदर्यीकरण भी किया गया।





छात्रों ने 12 मार्च, 2021 को प्रेस परिषद सचिवालय का दौरा किया

## अध्याय - I

### परिषद की भूमिका और कार्य

भारतीय प्रेस परिषद एक अर्ध-न्यायिक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, जिसकी पुनः स्थापना वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत प्रेस की स्वतन्त्रता को संरक्षित करने और भारत में समाचारपत्रों एवं न्यूज़ एजेंसियों के स्तर को सुधारने के दोहरे उद्देश्य के साथ की गई है। इसे पहली बार 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 के तहत समान दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुतियों पर स्थापित किया गया था। हालांकि 1965 के अधिनियम को 1975 में निरस्त कर दिया गया था और आपातकाल के दौरान प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तत्पश्चात, इसी तर्ज पर 1965 के अधिनियम की तरह एक नया अधिनियम बनाया गया और इसके तहत वर्ष 1979 में प्रेस परिषद की पुनः स्थापना की गई।

परिषद एक निगमित निकाय है जिसका उत्तराधिकार निरंतर बना रहता है। इसमें अध्यक्ष और 28 सदस्य शामिल हैं। परिषदी के अनुसार, इसके अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, जिन्हें एक समिति द्वारा नामित किया जाता है जिसमें राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) तथा परिषद के 28 सदस्यों में से ही उनके द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति होता है। अट्टाईस (28) सदस्यों में से तेरह (13) श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें से छह (6) समाचारपत्रों के संपादक होते हैं और शेष सात (7) संपादकों से भिन्न अन्य श्रमजीवी पत्रकार होते हैं। छह (6) सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होते हैं जोकि समाचारपत्रों के स्वामी होते हैं या समाचारपत्रों के प्रबंधन का कार्य करते हैं, दो (2) सदस्यों में से प्रत्येक बड़े, मध्यम व छोटे समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। एक (1) सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होता है जो, कि समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करते हैं। इसके पांच (5) सदस्य होते हैं जो संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तीन (3) लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं और दो (2) राज्य सभा के सभापति द्वारा पाठकों की अभिरुचि/जनमत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किए जाते हैं। इसके तीन (3) सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी द्वारा नामित किया जाता है जो क्रमशः शिक्षा, विधि और साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जैसा कि अधिनियम की धारा 13 में बताया गया है, भारतीय प्रेस परिषद का उद्देश्य प्रेस की स्वतन्त्रता का संरक्षण और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है। यह अधिनियम परिषद को सलाहकार की भूमिका भी प्रदान करता है

जिसमें यह स्व-प्रेरणा से या अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सरकार द्वारा भेजे गए मामलों का अध्ययन कर सकती है और किसी विधेयक, विधान, कानून या ऐसे अन्य मामलों के संबंध में अपनी राय व्यक्त कर सकती है जो प्रेस से संबंधित हों और यह सरकार को या संबंधित व्यक्तियों को अपनी राय व्यक्त कर सकती है। जन-महत्व के मामलों में भी अपने सांविधिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए परिषद, स्व: प्रेरणा से संज्ञान ले सकती है और घटनास्थल की जांच करने के लिए विशेष समिति का गठन कर सकती है।

अधिनियम की धारा 13 के तहत परिभाषित अपने उद्देश्यों में आगे कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो प्रेस परिषद को करने आवश्यक है, उसमें समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों की स्वतन्त्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना है; समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों, पत्रकारों के लिए उच्च व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार आचार संहिता का निर्माण करना; समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से यह सुनिश्चित करना कि वे लोक रुचि के उच्च स्तर को बनाए रखेंगे और उनमें अधिकारों और कर्तव्यों, दोनों की समुचित भावना को बढ़ावा देना; ऐसी किसी घटना पर नज़र रखना जिसमें लोक रुचि और लोक महत्व के समाचारों के प्रचार-प्रसार को रोकने की संभावना हो; समाचार एजेंसियों में या समाचारपत्रों के प्रस्तुतीकरण या प्रकाशन में लगे हुए सभी श्रेणियों के लोगों में समुचित कार्यात्मक संबंध को बढ़ावा देना; और ऐसी किसी घटना जैसे समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के संकेन्द्रण या अन्य पहलुओं, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है, पर विचार करना।

इस निकाय का उद्देश्य इस संकल्पना में निहित है कि एक लोकतान्त्रिक समाज में, प्रेस का भी स्वतंत्र और उत्तरदायी होना ज़रूरी है। अतः यह नैतिक मूल्यों और मानकों के अनुरूप कार्य करती है। इस दिशा में आगे कार्य करते हुए, यह समाचारपत्रों समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए उच्च नैतिक तथा वृत्तिक मानकों के अनुरूप आचार संहिता तैयार करती रही है। इसका प्रयोजन न केवल प्रेस के हित प्रहरी के रूप में कार्य करना है बल्कि पत्रकारिता जगत में एक नई भावना को जगाना है।

परिषद अपने कार्यों का निर्वहन मुख्यतया परिषद को प्राप्त शिकायतों पर न्यायनिर्णयों द्वारा करती है, शिकायतें या तो प्रेस के विरुद्ध पत्रकारिता नीतियों का उल्लंघन करने पर या प्रेस द्वारा उसकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप के बारे में होती हैं। जब परिषद जांच के बाद संतुष्ट होती है कि किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसियों ने पत्रकारिता नीतियों के मानकों या सार्वजनिक रुचि के विरुद्ध कार्य या उनका उल्लंघन किया है या किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई वृत्तिक कदाचार किया है तो परिषद उन्हें चेतावनी दे सकती है, फटकार या भर्त्सना कर सकती है या उनके आचरण

को लेकर असहमति व्यक्त कर सकती है। परिषद को जैसा कि धारा 14 के तहत निर्दिष्ट है, किसी भी प्राधिकरण, जिसमें सरकार भी शामिल है, द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने पर टिप्पणी, जैसी वह उचित समझे, करने का भी अधिकार प्राप्त है। परिषद का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

परिषद, संसद के अधिनियम के तहत गठित निकाय होने के कारण, अपने फंड्स का बड़ा भाग केंद्र सरकार से, संसद द्वारा उचित विनियोजन के बाद, सहायतार्थ अनुदान के रूप में प्राप्त करती है। इसके पास अपने फंड्स होते हैं जो समाचारपत्रों से उनकी ग्रेडेड संरचना के अनुसार शुल्क के रूप में तथा अन्य प्राप्तियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं।

## अध्याय - II

### संक्षिप्त विवरण

#### परिषद की कार्यप्रणाली

प्रेस परिषद विनियम, 1979 (बैठकों और कार्य संचालन की प्रक्रिया) के विनियम 3 के अनुसार किसी एक वर्ष में परिषद की साधारण बैठकें चार से कम नहीं होगी और किन्हीं दो साधारण बैठकों के बीच का अंतराल सामान्यतः चार से अधिक नहीं होगा। तदनुसार, परिषद ने अपने कार्यों के निर्वहन के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पाँच (5) पूर्ण परिषद की बैठकें कीं और प्रेस की स्वतंत्रता तथा उसके मानकों से संबद्ध महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 8(1) के अनुसरण में, परिषद इस अधिनियम के तहत अपने कार्य के निष्पादन के लिए, परिषद को सौंपे गए कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने सदस्यों में से सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के लिए समय-समय पर समितियों का गठन करती है।

अपने कार्य के प्रयोजन के लिए, परिषद पंजीकृत शिकायतों के बारे में जांच करने और तदनुसार अपनी संस्तुतियां देने के लिए जांच समितियों का गठन करती है। परिषद के अध्यक्ष जांच समितियों की अध्यक्षता करते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद द्वारा दो जांच समितियों का गठन किया गया जिसकी संरचना निम्नानुसार है :-

जांच समिति - I	जांच समिति - II
1. श्री स्वप्न दासगुप्ता, सांसद (राज्य सभा)*	1. श्री राकेश सिन्हा, सांसद (राज्य सभा)*
2. प्रो. (सुश्री) सुषमा यादव*	2. श्री जयशंकर गुप्ता
3. श्री राकेश शर्मा (आज समाज)	3. श्री चन्द्रमणि रघुवंशी
4. श्री उत्तम चन्द्र शर्मा	4. श्री ओम प्रकाश खेमकरनी
5. श्री प्रदीप कुमार जैन	5. श्री सैय्यद रज़ा हुसैन रिज़वी
6. श्री अशोक उपाध्याय	6. श्री अमर देवुलापाल्ली
7. श्री आनंद प्रकाश राणा	7. श्री बलविंदर सिंह जम्मू
8. श्री एम.ए. माजिद	8. श्री अशोक कुमार नवरत्न
9. श्री कमल नैन नारांग	9. श्री राकेश शर्मा, राष्ट्रदूत
10. श्री केशव दत्त चंदौला	10. श्री श्याम सिंह पंवार
11. श्री माधव कौशिक*	11. श्री शैलेन्द्र दुबे*
12. श्री छायाकांत नायक	

\*सदस्यों का कार्यकाल 15.03.2021 को समाप्त हो गया।

जांच समितियों ने परिषद द्वारा की गयी स्वतः कार्रवाई और परिषद द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच शुरू कर परिषद के कार्य की बड़ी मात्रा का दायित्व सँभाला। जांच समितियों की कार्यवाही आम जनता के लिए खुली है। मामलों के पक्षकारों को मौखिक या दस्तावेजी प्रासंगिक साक्ष्य, प्रस्तुत करने/देने की आवश्यकता होती है और उन्हें अधिवक्ताओं/प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति होती है। जांच समिति ने संबंधित जांच समाप्त करते समय पक्षकारों द्वारा दिए गए अभिलेखों और मौखिक निवेदनों पर विचार किया और मामलों की जांच के संबंध में अंतिम निर्णय के लिए परिषद को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की। इस वर्ष के दौरान जांच समितियों ने (12) बारह बैठकों में 137 मामलों पर न्यायनिर्णय हेतु परिषद को संस्तुतियां प्रस्तुत की। परिषद ने उक्त समितियों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के बाद मामलों को न्याय-निर्णीत किया।

### **महत्वपूर्ण उप-समितियां, जिन्होंने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्य किया**

1. कोविड-19 महामारी के दौरान मीडिया समूहों द्वारा पत्रकारों की छंटनी की जांच/परीक्षण करने हेतु उप-समिति।
2. मीडिया और सुरक्षा बलों के लिए संघर्ष की स्थिति में रिपोर्टिंग पर दिशा-निर्देश तैयार करने और गतिविधियां, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और जम्मू और कश्मीर में आयोजित करने हेतु उप-समिति।
3. प्रत्यायन नीति के पहलुओं की जांच करने हेतु उप-समिति।
4. प्रिंट मीडिया संबंधी विज्ञापन नीति की जांच करने हेतु उप-समिति।
5. भारतीय समाचार पत्रों में विदेशी समाचार पत्रों के अंश छापने के संबंध में स्पष्टीकरण पर उप-समिति।
6. ऑनलाइन समाचार मंच द्वारा निजता उल्लंघन, मीडिया परीक्षण और अपमानजनक समाचार रिपोर्टिंग पर कानूनी अभ्यावेदन पर उप-समिति।
7. अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर मीडिया परिदृश्य पर उप-समिति।
8. फर्जी खबरों से निपटने की रणनीति और प्रयास पर उप समिति।

### **स्व-प्रेरणा से संज्ञान**

मीडियाकर्मियों के विरुद्ध हिंसा और प्रेस की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के संबंध में परिषद ने इस साल के दौरान निम्नलिखित मामलों में स्व-प्रेरणा से संज्ञान लिया :-

1. राजकोट कलेक्टर कार्यालय को लेकर सकारात्मक मीडिया कवरेज के लिए रिपोर्टरों को कथित रूप से घूस देने के संबंध में।
2. महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोविड-19 को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में समेकित दिशा-निर्देशों को जारी रखते हुए दिनांक 18 अप्रैल 2020 को जारी किये गए अनुशेष के संबंध में।
3. पत्रकार, श्री अर्नब गोस्वामी द्वारा पत्रकारिता का कर्तव्य निभाये जाने पर, उन पर किए गये कथित हमले के संबंध में।
4. उत्तर प्रदेश के उन्नाव के शुक्लागंज में पत्रकार, शुभम त्रिपाठी की हत्या के संबंध में।
5. जम्मू-कश्मीर सरकार के सूचना एवं प्रकाशन संपर्क निदेशालय (डीआईपीआर) को "फर्जी समाचार" के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के अन्य रूपों की सामग्री पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत करने और पत्रकारों तथा मीडिया संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में।
6. मीडिया ब्रेक एवं साप्ताहिक समाचार पत्र/नए पोर्टल के संपादक श्री आशीष अवस्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।
7. विकातन मीडिया समूह, तमिलनाडु द्वारा 170 पत्रकारों की छंटनी के संबंध में।
8. कानपुर सरकारी बालिका आश्रय गृह के बारे में समाचार प्रकाशित करने पर अज्ञात मीडिया संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।
9. मुंबई से प्रकाशित समाचार पत्र हिंदू के ब्यूरो कार्यालय में कार्यरत पत्रकारों की सेवाएं समाप्त करने की धमकी के संबंध में।
10. लॉकडाउन अवधि के दौरान अवैध वन्य जीव शिकार में बढ़ोतरी को कवर करने वाले समाचारों के प्रकाशन के लिए अरुणाचल टाइम्स की संपादक सुश्री तोंगम रीना को प्राप्त धमकियों के संबंध में।
11. इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली द्वारा तबलीगी जमात के जांचाधीन मामले से संबंधित तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक समाचार के प्रकाशन के संबंध में।
12. पंजाब में कोविड-19 की अवधि के दौरान रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संबंध में।

13. उत्तर प्रदेश में कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को कथित रूप से निशाना बनाने के संबंध में ।
14. ओडिशा में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संबंध में ।
15. हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को कथित रूप से निशाना बनाने के संबंध में ।
16. छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की अवधि के दौरान रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को निशाना बनाने के संबंध में।
17. त्रिपुरा यूनिशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के वरिष्ठ पत्रकार / महासचिव, श्री प्रशांत चक्रवर्ती पर हमले के संबंध में।
18. पूर्वोत्तर और झारखंड ब्यूरो में द टेलीग्राफ द्वारा पत्रकार की छंटनी के संबंध में।
19. कोविड लॉकडाउन की अवधि के दौरान एच.टी. मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने अलग-अलग राज्य ब्यूरो में हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकारों, फोटो पत्रकारों और संपादकों की छंटनी के संबंध में।
20. कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान टाइम्स समूह द्वारा अपने अलग-अलग राज्य ब्यूरो में पत्रकारों की छंटनी के संबंध में।
21. कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान गोवा के गोमांटक टाइम्स द्वारा पत्रकारों की छंटनी के संबंध में।
22. कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न ब्यूरो में काम कर रहे रिपोर्टर्स की छंटनी के संबंध में।
23. हिन्दुस्तान, नई दिल्ली द्वारा वर्गीकृत, अश्लील, अशालीन और भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।
24. डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड, कोलकाता के कर्मचारियों को उनके प्रबंधन द्वारा वेतन का भुगतान न करने के आरोप के संबंध में।
25. छत्तीसगढ़ के कांकेर में कांग्रेस विधायक द्वारा पत्रकारों श्री सतीश यादव और श्री कमल शुक्ला पर हमले के संबंध में।

26. कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान सकल मीडिया समूह, पुणे द्वारा संचालित, सकल टाइम्स से जुड़े पत्रकारों की छंटनी के संबंध में।
27. तमिलनाडु के कांचीपुरम में तमिल टीवी न्यूज चैनल के लिए काम करने वाले श्री ज्ञानराज मूसा पर कथित हमले और हत्या के संबंध में।
28. उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पत्रकार, श्री राकेश सिंह की कथित हत्या के संबंध में।
29. मध्य प्रदेश के भोपाल में रिपोर्टर श्री सैयद आदिल वहाब पर हुए हमले और हत्या के संबंध में।
30. पत्रकारों के प्रतिनिधित्व के बिना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्यायन समिति के पुनर्गठन के संबंध में।

परिषद ने पत्रकारिता नीति और सार्वजनिक रुचि के मानकों के उल्लंघन के लिए समाचार पत्रों/ समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के खिलाफ स्वतः संज्ञान भी लिया।

1. हिन्दुस्तान समाचार पत्रों द्वारा समाचारों की आड़ में दिनांक 24.8.2020 के अंक में "उपलब्धियों से अक्ल बना ग्राफिक एरा" शीर्षक के तहत फ्रंट पेज विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।
2. दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।
3. राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली संस्करण द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।
4. 'दैनिक भास्कर', दिल्ली संस्करण द्वारा दिनांक 9.6.2020 को भ्रामक विज्ञापन को समाचार की तरह प्रकाशित करने के संबंध में।
5. राष्ट्रीय सहारा द्वारा वर्गीकृत, अश्लील, अशालीन और भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।
6. हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा वर्गीकृत, अश्लील, अशालीन और भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।
7. दैनिक जागरण द्वारा वर्गीकृत, अश्लील, अशालीन और भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।
8. हिन्दुस्तान, नई दिल्ली द्वारा वर्गीकृत, अश्लील, अशालीन और भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।
9. दिल्ली टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली संस्करण द्वारा वर्गीकृत, अश्लील, अशालीन और भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।

10. नवभारत टाइम्स, दिल्ली संस्करण द्वारा वर्गीकृत, अश्लील, अशालीन और भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।

### **प्रेस प्रकाशनी**

परिषद ने प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 13 के तहत परिभाषित अपने अधिदेश के अनुपालन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान 46 प्रेस प्रकाशनियां जारी की, जोकि फर्जी समाचार, पत्रकार पर हमले/हत्याएं, पत्रकारों की सेवाएं समाप्त करने की धमकियों से संबंधित स्वतः संज्ञान के मामलों और मीडिया को कोविड-19 पर रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारिता नीति का पालन करने की सलाह दिये जाने से संबन्धित थी और केन्द्र/राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त विभिन्न मुद्दों पर प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से प्रेस/पत्रकारों को परामर्शिकायें भी जारी कीं। परिषद द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनियों का विवरण परिषद की गृह पत्रिका, के साथ-साथ परिषद की वेबसाइट 'प्रेस परिषद समीक्षा' [www.presscouncil.nic.in](http://www.presscouncil.nic.in) पर उपलब्ध है।

### **परिषद के समक्ष शिकायत**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल **2605** शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से **426** शिकायतें प्रेस स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए सरकार के प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रेस द्वारा की गई थीं और **2179** शिकायतें पत्रकारिता नीति के उल्लंघन के लिए प्रेस के विरुद्ध थीं। पिछले वर्ष के **437** लंबित मामलों के साथ, परिषद द्वारा निपटान के लिए कुल **2399** मामले थे, जिनका निपटान वर्ष के दौरान न्यायनिर्णय के माध्यम से या, अध्यक्ष महोदय की मध्यस्थता से निपटान के कारण या जांच के लिए पर्याप्त आधारों की कमी के कारण या जारी न रखे जाने पर, वापिस लिए जाने पर या मामलों के न्यायालय में न्यायाधीन होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा संक्षेप में निपटान के माध्यम से किया गया। परिषद के समक्ष, न्यायनिर्णयन के लिए कोई मामला सीधे नहीं रखा गया। कुल मिलाकर, **643** मामलों पर वर्ष के अंत में कार्रवाई चल रही थी। शिकायतों को दर्ज करने और उनके निपटान तथा न्यायनिर्णयन के संबंधित ग्राफ का विस्तृत विवरण (**अनुलग्नक-क**) पर है।

### **परिषद की टिप्पणी**

श्री बसंत कुमार, प्रकाशक, प्रकाश बुलेटिन, नई दिल्ली के आरोप, पर कि भारतीय समाचार पत्र रजिस्ट्रार (आरएनआई) ने उनके समाचार पत्र को पंजीकरण संख्या जारी नहीं की, के मामले में फैसला सुनाते हुए तथा आरएनआई के प्रतिनिधि को सुनने पर, कि उपयुक्त कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण आंकड़ों का रखरखाव नहीं हो पाया, परिषद ने निर्णय लिया कि किसी भी कारण से आंकड़ों का रखरखाव न करने से समाचार पत्रों के गैर-पंजीकरण के कारण

निश्चित रूप से समाचारों का प्रसार प्रभावित होगा और इसलिए, यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से संस्तुति करती है कि वह कानून में अनुमत ऐसे उपचारात्मक कदम उठाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

### **मीडिया परिषद के गठन का प्रस्ताव**

मीडिया परिषद के गठन के मामले पर परिषद द्वारा लंबे समय से विचार किया गया है, परिषद ने इस मामले पर विचार किया और इसकी यह राय थी कि प्रिंट मीडिया के पास, परिषद के रूप में एक हितप्रहरी है और स्पष्ट रूप से, कुछ ऐसा ही समकक्ष, संपूर्ण मीडिया के लिए उचित है, अर्थात्, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी चैनलों के साथ-साथ रेडियो) के अलावा प्रिंट या अन्य रूप में समाचार पत्र, पत्रिकाओं के लिए, ई-समाचार पत्रों के लिए, समाचार-पोर्टल, सोशल मीडिया और समाचार प्रसार के किसी अन्य मंच के लिए और संस्तुति की, कि सरकार एकल कानून बनाए, ताकि, सभी पूर्वोक्त मीडिया को प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अनुरूप शामिल किया जा सके और जब भी सरकार द्वारा इस तरह के कानून का प्रस्ताव दिया जाए, तो उस पर परिषद के विचार प्राप्त किये जा सकें।

### **भारतीय प्रेस परिषद द्वारा तैयार किए गए पत्रकारिता के आचरण के मानकों में “लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण” (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 23 के कुछ भाग को शामिल करने का प्रस्ताव**

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली ने प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के संपादकों को संबोधित, विभिन्न पत्रों के माध्यम से, और उक्त प्रस्ताव की प्रति परिषद को भी पृष्ठांकित करते हुए, मीडिया द्वारा यौन शोषण की घटना की रिपोर्ट करते समय, उक्त अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करने की प्रासंगिकता और आवश्यकता बताई। उक्त मामले को परिषद के समक्ष 21-22.9.2020 को रखा गया था, जिसमें परिषद ने उक्त प्रावधानों को पत्रकारिता आचरण के मानकों में शामिल करना स्वीकार किया। तदनुसार, उक्त मामले को पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2020 के भाग ख के तहत शामिल किया गया है।

### **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी मंत्रालय) से प्राप्त, मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2020 पर मसौदा विधेयक पर टिप्पणी हेतु, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र के संबंध में।**

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ने दिनांक 24.4.2020 के ईमेल के माध्यम से, मीडिया, जिसमें प्रिंट मीडिया भी शामिल है, से संबंधित उक्त विधेयक के खंड 12 (1), (2) और (3) के रूप में प्रस्तावित “डिजिटल मीडिया, इंटरनेट या साइबर स्पेस आदि सहित मीडिया से किसी

भी तरह से संबंधित अपराधों" के संबंध में टिप्पणियां मांगी हैं। इस मामले को 21-22.9.2020 को परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा गया था, जिसमें परिषद ने स्वीकार किया था कि तस्करी (trafficking) को कवर करते समय पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। परिषद ने श्री सी.के. नायक के जवाब को भी अग्रेषित करने का भी संकल्प लिया कि वितरकों/एजेंटों को विधेयक के मसौदे में शामिल नहीं किया जाए।

### **स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन**

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ने दिनांक 25.6.2018 को ईमेल के माध्यम से, संशोधनों, यानि, सदस्यों/सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में ऐसे केंद्रीकृत निकाय के गठन के संबंध में राय मांगी, जिसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के प्रतिनिधि एवं स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के संबंध में महिलाओं से संबन्धित मुद्दों पर अनुभव रखने वाले एक सदस्य होंगे। परिषद ने इस मामले पर विचार किया और 21-22.9.2020 की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

### **प्रिंट मीडिया में वास्तु और राशिफल सलाह/भविष्यवाणी संबंधी सामग्री के प्रकाशन के संबंध में श्री राम दास अठावले से प्राप्त वीआईपी संदर्भ।**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ने ईमेल दिनांक 20.03.2020 के माध्यम से, उक्त संदर्भ पर टिप्पणियां मांगी। इस मामले पर परिषद ने दिनांक 21-22.9.2020 की बैठक में विचार किया और परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता के आचरण के मानक में वास्तु शास्त्र की सामग्री के प्रकाशन के संबंध में कोई विशिष्ट मानक न देने की संस्तुति की, क्योंकि ज्योतिषीय भविष्यवाणी और अंधविश्वास संबंधी "ज्योतिषीय भविष्यवाणी" शीर्षक के तहत अभ्यास के प्रकाशन से दूर रहने के मानक पहले ही तैयार किए जा चुके हैं।

### **चीनी मीडिया तक पहुँच पर प्रतिबंध: आईएनएस" के संबंध में "द हिंदू" दिल्ली में 3 जुलाई, 2020 को प्रकाशित रिपोर्ट के संबंध में टिप्पणियां को प्रस्तुत करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र।**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ने ईमेल दिनांक 7.7.2020 के माध्यम से, उक्त पत्र को अग्रेषित करते हुए "द हिंदू" में प्रकाशित उक्त शीर्षक के तहत, लेख पर टिप्पणी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। उक्त मामले पर परिषद ने दिनांक 21-22.9.2020 की बैठक में विचार किया और भारत के लोकतांत्रिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए, चीनी मीडिया पर प्रतिबंध न लगाने की संस्तुति की।

## **भारतीय समाचार पत्रों में विदेशी समाचार पत्रों के अंश छापने के संबंध में स्पष्टीकरण।**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ने दिनांक 27.6.2018 के पत्र के माध्यम से, भारतीय समाचार पत्रों में, विदेशी समाचार पत्रों की सामग्री को प्रकाशित करते समय भारतीय प्रकाशक द्वारा सामग्री का सत्यापन नहीं करने के संबंध में, अपने प्रेक्षण की सूचना दी और महसूस किया कि ऐसी सामग्री का मुक्त और अनियंत्रित प्रसार वांछनीय नहीं है। इसके अलावा, इसकी यह राय है कि यदि ऐसी सामग्री की अनुमति दी जा रही है, तो इसकी संपादकीय जिम्मेदारी स्वयं भारतीय प्रकाशकों की होनी चाहिए। मंत्रालय ने परिषद से इसके लिए उपयुक्त परामर्शिका जारी करने का अनुरोध किया। उक्त मामले पर परिषद ने, दिनांक 21-22.9.2020 की बैठक में विचार किया, जिसमें उसने संस्तुति की, कि समाचार पत्र, जहां विदेशी अंश प्रकाशित किया जाता है, के रिपोर्टर, प्रकाशक और संपादक, सामग्री के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो।

## **समाचार चैनल और समाचार पत्रों द्वारा बलात्कार पीड़िता को संबोधित करने के लिए "गुड़िया" ज्योति और मुस्कान नाम के उपयोग के संबंध में, श्री के.डी. मिश्रा, अधिवक्ता, पटना, बिहार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त पत्र।**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, अपने पत्र दिनांक 12.3.2020 के माध्यम से, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के सुझाव, कि किसी भी बलात्कार पीड़ित का हवाला, साधारणतया "पीड़ित" या किसी भी भाषा में इसके अनूदित वर्तन के रूप में दिया जा सकता है, के साथ पत्र अग्रेषित करते हुए परिषद से इस संबंध में उपयुक्त निदेश जारी करने का अनुरोध किया।

उक्त मामले को 21-22.9.2020 को हुई बैठक में परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा गया था, जिसमें परिषद ने उक्त सुझावों को स्वीकार कर लिया था। इसे पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2020 में "बाल अधिकार के संरक्षण के लिए दिशानिर्देश" शीर्षक के तहत लिया गया है।

## **COVID-19 महामारी के कारण बकाया लेवी शुल्क माफ करने हेतु प्रस्ताव**

परिषद ने कोविड-19 महामारी के कारण बकाया लेवी शुल्क माफ करने हेतु प्रस्ताव पर विचार किया और सरकार से कोविड-19 के दौरान समाचार पत्र द्वारा लेवी शुल्क के भुगतान को माफ करने/आस्थगित करने का अनुरोध करने का निश्चय किया।

## **केंद्र और राज्य सरकार के साथ पत्रकारों के बीमे के संबंध में परिषद के एक सदस्य से प्राप्त पत्र।**

इस प्रस्ताव को, 21-22.9.2020 को, परिषद के समक्ष विचारार्थ रखा गया था, जिसमें परिषद ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के तहत केंद्र शासित प्रदेशों को, हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई नीति के पैटर्न पर पत्रकारों के लिए एक समूह बीमा योजना तैयार करने और लागू करने की संस्तुति की थी और इसके साथ ही, COVID-19 के कारण मरने वाले पत्रकारों को डॉक्टरों और अन्य की तरह COVID योद्धा की श्रेणी में शामिल किये जाने और उन्हें समान लाभ दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की केंद्र सरकार से संस्तुति की। तदनुसार, परिषद के निर्णय को केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिया गया था।

## **ऑनलाइन समाचार मंच द्वारा गोपनीयता उल्लंघन, मीडिया ट्रायल और अपमानजनक समाचार रिपोर्टिंग पर कानूनी अभ्यावेदन के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र।**

उक्त मामले में, उप-समिति की रिपोर्ट पर, परिषद द्वारा 8.12.2020 को हुई बैठक में विचार किया गया था, जिसमें परिषद ने संस्तुति की थी, कि पत्रकारों, मीडियाकर्मियों और पत्रकारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके समाचार सामग्री प्रकाशित करने के निहितार्थों के बारे में पता होना चाहिए। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन करके, सभी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रेस परिषद के अधिकार क्षेत्र में लाया जा सकता है। सरकार ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एक एडवाइजरी जारी करे, जिसमें उन्हें फर्जी/अपमानजनक खबरों के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जाए। ऐसे सभी पत्रकारों/रिपोर्टर्स का पंजीकरण होना चाहिए, जो वीडियो सामग्री और समाचार लेख पोस्ट करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के इच्छुक हैं और उन्हें उनकी सामग्री के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

## **मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेलों में यात्रा के लिए सुविधाएं प्रदान की गयीं**

परिषद की दिनांक 8.12.2020 की बैठक के मुद्दे पर, जिसमें परिषद ने रेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की दी गई सुविधाओं को तुरंत बहाल करने का अनुरोध करने का निश्चय किया था, चिंता जताई।

## **पत्रकारिता के आचरण के मानक, संस्करण 2020**

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2)(ख) के अनुसार रिपोर्टिंग के मानकों को बनाए रखने और उसमें सुधार करने में प्रिंट मीडिया की सहायता और मार्गदर्शन करने के लिए

एक आचार संहिता का निर्माण करने का दायित्व परिषद पर है। परिषद द्वारा दिए गए निर्णयों और पत्रकारिता अभ्यास से संबंधित अन्य घोषणाओं के आधार पर मानक विकसित किए गए हैं।

"पत्रकारिता के आचरण के मानक" का 2020 संस्करण परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## **राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2020**

इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में वेबिनार के जरिये "कोविड -19 महामारी के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर इसका प्रभाव" विषय पर विचार-विमर्श करते हुए राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आस्थगित कर दिये गये।

इस अवसर पर, महामहिम श्री राम नाथ कोविंद, भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम. वैकैया नायडू, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी और माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस विषय पर संदेश/ऑडियो-वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार साझा किए। न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद, माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने वेबिनार की अध्यक्षता की।

महामहिम, श्री राम नाथ कोविंद, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों से निपटने में मीडिया के प्रयासों की सराहना की क्योंकि इसने लोगों को शिक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तरह मीडिया ने महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद की है। मीडियाकर्मी फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं में शामिल रहे हैं। भारतीय प्रेस परिषद के माध्यम से उन्होंने ऐसे मीडियाकर्मियों की सराहना की।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम. वैकैया नायडू ने जोर देकर कहा कि प्रेस की आजादी पर कोई भी हमला राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक है और मीडिया को सनसनी फैलाने से दूर रहने और विचारों के साथ समाचारों को न जोड़ने के लिए कहा। उन्होंने आगे मीडिया कर्मचारियों की छंटनी पर अपनी चिंता व्यक्त की और स्थिति से निपटने के लिए अभिनव समाधानों का आह्वान किया।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि जब दुनिया कोविड-19 के रूप में एक अभूतपूर्व संकट से लड़ रही है, महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई इसके 130 करोड़ नागरिकों के संयम और संकल्प की ताकत से चल रही है। ऐसी स्थिति में, मीडिया लगातार कोविड-19 महामारी के खिलाफ जागरूकता फैलाकर असाधारण सेवा प्रदान

कर रहा है। डिजिटल तकनीक के साथ, भारतीय मीडिया का प्रयास विश्व स्तर पर मजबूत तैयारी सुनिश्चित करने की दिशा में जीवंत मीडिया परिदृश्य को मजबूती प्रदान करेगा।

माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने विवेचित किया कि प्रेस की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि यह स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ है। उन्होंने आगे कहा कि लोग मांग कर रहे हैं कि भारतीय प्रेस परिषद को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए, जिस पर विचार भी किया जा रहा है।

इस अवसर पर, माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद ने कहा कि कोविड-19 पर रिपोर्टिंग न केवल सामग्री को देखते हुए मीडिया के लिए अभूतपूर्व और कठिन है, बल्कि मीडियाकर्मियों के लिए विशेष रूप से ग्राउंड ज़ीरो से जानकारी जुटाने का काम चुनौतीपूर्ण है। सच्चाई, सटीकता, निष्पक्षता, मानवता, सेवा और जवाबदेही कुछ बुनियादी बातें हैं जो पत्रकारों या किसी भी मीडिया कर्मी को कोविड-19 संबंधी समाचारों को कवर करते समय खुद को याद दिलाते रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने उन सभी पत्रकारों को, जो महामारी पर रिपोर्टिंग करते हुए वायरस के संपर्क में आए हैं, वित्तीय और चिकित्सीय मदद देने के लिए राज्य सरकार से की गयी अपनी अपील का पुनः जिक्र किया।

भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान और पूर्व सदस्यों ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव और इसके पत्रकारिता कर्तव्यों पर प्रभाव विषय पर प्रस्तुतियां दी और उन्होंने महामारी के दौरान पत्रकार को प्रभावित करने वाले वित्तीय और नौकरी की सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चिंता व्यक्त की।

भारतीय प्रतिभागियों के अलावा, बांग्लादेश प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मो. ममताज़उद्दीन अहमद और डब्ल्यूएपीसी के अध्यक्ष डॉ. सुले अकेर ने भाग लिया और कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में मीडिया द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला।

## **राजभाषा**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने अपने आधिकारिक प्रयोग में हिंदी के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया। परिषद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें (त्रैमासिक आधार पर) त्रैमासिक रूप से आयोजित की गईं। परिषद के कर्मचारियों के लाभ के लिए राजभाषा संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

14 सितंबर पूरे भारत में 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह, हिन्दी के प्रयोग पर बल देने के लिए, परिषद के सचिवालय में दिनांक 14.9.2020 से 27.9.2020 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी दिवस का मुख्य समारोह 25 सितंबर, 2020 को मनाया गया। इस अवसर पर, माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद और सचिव, श्रीमती अनुपमा

भटनागर, ने संदेश दिये और परिषद के कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। समारोह के दौरान, स्लोगन-लेखन प्रतियोगिता के साथ-साथ भारतीय प्रेस परिषद के कर्मचारियों को हिंदी नोटिंग, ट्राफ्टिंग और टाइपिंग के माध्यम से कार्यालयी पद्धतियों और प्रक्रियाओं में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

वर्ष के दौरान, प्रेस परिषद की हिंदी वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया गया, परिषद द्वारा जारी विभिन्न प्रेस प्रकाशनियों का हिंदी में अनुवाद किया गया और परिषद की हिंदी वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी) की तर्ज़ पर वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी) के प्रकाशन और तिमाही हिन्दी गृह पत्रिका 'प्रेस परिषद समीक्षा' पत्रकारिता के आचरण के मानक 2020, के प्रकाशन के अलावा, न्यायनिर्णयों, और अधिकथनों को हिंदी में रिकॉर्ड किया गया और उन्हें सार्वजनिक किया गया।

### **पारदर्शिता तंत्र**

- भारतीय प्रेस परिषद की सचिव कार्यालय की मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। परिषद का सतर्कता तंत्र, जिसमें उप सचिव, अवर सचिव (प्रशासन) और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) शामिल हैं, ने सचिव (सीवीओ) और परिषद के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। इसने सचिवालय में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने और लड़ने के लिए नियमित और आकस्मिक जांच की।

27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक परिषद के सचिवालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2020 मनाया गया।

- शिकायत निवारण तंत्र आंतरिक और बाह्य स्तर पर स्थापित है जिसमें शिकायत निदेशक सचिव, पीसीआई, शामिल हैं। ऐसे व्यथित आम लोग, जो अपनी शिकायतों के संबंध में शिकायत निदेशक से मिलना चाहते हैं, कार्यालय में शाम 4:00 से 5:00 बजे के बीच सभी बुधवार को ऐसा कर सकते हैं। स्टाफ से संबंधित शिकायतों को परिषद के स्टाफ शिकायत अधिकारी जोकि अवर सचिव, श्री टी.गऊ खनगिन हैं, द्वारा देखा जाता है।
- परिषद का नागरिक चार्टर, जिसमें संगठन का सभी आवश्यक विवरण दिया गया है, परिषद की शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। नागरिकों/मुक्किलों की संतुष्टि एवं फीडबैक के लिए परिषद द्वारा समय-समय पर आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा।

## सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 156 आवेदन प्राप्त हुए हैं और अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक निपटाए गए हैं।

## 14वीं सेवावधि के लिए भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) में प्रत्येक तीन वर्षों में परिषद के पुनर्गठन का प्रावधान है। भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 29 मई, 2021 को समाप्त हो रहा है।

इसे देखते हुए, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के साथ पठित प्रेस परिषद (व्यक्तियों के संगमों की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया) नियम, 2021 और प्रेस परिषद (सदस्यों के नामांकन के लिए प्रक्रिया) नियम, 1978 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार परिषद के 14वें कार्यकाल के लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। उसी के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (क), (ख) और (ग) में संदर्भित श्रेणियों के पात्र व्यक्ति संगमों/समाचार एजेंसियों से दावों को आमंत्रित करते हुए, 7 मार्च, 2021 को विज्ञापन नोटिस जारी किया गया है।

## सदस्यों का इस्तीफा और नामांकन

- डॉ. बलदेव राज गुप्ता जिन्हें प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 (3) (क) के तहत राजपत्र अधिसूचना दिनांक 30 मई, 2018 के जरिये सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, ने दिनांक 2 जून, 2020 को अपना इस्तीफा दे दिया और इसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार 4 जून, 2020 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

अधिनियम की धारा 6 की उप धारा 6 के अनुसार उक्त रिक्ति को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कई नोटिसों के बावजूद तीनों अधिसूचित संगमों ने पात्र नामांकित व्यक्तियों के नामों का पैल दाखिल नहीं किया था, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 के आदेश द्वारा स्थान को रिक्त रखने का निदेश दिया।

- श्री अशोक कुमार नवरत्न को दिनांक 16 जून, 2020 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 (3) (ख) के तहत उक्त श्रेणी में रिक्त स्थान पर सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया। **(अनुलग्नक-इ)**

- श्री माधव कौशिक, उपाध्यक्ष, साहित्य अकादमी को दिनांक 16 जुलाई, 2020 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 (3) (घ) के तहत डॉ. के. श्रीनिवास राव, सचिव, साहित्य अकादमी, जिनका कार्यकाल 14.03.2020 को समाप्त हुआ था, की जगह सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया। **(अनुलग्नक-च)**

### **प्रेस परिषद (व्यक्तियों के संगमों की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया) नियम, 2021**

भारत सरकार ने 5 फरवरी, 2021 की राजपत्र अधिसूचना के जरिये प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप धारा (4) के साथ पठनीय धारा 25 की उप धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम अर्थात् प्रेस परिषद (व्यक्तियों के संगम की अधिसूचना हेतु प्रक्रिया) नियम, 2021 बनाए।

उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा 4 के तहत परिषद द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले व्यक्तियों के संगमों के पात्रता मानदंडों को परिभाषित करने के लिए और वह प्रक्रिया जिसमें दावों की जांच करने के लिए समिति बनाई जानी है, उक्त नियम बनाए गए हैं। नियम **(अनुलग्नक-छ)** में उपलब्ध हैं।

### **प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड**

प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1867 की धारा 8 (ग) के अधीन भारतीय प्रेस परिषद को, उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा को प्रमाणित न किए जाने या उक्त अधिनियम की धारा 8 (ख) के अधीन बाद में इसे रद्द किए जाने के मजिस्ट्रेट के आदेशों पर अपील अधिकारिता सौंपी गई है। इस बोर्ड में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों में से परिषद द्वारा नामित एक अन्य सदस्य होता है।

दोनों बैच, जिसमें माननीय अध्यक्ष के साथ प्रोफेसर (सुश्री) सुषमा यादव/श्री उत्तम चंद्र शर्मा ने वैकल्पिक सदस्यों के रूप में इस अवधि (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) के दौरान **एक (1)** बैठक की और **तीन (3)** अपीलों पर विचार किया।

इनमें से एक को समाप्त किया गया, एक को अपास्त कर दिया गया और एक को अपीलकर्ता ने वापस ले लिया। अपीलों का विवरण **(अनुलग्नक-ज)** पर है।

### **श्रद्धांजलि**

परिषद ने अपने पूर्व अध्यक्षों, स्वर्गीय श्री के. जयचंद्र रेड्डी (जिन्होंने 8 अगस्त, 2001 से 7 फरवरी, 2005 तक परिषद को अपनी सेवायें प्रदान की) और स्वर्गीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. सावंत

(जिन्होंने 24 जुलाई, 1995 - 7 अगस्त, 1998 तक और 8 अगस्त, 1998 - 7 अगस्त, 2001 तक परिषद को अपनी सेवायें प्रदान की) के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनके कार्यकाल के दौरान परिषद में उनके योगदान को याद किया।

परिषद ने 25.01.1995 से 24.01.1998 और 28.03.1998 से 27.03.2001 तक बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के मालिकों और प्रबंधकों की श्रेणी के तहत नामित अपने पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री विश्वबंधु गुप्ता के निधन पर भी शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक मिनट का मौन धारण किया।

### **इंटरनशिप**

पत्रकारिता वृत्तियों में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने और उन्हें जानकारी देने तथा परिषद के अस्तित्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2) (ख),(ग) और (घ) के तहत प्राप्त अधिदेश के अनुसार 2019 से इंटरनशिप कार्यक्रम आयोजित कर रही है, अर्थात् पत्रकारिता के छात्रों के लिए प्रत्येक सत्र में 30 दिनों की अवधि के लिए एक वर्ष में ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप कार्यक्रम और शीतकालीन इंटरनशिप कार्यक्रम का आयोजन।

समीक्षा अवधि के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण देश में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के मद्देनजर ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप और शीतकालीन इंटरनशिप कार्यक्रमों को रोक दिया गया था।

\*\*\*\*\*

## अध्याय - III

### प्रेस की स्थिति

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बढ़ते वेब न्यूज़ पोर्टल्स और न्यूज़ एप्लिकेशन के आगमन के साथ प्रिंट मीडिया का प्रभाव कम होने पर भी, समाचारपत्रों ने अपने विश्लेषण की गहराई, दृष्टिकोण और विस्तृत सूचना पर ध्यान देने के कारण पाठकों के बीच अपना स्थान बनाए रखा है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रिंट मीडिया द्वारा अधिकृत स्थान पर उसका ही आधिपत्य होगा, भले ही संचरण (Transmission) के तरीके में बदलाव हो।

समाचारपत्रों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में कार्य करना होता है, जिसमें केवल योग्यतम ही बना रह सकता है, इसलिए, सामाजिक जिम्मेदारियों या कॉर्पोरेट मुनाफे में समझौता किए बिना प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने और उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है।

निम्नलिखित उन रिपोर्टों का संग्रह है जिनमें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय प्रेस जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया गया है।

#### **सूचना मंत्रालय ने पत्रकारों के लिए जारी की एडवायज़री**

कई पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के कोरोना से संक्रमित होने के मामले सामने आने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक एडवायज़री जारी की है। इसमें कोविड-19 से जुड़ी खबरों की कवरेज करने वाले पत्रकारों से सावधानियां बरतने की अपील की गई है। इस एडवायज़री में मीडिया संस्थानों के प्रबंधन से भी अपील की गई है कि वह अपने फील्ड और ऑफिस स्टाफ का ध्यान रखें।

(दैनिक जागरण, 23 अप्रैल 2020, नई दिल्ली)

#### **1 घंटे से अधिक समय तक अखबार पढ़ने वालों की संख्या में भारी उछाल: सर्वेक्षण**

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अगर एक चीज का लोग अधिक उपभोग कर रहे हैं, तो वह है समाचार पत्र। इस असाधारण समय में, चूंकि विश्वसनीय, सत्यापित जानकारी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, लोगों ने अपने समाचार पत्रों के साथ अधिक समय बिताने का विकल्प चुना है, ऐसा एक सर्वेक्षण में पाया गया है।

मार्केट रिसर्च फर्म एवांस फील्ड एंड ब्रांड सॉल्यूशंस के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि औसतन, वे एक घंटे तक अखबार पढ़ कर, अब हर दिन अपने अखबार के साथ 22 मिनट अधिक बिता रहे हैं। लॉकडाउन से पहले के दिनों में, एक अखबार पर बिताया गया औसत समय 38 मिनट था।

सर्वेक्षण में शामिल लगभग 40% लोगों ने कहा कि वे अब एक घंटे से अधिक समय तक पेपर पढ़ते हैं; पहले, केवल 16%, इतना समय बिताते थे। लॉकडाउन के दौरान, यहां तक कि, 30 मिनट से अधिक समय तक पेपर पढ़ने वालों की संख्या 42% से बढ़कर 72% हो गई है। इसके अलावा 42% लोग ऐसे हैं, जो पेपर एक बार में पढ़ने के बजाय कई बार पढ़ रहे हैं, और इस प्रकार प्रत्येक सेक्शन को अधिक समय दे रहे हैं।

जाहिर है, सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, इस चुनौतीपूर्ण समय में पाठकों और समाचार पत्रों के बीच संबंध गहरा और व्यापक हुआ है। सर्वेक्षण में कहा गया है, "समाचार पत्र वास्तव में एक आवश्यक सेवा है और सूचना का सबसे विश्वसनीय स्रोत बने हुए हैं।"

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 24 अप्रैल 2020, नई दिल्ली)

## **मीडिया को लेकर कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र ने दी चेतावनी**

संयुक्त राष्ट्र अधिकार प्रमुख ने महामारी से लड़ने में स्वतंत्र मीडिया के महत्व पर जोर देते हुए, कोरोनावायरस संकट के बहाने पत्रकारों को गिरफ्तार करने और सूचनाओं को प्रतिबंधित करने वाले देशों की आलोचना की।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, मिशेल बैचलेट ने इस बात पर अफसोस व्यक्त किया कि कुछ देश महामारी का इस्तेमाल सूचना को प्रतिबंधित करने और आलोचना को दबाने के लिए बहाने के रूप में कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "यह दूत को दोष देने का समय नहीं है"। बैचलेट ने कहा, "एक स्वतंत्र मीडिया हमेशा आवश्यक है, लेकिन हम इस पर कभी इतना निर्भर नहीं हुए हैं, जितना इस महामारी के दौरान हुए हैं, जब इतने सारे लोग अलग-थलग पड़ जाते हैं और अपने स्वास्थ्य और आजीविका के लिए डर रहे हैं"।

"विश्वसनीय, सटीक रिपोर्टिंग हम सभी के लिए एक जीवन रेखा है"। उन्होंने पिछले साल के अंत में चीन में प्रकोप शुरू होने के बाद से 130 से अधिक कथित मीडिया उल्लंघनों के बारे में अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थान के आंकड़ों का संकेत देते हुए कहा।

इनमें सूचना तक पहुंच पर लगाए गए प्रतिबंधों के 50 से अधिक कथित उदाहरण, सेंसरशिप के साथ-साथ, गलत सूचना का अत्यधिक विनियमन शामिल हैं।

इसके अलावा, दुनिया भर में देशों की महामारी प्रतिक्रियाओं की आलोचना करने या मामलों और मौतों की आधिकारिक संख्या की सटीकता पर सवाल उठाने के लिए लगभग 40 पत्रकारों को कथित तौर पर गिरफ्तार या आरोपित किया गया है।

बयान में कहा गया है, "मीडिया उल्लंघनों और गिरफ्तारियों की वास्तविक संख्या शायद कहीं अधिक है। "कोविड -19 प्रतिक्रिया की आलोचनात्मक कवरेज प्रकाशित करने के बाद पत्रकारों के गायब होने की रिपोर्टों का भी संयुक्त राष्ट्र अधिकार कार्यालय ने संकेत दिया, जबकि कई समाचार आउटलेट, अधिकारियों द्वारा, उनकी रिपोर्टिंग को लेकर बंद कर दिए गए हैं।

बैचलेट ने अपने बयान में लोगों को ऐसे निर्णय लेने जो उनके जीवन को प्रभावित करता है, में भाग लेने की अनुमति देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया | उन्होंने कहा, "पत्रकारों को धमकाने के बजाय, राज्यों को महामारी और इसके परिणामों के बारे में स्वस्थ बहस को प्रोत्साहित करना चाहिए,"।

(मेल टुडे, 25 अप्रैल 2020, नई दिल्ली)

### **फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा, सरकार करेगी कड़े कानूनी उपाय**

सूचना प्रसारण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने गलत उद्देश्य से फैलायी जा रही फर्जी खबरों को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है और कहा है कि सरकार इस संबंध में कड़े कानूनी उपाय करने पर विचार कर रही है।

श्री जावड़ेकर ने शनिवार को यहां नारद जयंती के अवसर पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) के एक वेबिनार में संगठन द्वारा फेक न्यूज़ पर तैयार की गई एक रिपोर्ट को जारी करते हुए ये विचार व्यक्त किये। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ अभियान में सरकार की सफलता को नकारने के लिए एक खास वर्ग द्वारा फर्जी खबरें फैलायी जा रही हैं। इस प्रकार की खबरें लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हैं। इनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए फेक न्यूज के बारे में जो रिपोर्ट तैयार हुई है, वह बेहद सराहनीय है। मंत्रालय इसके सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा।

उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय (पी आई बी) ने भी फैक्ट चेक यानी तथ्य परकता की जांच करने को लेकर एक तंत्र विकसित किया है। इसकी मदद से फर्जी और गलत खबरों की पहचान कर सच्चाई को सोशल मीडिया पर उजागर किया जा रहा है।

(राष्ट्रीय सहारा, 11 मई 2020, नई दिल्ली)

## **मीडिया कोविड-19 के कारण सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित क्षेत्रों में से एक: PHDCCI रिपोर्ट**

मीडिया, विज्ञापन राजस्व में भारी गिरावट के साथ कोविड-19 महामारी के कारण सबसे प्रतिकूल प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया ।

यह रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपी गई, जिसे अध्यक्ष डॉ. डी के अग्रवाल, श्री संजय अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री मुकेश गुप्ता, अध्यक्ष-मीडिया और मनोरंजन समिति, PHDCCI द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण मीडिया सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है ।

"प्रिंट मीडिया के परिचालन में भारी गिरावट आई है और इसे विज्ञापन राजस्व में काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ा ।

"इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी विज्ञापन राजस्व में भारी नुकसान हुआ, लॉकडाउन के कारण आउटडोर मीडिया के सभी आर्डर रद्द हो गये सड़कों पर यातायात के कोई साधन न होने के कारण और इवेंट बिजनेस का कोई आकर्षण नहीं रहा क्योंकि इस अवधि में कोई कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं थी ।" पी एच डी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिपोर्ट शीर्षक 'आउटलुक ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन दी कोविड सिनेरियो' में कहा ।

PHDCCI के बयान में कहा गया है कि कोविड-19 ने अवसर पैदा किए हैं और चैंबर ने की गई संस्तुतियों के आधार पर तत्काल सुधार के उपाय करने का मंत्री से आग्रह किया ।

रिपोर्ट से पता चलता है कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर कोविड-19 के प्रमुख प्रभावों में से एक अस्थिरता और सभी मीडिया क्षेत्रों में विज्ञापन राजस्व में गिरावट है ।

PHDCCI ने कहा कि इस विज्ञापन राजस्व में गिरावट की प्रवृत्ति से उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा होने की संभावना है क्योंकि विज्ञापन मीडिया के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है ।

"हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह संबंधित वित्तीय वर्ष में वार्षिक विज्ञापन बजट का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक सचेत प्रयास करे । गुप्ता ने कहा कि इससे राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार द्वारा किए गए कई प्रभावी और कुशल सुधारों और पहलों का प्रभावी ढंग से प्रचार करने से सरकार को इसका उचित श्रेय प्राप्त करने में मदद मिलेगी और साथ ही इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि मीडिया राजस्व की प्राप्ति के साथ इस कठिन समय से गुजर जाए।

अग्रवाल ने कहा, ' हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह अन्य सभी मंत्रालयों, डीएवीपी, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों को पूरे मीडिया उद्योग के सभी बकाया भुगतानों, जो काफी बड़ी राशि है। का निपटान करने के लिए निदेशित करे |

(द संडे स्टेट्समैन, 24 मई 2020, नई दिल्ली)

### **'पत्रकारों को राहत देने संबंधी याचिका पर करें विचार'**

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निदेश दिया कि वे कोविड-19 के कारण एक पत्रकार की मौत के मामले में मुआवजे के लिए याचिका पर कानून के अनुसार विचार करें। इसने कहा कि महामारी के दौरान पत्रकारों और मीडियाकर्मियों की भूमिका को न तो कम करके आंका जा सकता है और न ही कम महत्व दिया जा सकता है।

"... अदालत ने कहा, पुलिस [पुलिस कर्मियों] डॉक्टर, नर्स, सरकारी कर्मों और अन्य, जो अनिवार्य ड्यूटी कर रहे हैं, की तरह ही पत्रकार और अन्य मीडियाकर्मों भी निरंतर कार्यरत हैं ताकि दुनिया भर से महामारी के प्रभाव और अन्य जानकारी के बारे में नागरिकों को सही ढंग से अवगत कराया जा सके और उसका प्रचार-प्रसार किया जा सके।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति श्री सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने बेंगलुरु के रहने वाले श्री जैकब जॉर्ज द्वारा दायर की गई जनहित याचिका का निपटान करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई राहत के समान ही कोविड-19 से मरने वाले एक पत्रकार के परिवार को मुआवजे में 50 लाख रुपये दिये जाने के लिए अभिवेदन दिया था।

पीठ ने कहा कि पत्रकारों को हॉटस्पॉट्स और कन्टेनमेंट ज़ोन्स से जानकारी एकत्र करने के लिए अपने स्वास्थ्य और जीवन को जोखिम में डालना पड़ता है ताकि इस जानकारी को जनता तक पहुंचाया जा सके।

(द हिंदू, 02 जून, 2020, नई दिल्ली)

### **मीडिया को महामारी में कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है**

महामारी से जंग से पहले भी, मीडिया उद्योग "कठिन, विघटनकारी समय" का सामना कर रहा है। मार्च के बाद से लॉकडाउन ने दांव पर लगे मीडिया के अस्तित्व की गंभीरता को ही बढ़ाया है।

अजीबों गरीब इस गर्मी की आर्थिक उथल-पुथल में, मीडिया के राजस्व में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन वेतन भुगतान से लेकर बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के रखरखाव तक,

कार्यालय के किराए का भुगतान करने से लेकर अखबारी कागज खरीदने तक का खर्च वैसे ही बना हुआ है। मीडिया पिछले तीन महीनों में रोजगार की उथल-पुथल के बीच छपा। सभी आवश्यक सेवाओं में से एक के रूप में सही रूप से स्वीकार किए जाने पर भी, मीडिया को, तालाबंदी के गंभीर तनाव को कम करने के लिए सरकारी राहत पैकेजों में चित्रित नहीं किया गया है।

कम से कम, केंद्र और राज्य सरकारें नौकरशाही लालफीताशाही में कटीती कर सकती हैं और प्रकाशनों के लिए लंबित विज्ञापन बकाया राशि को तत्काल जारी कर सकती हैं। समाचार विक्रेताओं और कार्यालय सफाईकर्मियों सहित कमजोर वेतनभोगी, मीडिया उद्योग पर ऐसी आजीविका के लिए निर्भर लाखों लोगों में से हैं, जिसका सबसे अच्छा समय भी वित्तीय असुरक्षा से भरा है।

सरकारी राहत उपायों और जिम्मेदार कॉर्पोरेट घरानों को, इस कठिन कोविड-19 समय के दौरान, विश्वसनीय मीडिया संगठनों का समर्थन करने की बेहद जरूरत है-विशेष रूप से ऐसे मीडिया संस्थान, जिन्होंने दशकों तक साहसपूर्वक, देश की सेवा की, जैसे कि 1975 में स्वतंत्रता के लिए खतरे के रूप में सिद्ध हुए आपातकाल के दौरान।

अभूतपूर्व आर्थिक उथल-पुथल को, लंबे समय तक सेवा देने वाले मीडिया संस्थानों पर, काबू पाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि विश्वसनीय पत्रकारिता लोकतंत्र, विकास और स्वतंत्रता का एक मुख्य स्तंभ है। एक ईमानदार आलोचक, व्यक्तियों और राष्ट्रों के जीवन में एक सच्चा मित्र होता है।

मार्च के बाद से महामारी के वैश्विक कहर से पहले ही विज्ञापन खर्च में गिरावट के साथ मीडिया की चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। "इस साल दुनिया भर में विज्ञापन निवेश में 8.1 फीसदी (49.6 अरब डॉलर) की गिरावट तय है।", विश्व विज्ञापन अनुसंधान केंद्र (डब्ल्यूएआरसी) ने 96 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए बताया।

(द स्टेट्समैन, 10 जुलाई 2020, नई दिल्ली)

## **प्रिंट मीडिया की मदद के लिए सरकार की नई विज्ञापन नीति**

1 अगस्त से शुरू होने वाली नई प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति में सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि वे हर वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) के साथ विज्ञापन के लिए निर्धारित अपने कम से कम 80% फंड्स को पहले से रखें।

बीओसी भारत सरकार के क्लाइंट मंत्रालयों या विभागों और संगठनों की ओर से प्रिंट,

इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर, सोशल मीडिया और वेबसाइटों के माध्यम से पेड आउटरीच अभियानों के लिए नोडल संगठन है। इस कदम से विभिन्न मंत्रालयों की ओर से मीडिया संगठनों द्वारा किए गए विज्ञापन सामग्री के लिए उन्हें तेजी से भुगतान की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

नए मानदंडों में स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के लिए समाचार पत्रों के 80% विज्ञापन स्थान पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि शेष 20% अंग्रेजी अखबारों के लिए अलग रखा जाएगा।

दिशा-निर्देशों में अन्य भाषाओं के साथ-साथ बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी और मैथिली जैसी कम प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है और इन भाषाओं में समाचार पत्रों के लिए पैल मानदंडों में ढील दी गई है। सूत्रों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को आगे बढ़ाना है।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 29 जुलाई 2020 नई दिल्ली)

### **केंद्र ने भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए किया न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका के कोड का अध्ययन**

'सबसे अधिक बिकने वाले', 'सबसे लोकप्रिय' और 'सबसे प्रभावी' जैसे दावे करने वाले विज्ञापनदाताओं को जल्द ही अपने दावों को, खासकर स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के मामलों में, साबित करना होगा। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, 'क्या करें और क्या न करें' की एक विज्ञापन संहिता जारी करेगा, जिससे उसे भ्रामक विज्ञापनों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

सूत्रों से पता चला है कि मंत्रालय, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे कई देशों की सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन संहिताओं पर गौर कर रहा है। "हितधारकों के परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर चर्चा पत्र का मसौदा अपलोड किया जाएगा। उपभोक्ताओं के लाभ के लिए और साथ ही भ्रामक श्रेणी में आने वाले विज्ञापनों की शीघ्र पहचान करने में मदद करने के लिए एक संहिता की आवश्यकता है, अन्यथा भ्रामक विज्ञापनों के बारे में शिकायतों का अंबर लग जाएगा", एक अधिकारी ने कहा।

वर्तमान में, विज्ञापन उद्योग के एक स्व-नियामक स्वैच्छिक संगठन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की विज्ञापन स्व-नियमन हेतु संहिता है, जो बाध्यकारी नहीं है। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने का शासनादेश देने वाले, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को केंद्र द्वारा अधिसूचित करने के बाद सरकार द्वारा संहिता की जरूरत, अनिवार्य हो गई है। "उनके प्रभावी अनुपालन के लिए प्रस्तावित को विनियम के तहत लाने की आवश्यकता है। साधारण दिशानिर्देशों का वांछित प्रभाव नहीं होगा", सूत्र ने बताया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में विनिर्दिष्ट है कि विज्ञापनदाताओं को शामिल करने वाली कंपनियों की विज्ञापनों में सामग्री और उसके दावों का उन्हें पूरी तरह से खुलासा करना चाहिए और उन्हें उचित परिश्रम करने की आवश्यकता है। जिन देशों के पास मजबूत उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है, वे निर्दिष्ट करते हैं कि इस तरह की संहिताओं का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर विज्ञापन जिम्मेदार, वैध, शालीन और सच्चा हो।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 24 अगस्त 2020 नई दिल्ली)

### **मीडिया को पैनल की कार्यवाही का खुलासा न करें, श्री वेंकैया नायडू ने सदस्यों से कहा**

लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिड़ला ने स्थायी समितियों के अध्यक्षों से कहा कि वे किसी भी ऐसे मामले को न उठाएं जो न्यायाधीन है या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है और साथ ही कार्यवाही की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, राज्यसभा के सभापति, श्री एम वेंकैया ने सदन पैनलों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर समितियों के सदस्यों से यह कहने के बारे में ज़ोर दिया कि वे समितियों की कार्यवाही के बारे में कोई 'जानकारी' मीडिया को न दें।

श्री नायडू ने अपने पत्र में कहा कि संसदीय समितियां अपनी स्थापना से ही सराहनीय कार्य कर रही हैं और उनके द्वारा विचार एवं रिपोर्ट किए गए विधेयकों के संबंध में इन समितियों की कई सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जो संसद के दोनों सदनों में विधायी प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर संभव नहीं होता।

उन्होंने लिखा, "हालांकि, पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि मीडिया द्वारा की गयी रिपोर्टिंग में, समिति के विचाराधीन या जांचाधीन विधेयकों या विषयगत मामलों से संबंध कार्यवाही को मीडिया द्वारा उद्धृत करते हुए पाया गया है।

"जैसा कि आप जानते हैं, समिति की बैठकों की कार्यवाही गोपनीय होती है और समिति के किसी सदस्य या इसकी कार्यवाही तक पहुंच रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मीडिया को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसकी कार्यवाही के बारे में किसी भी जानकारी को संप्रेषित करने की अनुमति नहीं है, जिसमें, रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किए जाने से पहले, अंतिम या अनंतिम रूप से रिपोर्ट का कोई हिस्सा या समिति द्वारा निकाला गया कोई निष्कर्ष शामिल है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन के समान है"।

इसे देखते हुए, श्री नायडू ने लिखा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी समिति से संबंधित सांसदों और कार्यवाही में भाग लेने वालों पर ज़ोर दें कि वे गोपनीयता से संबंधित मौजूदा

प्रावधानों/निदेशों का कड़ाई से पालन करें और जब तक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक, समय से पहले, मीडिया को कोई भी जानकारी न दें।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 27 अगस्त 2020 नई दिल्ली)

### **साथ-साथ जांच न करें, पीसीआई ने मीडिया आउटलेट्स को कहा**

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, कई मीडिया संगठनों द्वारा कवर किए जाने के तरीके पर, नाराजगी व्यक्त की और उन्हें मानदंडों का पालन करने की सलाह दी।

अपने एक बयान में, पीसीआई ने कहा कि उसने कष्टपूर्वक गौर किया कि "एक फिल्म अभिनेता की कथित आत्महत्या की कई मीडिया आउटलेट्स द्वारा, कवरेज करते समय पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन किया गया है और इसलिए वह मीडिया को भारतीय प्रेस परिषद द्वारा बनाए गए मानकों का पालन करने की सलाह देती है।"

परिषद ने कहा, कि मीडिया को इस घटना को इस तरीके से नहीं बताना चाहिए जिससे आम जनता, दोषी ठहराए गए व्यक्ति की मिलीभगत में विश्वास करने के लिए प्रेरित हो।

किए गए अपराध पर आधिकारिक एजेंसियों की जांच प्रक्रिया के बारे में, गपशप के आधार पर, जानकारी प्रकाशित करना वांछनीय नहीं है। यह उचित नहीं है कि अपराध से संबंधित मुद्दों की दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्रबल रिपोर्ट की जाए और तथ्यात्मक आधार का पता लगाए बिना सबूतों पर टिप्पणी की जाए। इस तरह की रिपोर्टिंग से निष्पक्ष जांच और परीक्षण पर अनुचित दबाव पड़ता है, "पीसीआई ने कहा।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 29 अगस्त 2020, नई दिल्ली)

### **भारतीय मीडिया को भी वैश्विक होने की जरूरत : श्री नरेन्द्र मोदी**

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की उपस्थिति मजबूत हुई है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचारपत्र समूह 'पत्रिका' की ओर से निर्मित पत्रिका गेट' का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया द्वारा सरकार की आलोचना स्वाभाविक है और इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है।

उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया की सराहना करते हुए इसे लोगों की 'अभूतपूर्व सेवा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत के स्थानीय उत्पाद आज ग्लोबल हो रहे हैं। भारत की आवाज भी और ज्यादा ग्लोबल हो रही है। दुनिया भारत को और ज्यादा गौर

से सुनती है। हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति है। ऐसे में भारत के मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला गैस योजना और जल जीवन मिशन जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और कोरोना के खिलाफ जंग में मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए श्री मोदी ने विवेचना और आलोचना को स्वाभाविक बनाया।

उन्होंने कहा, "सरकार की योजनाओं में जमीनी स्तर पर जो कमियां हैं, उनको बताना और उनकी आलोचना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया के दौर में यह और भी ज्यादा स्वाभाविक हो गया है। लेकिन आलोचना से सीखना भी हम सबके लिए उतना ही स्वाभाविक और आवश्यक है। इसलिए आज हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए 'वोकल' संकल्प को एक बड़े अभियान की शकल देने और उसे व्यापक करने की जरूरत पर बल दिया।

इस कार्यक्रम में जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत और राज्यपाल, श्री कलराज मिश्र भी शामिल हुए।

(जनसत्ता, 9 सितम्बर 2020, नई दिल्ली)

### **जिम्मेदार बने मीडिया**

अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे प्रखर प्रयोग मीडिया के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन आज मीडिया की प्रवृत्ति बदल गई है। अधिकांश न्यूज चैनल टीवी पर अनावश्यक और चटपटी खबरों को तवज्जो दे रहे हैं तथा सत्तारूढ़ दल की चापलूसी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं मीडिया ट्रायल भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है जहां किसी आरोपी का अपराध सिद्ध होने से पहले ही मीडिया द्वारा दोषी करार दे दिया जाता है जिससे समाज में उस व्यक्ति विशेष के प्रति नफरत का भाव पैदा हो जाता है। एक सजग और स्वतंत्र मीडिया ही सच्चे लोकतंत्र की निशानी है। इसलिए मीडिया को अपनी शक्ति और जिम्मेदारी को समझना चाहिए।

(राष्ट्रीय सहारा, 18 सितम्बर 2020, नई दिल्ली)

### **टीवी के लिए नई आचार संहिता पर विचार कर रही सरकार: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि सरकार टेलीविजन के लिए एक नई आचार संहिता पर विचार कर रही है और ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने पर विचार कर रही है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर "कोविड-19 महामारी के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर इसके प्रभाव" पर भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा आयोजित वेबिनार में बोलते हुए मंत्री

महोदय ने टीवी चैनलों के लिए एक नियामक निकाय न होने के मुद्दे पर बात की और कहा कि उनके लिए आचार संहिता लाने पर निर्णय लिया जा सकता है।

भारतीय प्रेस परिषद एक स्व-नियामक निकाय है, जिसमें विभिन्न मीडिया घरानों के साथ-साथ संसद के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद को अधिक शक्ति देने पर चर्चा चल रही है।

"लेकिन टीवी चैनलों के लिए पीसीआई जैसी कोई स्व-नियामक संस्था नहीं है। हमें सभी टीवी चैनलों के लिए आचार संहिता बनाने के लिए सुझाव मिल रहे हैं लेकिन हमें अभी इस पर फैसला लेना है, मंत्री ने आगे कहा कि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है लेकिन प्रेस को जिम्मेदार पत्रकारिता करनी चाहिए।

श्री जावड़ेकर ने आगे कहा कि टीवी की तरह, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्मों के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है और सरकार को इसकी सामग्री को विनियमित करने के बारे में सुझाव मिल रहे हैं।

ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अन्य को हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया था।

ओटीटी प्लेटफॉर्मों, जिनके पास बहुत अच्छी सामग्री के साथ-साथ बहुत खराब सामग्री भी है, के लिए न तो भारतीय प्रेस परिषद और न ही कोई अन्य निकाय है। इसलिए, इसके बारे में कुछ किए जाने की जरूरत है, उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि चर्चा चल रही है और हमें बहुत से लोगों से सुझाव मिल रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की आधारशिला है और स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है, यहां तक कि उन्होंने समाचार संगठनों से सनसनी फैलाने से बचने के लिए कहा। "प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल है। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन कोई भी स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। इसलिए, स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए और प्रेस द्वारा कोई सनसनी नहीं फैलानी चाहिए, मंत्री ने वीडियो संदेश में कहा।

(द पायनियर, 17 नवंबर 2020 नई दिल्ली)

### **स्वतंत्र प्रेस-लोकतंत्र का मूल**

एक स्वतंत्र प्रेस को लोकतंत्र का मूल बताते हुए राष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी सहित शीर्ष नेताओं ने महामारी के दौरान अग्रिम योद्धा के रूप में काम करने के लिए मीडियाकर्मियों की सराहना की।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर अपने संदेशों में नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई भी हमला राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है और इसका सभी को विरोध करना चाहिए।

जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान योगदान के लिए मीडिया की सराहना की, वहीं उपराष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री, श्री अमित शाह तथा श्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया और इस पर किसी भी हमले की निंदा की।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा आयोजित वेबिनार के दौरान पढ़े गए अपने लिखित संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि मीडियाकर्मी अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं में शामिल रहे हैं, जिन्होंने लोगों को शिक्षित करने में और महामारी के प्रभाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि इस साल के राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह की थीम, 'कोविड-19 के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर इसका प्रभाव' दुनिया और देश के सामने मौजूद सबसे गंभीर संकट से संबंधित है।

उपराष्ट्रपति, श्री नायडू ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई भी हमला राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है और इसका सभी को विरोध करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत में प्रेस हमेशा लोकतंत्र के आधार की रक्षा करने और उसे मजबूत करने के लिए अग्रणी रहा है।

उपराष्ट्रपति ने कहा, ' एक मजबूत, स्वतंत्र और जीवंत मीडिया लोकतंत्र को मजबूत करने और विधि के संवैधानिक शासन को मजबूत करने में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की तरह काफी महत्वपूर्ण है।

पत्रकारिता को एक पवित्र मिशन बताते हुए, उन्होंने लोगों को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेस की सराहना की।

साथ ही, श्री नायडू ने मीडिया को अपनी ओर से रिपोर्टिंग में निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और सटीक रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, "सनसनी फैलाने से बचना चाहिए और समाचारों को विचारों के साथ मिलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। साथ ही, हमारी रिपोर्टिंग में विकास संबंधी खबरों के लिए ज्यादा जगह होनी चाहिए।"

उपराष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारों के फ्रंट-लाइन योद्धाओं में तब्दील होने और महामारी से जुड़े गंभीर जोखिमों से बेपरवाह होकर सभी

घटनाओं की नॉनस्टॉप कवरेज़ सुनिश्चित करने के लिए उनकी भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पत्रकार, कैमरामैन और अन्य लोग, जो समाचार और सूचना के प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं, की मैं तहे दिल से सराहना करता हूँ।

(द स्टेट्समैन, 17 नवंबर 2020, नई दिल्ली)

### **प्रिंट मीडिया पर बढ़ा भरोसा**

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों ने विज्ञापनों के मामले में त्योहारी सीजन में मजबूत वापसी की है। इसकी प्रमुख वजह प्रिंट मीडिया पर लगातार बढ़ता विश्वास है। मीडिया इनसाइट और कंसल्टिंग फर्म ओरमैक्स मीडिया की हालिया रिपोर्ट में प्रिंट मीडिया को सबसे ज्यादा भरोसेमंद बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदी में दैनिक भास्कर ने बीते महीने में 70 से 140 पेज के संस्करण तक निकाले हैं, जो उनकी वापसी का संकेत देते हैं। इसके अलावा विज्ञापनदाताओं का प्रिंट मीडिया पर बढ़ा विश्वास दर्शाता है कि वह इलेक्ट्रॉनिक या टीवी मीडिया से ज्यादा प्रिंट पर भरोसा करते हैं। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर आरएस सोढ़ी कहते हैं, हमने लॉकडाउन में विज्ञापन देने कम कर दिए थे, लेकिन अब कोविड के पहले वाली स्थिति में वापस आ चुके हैं।' दैनिक भास्कर ने भी बंपर अखबार निकाले हैं। बीते दिनों में समूह ने शिमला में 144 पन्नों का, बीकानेर में 130 पन्नों का तो इंदौर में 128 पन्नों का अखबार निकाला है। टाइम्स समूह की एकजीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि त्योहारों में बंपर संस्करणों से अच्छी शुरुआत हुई, इससे विज्ञापनदाताओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और सरकुलेशन बढ़ा है।

(दैनिक भास्कर, 21 नवम्बर 2020, नई दिल्ली)

### **'आजादी जिम्मेदारी के साथ मिलती है'**

भारतीय जन संचार संस्थान (आइआइएमसी) का 2020-21 शैक्षिक सत्र सोमवार को शुरू हुआ। सत्र का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री प्रकाश जावडेकर ने पत्रकारिता के छात्रों को सलाह दी कि वे गैर-जरूरी सनसनी आधारित पत्रकारिता के जाल में फंसने के बजाय, स्वस्थ पत्रकारिता के गुर सीखें और समाज में जो कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसे भी समाचार मानकर लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से शिक्षा में हो रहे व्यापक बदलाव का स्वागत होना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए।

श्री जावडेकर ने कहा कि समाज में अच्छी खबरें खूब होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कम दिखाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आयाम है, इसे संभालकर रखना है। लेकिन यह आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है।

(दैनिक जागरण, 24 नवम्बर 2020, नई दिल्ली)

## **अखबार की पीडीएफ कॉपी वाट्सएप ग्रुप में परिचालित करना गैर कानूनी**

ग्रुप एडमिन होगा जिम्मेदार, कानूनी कार्रवाई के साथ ही जुर्माना वसूल सकते हैं अखबार लॉकडाउन के दौर में अखबार एक ओर वितरण से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर उनके ई-पेपर की कॉपी और डिजिटल पाइरेसी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इससे समाचार पत्रों को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) ने आगाह किया है कि अखबारों के ई-पेपर से पेज डाउनलोड कर उनकी पीडीएफ फाइल वाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में प्रसारित करना गैर कानूनी है। ई-पेपर या उसके अंश कॉपी करके सोशल मीडिया पर अवैध रूप से प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अखबार कड़ी कानूनी और भारी जुर्माने की कार्रवाई कर सकते हैं। किसी ग्रुप में इस तरह से अखबार की ई-कॉपी अवैध रूप से सर्कुलेट करने के लिए उस वाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन जिम्मेदार माने जाएंगे। आईएनएस की सलाह पर समाचार पत्र समूह ऐसी तकनीक का भी प्रयोग करेंगे, जिससे कि अखबार की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले व्यक्ति का पता चल सकेगा। हर सप्ताह एक निर्धारित संख्या से ज्यादा पीडीएफ डाउनलोड करने वाले यूजर्स को ब्लॉक भी किया जा सकता है।"

(दैनिक भास्कर, 3 दिसम्बर 2020, नई दिल्ली)

## **नॉवल कोरोनावाइरस (एन.सी.ओ.वी.) के कारण मरने वाले पत्रकारों को 'कोविड योद्धा' मानें: पीसीआई ने कहा केंद्र से**

भारतीय प्रेस परिषद ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह कोविड-19 के कारण मारे गए पत्रकारों को डॉक्टरों और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरह 'कोविड योद्धाओं' की श्रेणी में शामिल करे और उन्हें उनके समान लाभ प्रदान करे।

केंद्र और सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने हरियाणा सरकार द्वारा पहले से बनाई गई योजनाओं के अनुरूप, पत्रकारों के लिए समूह बीमा योजना तैयार करने और उसे लागू करने की बात भी कही है।

सर्वसम्मत संकल्प में भारतीय प्रेस परिषद ने कहा, परिषद सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार से संस्तुति करने का संकल्प करती है कि वे हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुरूप, पत्रकारों के लिए समूह बीमा योजना तैयार करे और उसे लागू करे।

प्रस्ताव प्रेस एसोसिएशन द्वारा कुछ अन्य पत्रकार संगठनों के साथ पेश किया गया था।

भारतीय प्रेस परिषद ने कहा, "परिषद केंद्र सरकार से यह भी संस्तुति करती है कि वह कोविड के कारण मारे गए पत्रकारों को डॉक्टरों और अन्य लोगों की तरह कोविड योद्धाओं की श्रेणी में सम्मिलित करे और उन्हें समान लाभ प्रदान करे।"

प्रस्ताव के अनुरूप, पीसीआई ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है।

(द स्टेट्समैन, 4 दिसंबर 2020 नई दिल्ली)

### **भारत विरोधी ताकतों से निपटने में मीडिया की अहम भूमिका**

रक्षा राज्य मंत्री, श्री श्रीपद नायक का कहना है कि भारत विरोधी ताकतों से निपटने में मीडिया की अहम भूमिका है। इसलिए मीडियाकर्मियों सहित हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि भारत विरोधी ताकतें हमारे देश के खिलाफ मीडिया का दुरुपयोग ना कर पाएं।

आईआईएमसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर श्री श्रीपद नायक ने कहा कि आज जब फेक न्यूज़ और हिट न्यूज़ का चलन बढ़ रहा है, तब मीडिया साक्षरता की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। न्यू मीडिया के इस दौर में सिर्फ संचारकों के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए मीडिया साक्षरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज जब लगभग हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है, तब मीडिया के दुरुपयोग की संभावना कई गुना बढ़ गई है और इसे केवल मीडिया की साक्षरता के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है।

रक्षा राज्यमंत्री के अनुसार मीडिया साक्षरता से हमें उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी, जिसे आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। हमें यह सीखना होगा कि देश और देशवासियों की बेहतरी के लिए मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस अवसर पर आई आई एम सी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है।

कोरोना के इस दौर में एक शब्द अत्यंत प्रचलित हुआ है और उसके अनेक परिणाम और दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं। ये शब्द है- 'इन्फोडेमिक'। इस शब्द का तात्पर्य अतिशय सूचना या आम बोलचाल की भाषा में सूचनाओं के विस्फोट से है। उन्होंने कहा कि जब इन अतिशय सूचनाओं में से यह चुनना मुश्किल हो जाए कि किस सूचना पर विश्वास करें और किस पर नहीं, तो ऐसी स्थिति एक विमर्श को जन्म देती है और इस विमर्श का नाम है मीडिया एवं सूचना साक्षरता।

(राष्ट्रीय सहारा, 11 दिसम्बर 2020, नई दिल्ली)

### **प्रकाशकों ने की प्रिंट मीडिया के लिए राहत की मांग।**

इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (आईएनएस) ने केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण से अखबारी आयात पर सीमा शुल्क को हटाकर और उद्योग-जगत के लिए प्रोत्साहन-पैकेज लाकर,

मीडिया को कोविड से उत्पन्न हुए संकट से उबरने में मदद की मांग की, जिसमें 50% अधिक दरों पर प्रकाशनों के लिए सरकारी विज्ञापन जारी करना शामिल है।

वित्त मंत्री को लिखे पत्र में आईएनएस ने कहा कि, उद्योग-जगत विज्ञापन और परिचालन राजस्व, दोनों में ही काफी गिरावट आने के कारण, संकट से जूझ रहा है।

इसमें कहा गया है कि "वितरण लागत में कटौती करने के लिए, ज्यादातर ने ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार पत्र भेजना बंद कर दिया है, जहां 50 से कम प्रतियां (बिकी) हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को वास्तविक समाचारों से वंचित किया जा रहा है और उन्हें सोशल मीडिया में व्यापक रूप से परिचालित फर्जी समाचारों पर निर्भर करने के लिए धकेल दिया जाता है, साथ ही साथ, पिछले तीन महीनों में अखबारी कागज़ की छपाई की कीमतें 20% बढ़ गई हैं।

10-15% की एक और वृद्धि अगले महीने विचाराधीन है। सलाहकार, केपीएमजी ने अनुमान लगाया है कि कोविड से जुड़े संकुचन से प्रभावित होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2021 में, प्रिंट मीडिया का राजस्व पिछले वित्त वर्ष की तुलना में, 38% कम होगा।

मलयाला मनोरमा कंपनी के कार्यकारी संपादक श्री जयंत मैमन मैथ्यू ने मिंट को बताया "प्रिंट मीडिया उद्योग के लिए आयातित अखबारी कागज़ पर सीमा शुल्क हटाने की जरूरत है, इससे लागत का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।"

आईएनएस नोट में आगे यह भी कहा गया है कि सरकार को (विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से) विज्ञापनों के लिए भुगतान की जाने वाली दरों को 50% तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 18 जनवरी 2021, नई दिल्ली)

### **मीडिया ट्रायल से न्याय में देरी: कोर्ट**

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीडिया प्रतिष्ठानों से कहा कि वे आत्महत्या के मामलों में खबरें दिखाते वक्त संयम बरतें क्योंकि 'मीडिया ट्रायल के कारण न्याय देने में हस्तक्षेप और अवरोध उत्पन्न होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आत्महत्या के मामलों में खबर दिखाने को लेकर मीडिया घरानों के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति श्री जी एस कुलकर्णी की बेंच ने कहा कि अभिनेता श्री सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मीडिया में दिखाई गई कुछ खबरें 'मानहानिकारक' थीं। अदालत ने कहा कि कोई भी खबर पत्रकारिता के मानकों और नैतिकता संबंधी नियमों के अनुरूप ही होनी चाहिए अन्यथा मीडिया घरानों को मानहानि संबंधी कार्रवाई का सामना करना होगा।

(नवभारत टाइम्स, 19 जनवरी 2021, नई दिल्ली)

## **विदेशी सामग्री उचित सत्यापन के बाद प्रिंट करें: भारतीय प्रेस परिषद की मीडिया को सलाह**

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने मीडिया घरानों को भारतीय समाचार पत्रों में विदेशी अंक 'उचित सत्यापन' करके प्रिंट करने के लिए परामर्शिका जारी की, और यह कि सामग्री को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशन जिम्मेदार है।

पीसीआई एक स्वायत्त, सांविधिक, अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसे, 1966 में, प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण और समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों तथा पत्रकारों के लिए आचार संहिता तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था।

परामर्शिका में, भारतीय प्रेस परिषद ने कहा: "भारतीय प्रेस परिषद ने विदेशी सामग्री प्रकाशित करने में, भारतीय अखबारों की जिम्मेदारी के बारे में सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त संदर्भों पर विचार किया है। परिषद का मानना है कि विदेशी सामग्री का अनियमित परिचालन वांछनीय नहीं है। इसलिए, यह मीडिया को भारतीय समाचार पत्रों में विदेशी अंक को उचित सत्यापन के साथ प्रकाशित करने की सलाह देता है, क्योंकि ऐसे समाचार पत्र के रिपोर्टर, प्रकाशक और संपादक प्रकाशित सामग्री के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त हो।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 26 जनवरी 2021, नई दिल्ली)

## **नए नियम स्व-नियमन के लिए रास्ता बनाते हैं: सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव, श्री अमित खरे ने कहा कि देश पहली बार सेंसरशिप से स्व-नियमन की ओर बढ़ रहा था, यहां तक कि आलोचकों ने सरकार पर नए ऑनलाइन मीडिया दिशा-निर्देशों के साथ "सत्तावादी" होने का आरोप लगाया है।

श्री खरे ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, "कोई सत्तावादी प्रक्रिया नहीं होगी"। "नियमन प्रणाली अदालतों के प्रति जवाबदेह है। सत्ता के किसी भी दुरुपयोग की जांच की जा सकती है"।

ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, सोशल मीडिया बिचौलियों जैसे फेसबुक और ट्विटर तथा डिजिटल न्यूज मीडिया को कवर करने वाले नए नियमों को सरकार ने अधिसूचित किया। दिशा-निर्देशों में शीर्ष पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकृत कर्मियों के साथ त्रिस्तरीय स्व-नियमन प्रणाली को अधिदेश दिया गया है। कर्मियों नियमों का अनुपालन न किए जाने की जांच कर सकता है और यहां तक कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत टेक-डाउन आदेश भी जारी कर सकता है, जो अभी तक केवल सोशल मीडिया बिचौलियों और सरकारी एजेंसियों पर लागू है।

उन्होंने कहा कि नियम नीति में आमूल-चूल बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा, "अभी तक थिएटर में जाने वाली किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेशन कमिटी से मंजूरी लेनी होती है, लेकिन इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। "सरकार ने फैसला उन पर छोड़ दिया है। "वे तय कर सकते हैं कि किस लेबल का उपयोग करना है। विचार यह है कि दर्शक को पता होना चाहिए कि वे क्या देखेंगे"।

श्री खरे ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे ओटीटी प्लेटफॉर्मों ने मनोरंजन का लोकतंत्रीकरण किया है। "इन नियमों पर डेढ़ साल से अधिक समय तक बहस हुई। उन्होंने कहा, हमने एक वेब पोर्टल, जहां शिकायतें दायर की जा सकती हैं, ना स्थापित करने का भी एक सचेत निर्णय लिया है, क्योंकि हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि लोगों को यह ना लगे कि सरकार अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रही है"। "लोग सीधे प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकते हैं और अगर शिकायत का समाधान उनके मानकों के अनुसार नहीं किया जाता है, तो इसे मंत्रालय तक आगे बढ़ाया जा सकता है"।

उन्होंने कहा कि इससे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा भी होती है क्योंकि यह नागरिक नियमन का विकल्प है और किसी को एफआईआर और अदालती मामलों से निपटने की आवश्यकता नहीं है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे अमेज़ॉन प्राइम, ऐसी सामग्री प्रसारित करने कि वजह से, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा, "जिसने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचायी", आलोचना की चपेट में आ गए हैं, जिसमें कई अदालती मामले दर्ज किए गए हैं। खरे ने कहा, "यह एक वैकल्पिक उपाय प्रदान करता है जिसका लाभ उसके अदालत में चुनौती देने से पहले उठा लेना चाहिए।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 1 मार्च 2021, नई दिल्ली)

**जांच को निष्पक्ष रखने के लिए मीडिया लीक्स (रहस्योद्घाटन) को नियंत्रित करने की जरूरत : हाई कोर्ट ने पुलिस को लताड़ा।**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी, आसिफ इकबाल तन्हा के खुलासा बयान के मीडिया में रहस्योद्घाटन के कारण का पता लगाने के लिए, दिल्ली पुलिस को उनकी आधी-अधूरी सतर्कता जांच के लिए लताड़ते हुए, कहा कि आरोपियों और जांच एजेंसी के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित करने एवं परीक्षण की शुद्धता के लिए मीडिया पर नियंत्रण की जरूरत है।

जस्टिस सुश्री मुक्ता गुप्ता ने तन्हा की पथभ्रष्ट (एरेंट) पुलिस कर्मियों के खिलाफ़, याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह जांच एक छोटे से चोरी के मामले में की गई जांच से भी बदतर थी।

पुलिस के लिए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में विशेष लोक अभियोजक, एडवोकेट अमित महाजन ने अदालत से कहा कि रहस्योद्घाटन 'अवांछनीय' था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब भी किसी भी मीडिया घराने के खिलाफ कार्रवाई होती है , तो वे इसके खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर देते हैं।

इस पर कोर्ट ने कहा, “हाँ, यह अवांछनीय है, लेकिन आरोपी, जांच एजेंसी के साथ निष्पक्षता और परीक्षण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इसे नियंत्रित करने की जरूरत है”।

“आपको पथभ्रष्ट (एरेंट) व्यक्ति को ढूंढना होगा । आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते “, अदालत ने कहा।

जस्टिस गुप्ता ने विजिलेंस के विशेष पुलिस आयुक्त को अदालत में अगली सुनवाई की तारीख, 5 मार्च को उपस्थित रहने के लिए भी कहा है।

अपनी याचिका में, तन्हा ने कहा कि वह विभिन्न प्रकाशनों की रेपोर्टिंग से व्यथित हैं, जिसमें उन्होंने दिल्ली दंगे करवाने की बात कबूल की है और उन्होने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस की प्रभावी हिरासत में कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया । तन्हा ने कहा कि इस जानकारी का जाहिर तौर पर कोई महत्व नहीं है और आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस कर्मियों ने, दुर्भावना के साथ, उनके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए मीडिया को बयान लीक किए ।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा सूचना रहस्योद्घाटन के आरोप साबित हो गए थे और उसे सिर्फ यह पता लगाना होगा कि इसे किसने लीक किया। कोर्ट ने चेताया कि अगर पुलिस ऐसा करने में नाकाम रही तो कठोर आदेश पारित किए जाएंगे।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 2 मार्च 2021, नई दिल्ली)

## अध्याय - IV

### प्रेस द्वारा दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण


प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13, में भारतीय प्रेस परिषद का मूल उद्देश्य निहित है। उक्त अधिनियम की इस धारा में परिषद को न केवल पत्रकारिता-नीति के उच्च मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के लिए, बल्कि प्रेस के मुक्त कामकाज में बाधा डालने वाली किसी भी घटना की समीक्षा करने का अधिदेश दिया गया है। इस प्रकार, परिषद, प्रेस के कामकाज के परिप्रेक्ष्य में, किसी भी प्राधिकारी, जिसमें सरकार भी शामिल है, के आचरण के संदर्भ में, अपने निर्णयों या रिपोर्टों में से किसी में भी जैसा वह ठीक समझे, वैसी टिप्पणियां करती है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, परिषद प्राधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर विचार करती है और उन पर फैसला सुनाती है। इस अध्याय में विस्तार से दिये गये न्यायनिर्णयों में, परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसके द्वारा की गयी टिप्पणियों को शामिल किया गया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद को प्रिंट मीडिया की मुक्त कार्यप्रणाली को कम करने के प्रयासों के आरोप में सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों के विरुद्ध 426 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष के 96 मामलों पर विचार करना लंबित था। 522 मामले जिन पर परिषद का ध्यानाकर्षण आवश्यक था, उनमें से न्याय-निर्णयन के द्वारा 57 मामले समाप्त कर दिये गये, जबकि 249 मामले जांच के लिए पर्याप्त आधार न होने, परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने या न्यायाधीन होने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिये गये। शेष 216 मामलों पर समीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के समय कार्रवाई चल रही थी।

इस अध्याय के अंतर्गत शिकायतों पर न्याय-निर्णयों का आलेखों द्वारा विश्लेषण किया गया है। परिषद के वार्षिक लेखे इसके साथ संलग्न है।


## शिकायतकर्ताओं की श्रेणियाँ

● क.	अंग्रेजी प्रेस	07.0 %
● ख.	भारतीय भाषायी प्रेस	40.4 %
● ग.	पत्रकार संगठन / समाचार एजेंसी	14.0 %
● घ.	स्वप्रेरणा से कार्रवाई	38.6 %



## प्रतिवादियों की श्रेणियाँ


● क.	सूचना विभाग	03.5%
● ख.	संस्थान / निजी कंपनियाँ / समाचार पत्र प्रबंधन	01.8%
● ग.	पुलिस / सरकारी प्राधिकरण	89.5%
● घ.	गैर सरकारी व्यक्ति	03.5%
● ड.	सार्वजनिक व्यक्ति	01.7%



# शिकायतकर्ता प्रकाशनों का राज्यवार विवरण

## संक्षिप्तियों का विवरण

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 57



**संक्षिप्तियों का विवरण**  
न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 57

क.	आंध्र प्रदेश	1
ख.	बिहार	2
ग.	दिल्ली	25
घ.	हरियाणा	1
ङ.	हिमाचल प्रदेश	1
च.	जम्मू और कश्मीर	2
छ.	केरल	1
ज.	मध्य प्रदेश	3
झ.	महाराष्ट्र	3
ञ.	ओड़िशा	1
ट.	राजस्थान	1
ठ.	तेलंगाना	1
ड.	त्रिपुरा	1
ढ.	उत्तर प्रदेश	12
ण.	उत्तराखंड	2

---

## समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

---

लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के सदस्यों को अक्सर अपने वृत्तिक कर्तव्यों का निर्वाह करते समय, प्राधिकारियों के साथ-साथ उग्रवादी संगठनों और असामाजिक तत्वों से, अपनी निडर रिपोर्टिंग और उनके कामकाज की वैध आलोचना करने पर, आतंकवादी और असामाजिक तत्वों के दुष्कृत्यों को उजागर करने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ईमानदारी से अपने वृत्तिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, पत्रकारों के साथ कभी-कभी मारपीट की जाती है, उन्हें झूठे मामले में फंसाया जाता है, उनकी प्रेस/घर पर छापेमारी की जाती है; उनका अपहरण और चरम मामले में उनकी हत्या भी कर दी जाती है।


इस वर्ष में परिषद ने ऐसे कुल 15 मामलों का न्याय-निर्णयन किया। इनमें से, 1 मामले में दोष सिद्ध हुआ जबकि 7 गुण-दोष के आधार पर खारिज किये गये। 3 अन्य मामलों में, संबद्ध प्रतिवादियों द्वारा पर्याप्त सुधार करने अथवा सुधार करने का आश्वासन दिये जाने पर परिषद ने जांच बंद कर दी। मामलों के न्यायाधीन हो जाने या परिषद द्वारा मामले में अपेक्षित कार्रवाई करने की आवश्यकता न होने के कारण शेष 4 शिकायतों को समाप्त कर दिया गया।

दिया गया आलेख इस स्थिति को और स्पष्ट करता है।

## समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 15

क. अनुमोदित	1
ख. अस्वीकृत	7
ग. आश्वासन / निपटान / संशोधन / पुनः जाँच	3
घ. जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	4



---

## प्रेस को सुविधायें

---

प्रेस का अत्यधिक योगदान है और समाचार के निष्पक्ष प्रचार-प्रसार के लिए माध्यम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करने और वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन में सुविधा प्रदान करने के लिए, प्राधिकारियों द्वारा प्रेस को कुछ सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। प्रमुख सुविधाएं मान्यता और विज्ञापन हैं। जहां मान्यता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस को सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने में मदद करती है, वहीं एक तरफ विज्ञापन देना समाचार पत्रों के लिए वित्त का ठोस स्रोत बन जाता है और दूसरी ओर यह प्राधिकरण को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में मदद करता है।

प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन सुविधाओं को नीतियों और नियमों के तहत प्रेस तक पहुंचाएं। हालाँकि, यदि समाचार पत्र में लेखन प्राधिकारियों के विचारों के अनुरूप नहीं होता है, तो वह कभी-कभी मनमाने ढंग से प्रेस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालते हुए दिखाई देते हैं।


इस उप-शीर्ष के अंतर्गत दिये गये 18 न्याय-निर्णयों में से 5 शिकायतों का समर्थन किया गया तथा 8 मामलों में संबद्ध प्राधिकारियों ने शिकायतकर्ता पक्षों की शिकायतों का निवारण किया। 5 न्यायनिर्णयों को, जारी न रखे जाने या परिषद द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित न होने या मामले के न्यायाधीन हो जाने पर खारिज किया गया।

दिया गया आलेख इस स्थिति को स्पष्ट करता है।

## प्रेस को सुविधायें

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 18

क. अनुमोदित	5
ख. अस्वीकृत	0
ग. आश्वासन / निपटान / संशोधन / पुनः जाँच	8
घ. जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	5



---

## स्व-प्रेरणा से संज्ञान

---

अध्यक्ष महोदय, भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 13 के तहत अधिनियम की धारा 14(1) या धारा 13(2) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले या इससे संबद्ध मामले में स्व-प्रेरणा से नोटिस जारी कर सकते हैं या मामले के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। तत्पश्चात् विनियम 3 के अंतर्गत शिकायत दर्ज किये जाने की तरह प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 5 से आगे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।


इस वित्तीय वर्ष के दौरान **22** मामलों में स्वतः संज्ञान लिया गया। इस शीर्ष के तहत, **12** मामलों में कार्यवाही बंद कर दी गयी, जबकि **4** मामलों में संबद्ध प्राधिकारियों ने पत्रकार बिरादरी के संदर्भ में परिषद की चिंता को दूर किया। **6** न्यायनिर्णयों में परिषद द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित न होने या मामले के न्यायाधीन हो जाने के कारण कार्यवाही बंद कर दी गयी।

दिया गया आलेख इस स्थिति को स्पष्ट करता है।

## स्व-प्रेरणा से संज्ञान

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 22

क. अनुमोदित	0
ख. कार्रवाई बंद	12
ग. आश्वासन / निपटान / संशोधन / पुनः जाँच	4
घ. जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	6



---

## प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

---

अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। प्रेस अन्य तीन अर्थात् कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ देश की महान परिसंपत्ति है। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को व्यक्तिगत मामलों पर और सभी मुद्दों और समस्याओं पर पर्याप्त रूप से और निष्पक्ष रूप से शिक्षित करना ताकि वे स्वतंत्र रूप से और बिना किसी स्रोत के हस्तक्षेप के अपनी राय बनाने में सक्षम हों।

कभी-कभी सरकार द्वारा लगाए गए अनुचित प्रतिबंधों से प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधात्मक कानून द्वारा खतरा होता है। इसी तरह, व्यापार संघ, राजनीतिक दल, सामाजिक धार्मिक संगठन और अन्य दबाव समूह भी प्रेस पर उनके स्वतंत्र विचारों को न देने के लिए दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। प्रेस आंतरिक खिचाव और दबाव के भी अधीन है। कई मामलों में, समाचार पत्रों के मालिक अपने संपादक को वश में कर लेते हैं और सामग्री को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं।


समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने ऐसे 2 मामलों पर निर्णय दिया। दोनों मामलों को इस संस्तुति के साथ निपटाया गया कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मामले की योग्यता की नए सिरे से जांच की जाए।

दिया गया आलेख स्थिति को स्पष्ट करता है।

## प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 2

क. अनुमोदित	0
ख. अस्वीकृत	0
ग. आश्वासन / निपटान / संशोधन / पुनः जाँच	0
घ. जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	2



## अध्याय - V

### प्रेस के विरुद्ध दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण


भारतीय प्रेस परिषद का प्राथमिक उद्देश्य प्रेस के मानकों में गिरावट की नियमित जांच करना और पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांतों में वृद्धि और रखरखाव को प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार, परिषद ने प्रेस और पत्रकारों का मार्गदर्शन करने के लिए वर्षों से निर्णयों और अन्य घोषणाओं के आधार पर मानक निर्धारित किए हैं, जो कि पत्रकारों द्वारा उचित विवेक और अनुकूलन के साथ अपने वृत्तिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने स्वयं के आचरण को विनियमित करने के लिए लागू किये जाने अपेक्षित हैं।

अतः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद को प्रेस के विरुद्ध 2179 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के 341 मामले लंबित थे। अतः परिषद को कुल मिलाकर 2520 शिकायतों पर विचार करना था जो, कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रेस के विरुद्ध दर्ज की गयी थीं। इनमें से, 80 मामलों का न्यायनिर्णयों के ज़रिये निपटान किया गया, 2013 मामले दोनों पक्षों की संतुष्टि से निपटाये जाने या कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार की कमी या शिकायतों को जारी न रखने आदि के कारण शिकायतों को खारिज किये जाने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त कर दिये गये। अतः समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के अंत में इस श्रेणी में 427 मामले लंबित थे।

निर्णीत मामलों का एक आलेख प्रस्तुत है


## शिकायतकर्ताओं की श्रेणियाँ

● क.	सरकारी प्राधिकरण/ सरकारी अधिकारी	17.5%
● ख.	संस्थान/निजी कंपनियां/ समाचारपत्र संघ	10.0%
● ग.	गैर सरकारी व्यक्ति	48.7%
● घ.	सार्वजनिक व्यक्ति	18.8%
● ङ.	स्वप्रेरणा से कार्रवाई	05.0%




## प्रतिवादियों की श्रेणियाँ

● क	अंग्रेजी प्रेस	16.3%
● ख	भारतीय भाषायी प्रेस	83.7%



## प्रतिवादी प्रकाशनों का राज्यवार विवरण

संक्षिप्तियों का विवरण  
न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 80



**संक्षिप्तियों का विवरण**  
न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 80

क.	बिहार	2
ख.	दिल्ली	9
ग.	गुजरात	1
घ.	हरियाणा	8
ड.	जम्मू और कश्मीर	2
च.	केरल	1
छ.	मध्य प्रदेश	13
ज.	महाराष्ट्र	10
झ	ओडिशा	1
अ.	पंजाब	12
ट.	राजस्थान	3
ठ.	त्रिपुरा	1
ड.	उत्तर प्रदेश	15
ढ.	उत्तराखंड	1
ण.	पश्चिम बंगाल	1

---

## सिद्धांत और प्रकाशन

---

मुक्त प्रेस से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचारों की रिपोर्टिंग में सच्चाई और निष्पक्षता के साथ-साथ मत/विचारों की निष्पक्ष अभिव्यक्ति का पालन करे। इसलिए इसके लिए अत्यधिक नैतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। आज की वित्तीय रूप से मुनाफाखोरी की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में, प्रेस को अक्सर पत्रकारिता के पेशे में पारंपरिक रूप से दृढ़तापूर्वक अपनाये गये अपने मूलभूत सिद्धांतों को भूल जाते हुए देखा जाता है।


इस वर्ष परिषद को समाचारपत्रों के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें शिकायतकर्ता मुख्य रूप से, समाचारपत्रों द्वारा उनका प्रत्युत्तर प्रकाशित न करने तथा पत्रकारिता नीति/दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर व्यथित थे। इस वर्ष दिये गये 25 न्याय-निर्णयन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 7 शिकायतों का समर्थन किया गया जबकि 5 मामले योग्य न होने के कारण खारिज किए गए। 4 शिकायतों में निपटारा हो जाने के कारण परिषद द्वारा समाप्त कर दी गयीं। शेष 9 शिकायतों को जारी न रखे जाने, वापस लेने या मामले के न्यायाधीन हो जाने पर कार्रवाई बंद कर दी गयीं।

दिया गया आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

## सिद्धांत और प्रकाशन

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 25

क. अनुमोदित	7
ख. अस्वीकृत	5
ग. आश्वासन / निपटान / संशोधन / पुनः जाँच	4
घ. जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	9



---

## प्रेस और मानहानि

---

पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जनहित के मामलों पर निष्पक्ष, सटीक और निष्पक्ष तरीके से समाचार, विचारों, टिप्पणियों और सूचनाओं के साथ लोगों की सेवा करना है।

यह देखा गया है कि देश में प्रिंट मीडिया का कुछ वर्ग व्यक्तिगत मुद्दों को निपटाने के लिए अपने लेखन/कॉलम के माध्यम से व्यक्तियों, सार्वजनिक व्यक्तियों, संस्थानों को बदनाम करता है या पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं करता, यानी प्रकाशनों से पहले तथ्यात्मक रूप से सही होना। इसके परिणामस्वरूप मानहानिकारक और गलत समाचार व्यक्तियों/संगठन की कड़ी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा को बड़ा झटका देते हैं और उन्हें बेहद शर्मिंदा करते हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह अभ्यास बढ़ता जा रहा है और आंतरायिक नियमितता और कम परिचालन वाले अखबारों में सबसे अधिक प्रचलित है। हर साल, परिषद की बड़ी संख्या में मानहानिकारक प्रकाशनों के आरोपों वाली शिकायतें प्राप्त होती हैं।


परिषद ने कथित मानहानिकारक प्रकाशनों के संबंध में इस वर्ष **44** शिकायतों पर न्यायनिर्णय दिये। इनमें से, **3** मामलों में प्रेस को मानहानिजनक लेखन का दोषी माना गया जबकि **23** मामलों में आरोपों को अस्वीकार कर दिया गया। **3** मामलों में परिषद के कारण दोनों पक्षों के बीच मामले का समाधान हो गया जबकि **15** शिकायतें जारी न रखे जाने, वापस लेने या मामले के न्यायाधीन होने पर बंद कर दी गयीं।

दिया गया आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

## प्रेस और मानहानि

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 44

क. अनुमोदित	3
ख. अस्वीकृत	23
ग. आश्वासन / निपटान / संशोधन / पुनः जाँच	3
घ. जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	15



---

## पेड समाचार

---

पेड समाचार से अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जिनका, प्रकाशन से पूर्व, प्रकाशन के समय या प्रकाशन के पश्चात् किसी भी प्रकार से दिये गये प्रतिफल के बदले में, मीडिया द्वारा इस्तेमाल किया गया हो या जिन्हें मीडिया द्वारा हटाया गया हो। यह धोखाधड़ी में हुआ गुप्त वित्तीय लेनदेन होता है और धोखे से किया जाता है, और इसी कारण इसे सिद्ध करने के लिए इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाना कठिन होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध न होने पर ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पेड समाचार की घटना का निष्कर्ष निकालना संभव है।


समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने इस श्रेणी के अंतर्गत 1 शिकायत पर न्यायनिर्णय दिया और इसे जारी न रखे जाने के कारण इस पर कार्रवाई बंद कर दी गई।

दिया गया आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

## पेड समाचार

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 1

क. अनुमोदित	0
ख. अस्वीकृत	0
ग. आश्वासन / निपटान / संशोधन / पुनः जाँच	0
घ. जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	1



---

## स्व-प्रेरणा से कार्रवाई

---

परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 14(1) या धारा 13(2) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेती है और नोटिस जारी करती है या मामले के अनुसार कार्रवाई करती है। तत्पश्चात् प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 3 के अंतर्गत शिकायत दर्ज किये जाने की तरह जांच विनियम 5 से आगे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

स्वप्रेरणा से कार्रवाई यह पता लगाने के लिए आरंभ की जाती है कि क्या एक समाचार पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता नीति के मानकों या लोक रुचि का उल्लंघन किया है या कि एक संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने वृत्तिक कदाचार किया।


इस संबंध में इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 5 मामलों की जांच की गई। सभी मामलों का समर्थन किया गया।

दिया गया आलेख स्थिति को स्पष्ट करता है।

## स्व-प्रेरणा से कार्रवाई

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 5

क. अनुमोदित	5
ख. कार्रवाई बंद	0
ग. आश्वासन / निपटान / संशोधन / पुनः जाँच	0
घ. जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	0



---

## प्रेस और नैतिकता

---

लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका लोकहित प्रहरी की होती है। लेकिन, अगर इस शक्तिशाली प्रहरी को उचित रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो यह उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिनकी उसे सेवा करनी चाहिए। हालाँकि, दुर्भाग्य से प्रेस का एक वर्ग है जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं के नैतिक ताने-बाने की ताकत को नुकसान पहुँचाता है। किशोर और अतिसंवेदनशील सोच उनका मुख्य लक्ष्य और शिकार है। जब भी परिषद को ऐसे मामले दिखाई देते हैं, तो वह स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी शुरू कर देती है। इसके अलावा, यह ऐसे मामलों पर प्राप्त शिकायतों पर भी न्यायनिर्णय करती है।


**पाँच** मामलों में, परिषद ने प्रेस की नैतिकता के प्रश्न पर न्यायनिर्णय दिया। **एक** मामले में संबद्ध समाचारपत्रों के विरुद्ध लोकरुचि और नैतिकता के विरुद्ध अपराध के आरोप का समर्थन किया गया जबकि **दो** मामलों में आरोपों को अस्वीकार कर दिया गया। आश्वासन दिये जाने पर **दो** मामलों का निपटान हो गया।

दिया गया आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

## प्रेस और नैतिकता

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या: 5

क. अनुमोदित	1
ख. अस्वीकृत	2
ग. आश्वासन / निपटान / संशोधन / पुनः जाँच	2
घ. जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	0



## अध्याय - VI

### परिषद का वित्त 2020-21

परिषद की निधि के मुख्य स्रोत है :- (i) भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं पर तथा समाचार एजेंसियों पर परिषद द्वारा लगाया गया शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियाँ यथा जमा राशि पर ब्याज आदि और (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए परिषद का बजट अनुमान, जैसाकि केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में जनवरी 2020 में स्वीकृत किया गया था, 890.00 लाख रुपये था। वर्ष 2020-21 हेतु अनुमानों में परिशोधन करके केंद्र सरकार ने 805.64 लाख रुपये (सहायता अनुदान) स्वीकार किये जिसमें 264.89 लाख रुपये की परिषद की अनुमानित राजस्व आवृतियां शामिल हैं।

परिषद ने वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार से 805.64 लाख रुपये (सहायता अनुदान के रूप में 7,87,30,006.00 रु० + पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के रूप में 18,34,300.00 रु०) का कुल सहायता अनुदान प्राप्त किया जबकि परिषद ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समाचारपत्रों/पत्रिकाओं व समाचार एजेंसियों पर लगाये गए शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियों यथा बैंक खाते पर ब्याज, बैंक में एफ०डी०आर० पर ब्याज इत्यादि से 264.89 लाख रु० एकत्रित किये। इसमें से 160.38 लाख रुपये लेवी शुल्क से प्राप्त हुए और 104.51 लाख रुपये समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्य विविध प्राप्तियों, जैसे बैंक खाते पर ब्याज, बैंक में एफडीआर पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त हुए।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 22 में यह प्रावधान है कि भारतीय प्रेस परिषद के लेखे उस विधि से रखे और लेखा परीक्षित किए जाएंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित की जाए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय प्रेस परिषद के वार्षिक लेखे उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार रखे गए थे। लेखा परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के लेखा परीक्षा दल ने उनकी लेखा परीक्षा करके प्रमाणित किया है कि वे उनसे संतुष्ट हैं। परिषद के वार्षिक लेखे इसके साथ संलग्न हैं।

## 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रेस परिषद के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 22 के साथ पठनीय नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत उस तिथि तक भारतीय प्रेस परिषद (परिषद) के संलग्न तुलनपत्र और आय तथा व्यय लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण परिषद प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरूप, लेखा स्तरों और मानकों का प्रकटीकरण आदि के संबंध में लेखा विवेचन पर ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन के पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी, यदि कोई हो, की निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती है।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त है अथवा नहीं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों के प्रकटन और राशि के समर्थन में साक्ष्य का परीक्षण सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमान के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हमारा प्रतिवेदन है कि :

- i हमने सारी सूचना और स्पष्टीकरण, जोकि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे, प्राप्त कर लिये हैं;
- ii तुलन पत्र, आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां और भुगतान लेखे जिनका इस रिपोर्ट से संबंध है, को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किया गया है।
- iii हमारी राय में, जहां तक इन बहियों के हमारे परीक्षण से दृष्टिगोचर होता है, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 19 एवं 20 के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद द्वारा समुचित खाता बहियां और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गये हैं।
- iv हमारा आगे प्रतिवेदन है कि:

## क सामान्य

- क.1** परिषद ने मार्च माह 2021 के वेतन और भत्तों के लिए प्रावधान नहीं रखा है और इसका लेखा-जोखा नकद आधार पर किया है। मार्च माह के वेतन एवं भत्तों का लेखा-जोखा नकद आधार पर करने का कार्य लेखांकन के प्रोद्घवन आधार का उल्लंघन है।
- क.2** लेखा के समरूप फार्मेट के अनुसार, विविध देनदारों को दो शीर्षों में विभाजित किया जाना चाहिए 'छह महीनों से अधिक अवधि से बकाया ऋण' तथा 'अन्य'। हालांकि, वार्षिक लेखा में, परिषद ने 'विविध देनदार - लेवी शुल्क के कारण' शीर्ष के अंतर्गत 14.32 करोड़ रु की समेकित धनराशि दर्शायी है।
- क.3** सरकारी अनुदानों के लिए अलग से बैंक खाता नहीं रखा गया जोकि अनुदान की शर्तों का उल्लंघन है। अलग बैंक खाता न रखने की वजह से सरकारी अनुदान पर मिलने वाला ब्याज, जो मंत्रालय को प्रतिदेय था, नहीं मिल सका।
- क.4** परिषद ने सेवानिवृत्ति हितलाभ, नामतः उपदान, छुट्टी का नकद भुगतान इत्यादि का लेखाकरण जीवनांकिक आधार पर नहीं, बल्कि नकदी आधार पर किया है, जोकि आईसीएआई के एएस 15 का उल्लंघन है।
- क.5** अनुसूची-3 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान) में, 97.11 लाख रुपये की राशि को "लेवी फीस सस्पेंस" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। पीसीआई को इस राशि का मूल अभिलेखों से समाधान करने और सस्पेंस खाते का जल्द से जल्द निपटान करने की जरूरत है। पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी यह चिन्हित किया गया था, तथापि अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित है।

## ख सहायता अनुदान

भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में, वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्त सहायता अनुदान और उसका उपयोग नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान	787.30
पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि	18.34
वर्ष के दौरान आंतरिक प्राप्ति	264.88
कुल उपलब्ध निधि	<b>1070.52</b>
वर्ष के दौरान व्यय	954.31
अव्ययित शेष राशि	<b>116.21</b>

भारतीय प्रेस परिषद के पास, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में, 116.21 लाख रु. की अव्ययित शेष राशि थी।।

- ग** प्रबंधन पत्र : जिन कमियों को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से परिषद के ध्यान में लाया गया है।
- v. पूर्व अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हमारा प्रतिवेदन है कि तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, जिनका संबंध इस रिपोर्ट से था, खाता बहियों के अनुरूप हैं।
- vi. हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित वित्तीय विवरण जोकि लेखा नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठनीय है और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के संलग्नक-I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित पक्ष रखते हैं।
- (क)** जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2021 को भारतीय प्रेस परिषद के कार्य के तुलनपत्र से है, तथा
- (ख)** जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखे से है।

**भारत के नियंत्रक और महालेखा  
परीक्षक हेतु और उनकी ओर से**

**ह0/-**

**स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 10.12.2021**

**लेखापरीक्षा महानिदेशक  
(गृह शिक्षा एवं कौशल विकास)**

## संलग्नक

### 1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

परिषद् की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा नहीं है। परिषद् ने वर्ष 2020-21 तक अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टरित लेखाकारों से करवायी है।

### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित कारणों से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:

- सांविधिक ऑडिट आपत्तियों के लिए प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि 2008 से 2020 की अवधि के लिए 15 ऑडिट पैरा बकाया हैं।
- संकट निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली, जोकि परिषद् की निर्विघ्न कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक हैं, परिषद् में नहीं पाए गए।
- परिसंपत्ति संबंधी रजिस्टर निर्धारित फॉर्मेट में नहीं बनाये गए।
- वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों और वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया।

### 3. परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

नियत परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2019-20 तक किया गया था।

### 4. वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

पुस्तकों और प्रकाशनों, स्टेशनरी एवं अन्य उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2019-20 तक किया गया था।

### 5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

लेखा बही के अनुसार 31 मार्च 2021 को सांविधिक देयता के संबंध में छह महीनों से अधिक भुगतान बकाया नहीं था।

---

तुलन पत्र  
31 मार्च 2021 तक

---

**भारतीय प्रेस परिषद**  
**31 मार्च, 2021 तक का तुलन पत्र**

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
<b>देयता</b>			
पूंजीगत निधि	1	15,97,83,552	14,34,71,245
अंशदायी भविष्य निधि	2	7,56,42,517	7,79,40,993
वर्तमान देयता और प्रावधान	3	2,43,69,337	1,87,61,817
<b>कुल</b>		<b>25,97,95,406</b>	<b>24,01,74,055</b>
<b>परिसम्पत्ति</b>			
नियत परिसम्पत्ति	4	1,14,50,387	99,10,666
निवेश - उद्दिष्ट निधि	5	7,56,69,906	7,64,16,571
वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	6	17,26,75,113	15,38,46,818
<b>कुल</b>		<b>25,97,95,406</b>	<b>24,01,74,055</b>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	13		
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां	14		

ह0/-  
अनुपमा भटनागर  
सचिव  
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-  
सी.के.प्रसाद  
अध्यक्ष  
भारतीय प्रेस परिषद

**भारतीय प्रेस परिषद**  
**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**  
**आय और व्यय लेखा**

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेवी शुल्क एवं अन्य से आय	7	3,10,27,608	2,88,86,245
सरकार से अनुदान	8	6,07,88,821	7,94,09,017
अर्जित ब्याज	9	51,91,830	57,35,361
<b>कुल (क)</b>	-	<b>9,70,08,259</b>	<b>11,40,30,623</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	10	6,22,16,637	7,87,32,399
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	1,97,10,262	2,66,95,162
वित्त खर्च	12	-	-
मूल्यहास	4	17,58,879	15,01,744
<b>कुल (ख)</b>		<b>8,36,85,778</b>	<b>10,69,29,305</b>
- पूर्व अवधि समायोजन जमा (नामे)		51,376	17,92,088
आय के व्यय से अधिक होने के कारण शेष राशि (क-ख)		1,33,22,481	71,01,318
- सामान्य रिजर्व में/से अंतरण		-	-
<b>अधिशेष/(घाटा) तुलन पत्र में ले जाया गया</b>		<b>1,33,73,857</b>	<b>88,93,406</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 13  
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां 14

ह0/-  
**अनुपमा भटनागर**  
सचिव  
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-  
**सी.के.प्रसाद**  
अध्यक्ष  
भारतीय प्रेस परिषद

## भारतीय प्रेस परिषद अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2021 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 1 - पूंजी निधि

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>क. पूंजी निधि</b>				
वर्ष के आरंभ में शेष	2,24,65,379		1,95,50,894	
जोड़े : वर्ष के दौरान पूंजीकृत निधि	29,38,451		29,14,485	
	2,54,03,830		2,24,65,379	
घटाएं : अनुपयोगी घोषित परिसंपत्तियों पर बढ़े खाते डाली गई राशि	-	2,54,03,830	-	2,24,65,379
<b>ख. आय और व्यय लेखा :</b>				
वर्ष के आरंभ में शेष	12,10,05,866		11,21,12,460	
जोड़ें/ (घटाएँ) : आय और व्यय खाते से अंतरित निवल आय/ (व्यय) का शेष	1,33,73,857		88,93,406	
जोड़ें/(घटाएँ) अन्य समायोजन		13,43,79,722		12,10,05,866
<b>योग</b>		<b>15,97,83,552</b>		<b>14,34,71,245</b>

ह0/-  
अनुपमा भटनागर  
सचिव  
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-  
सी.के.प्रसाद  
अध्यक्ष  
भारतीय प्रेस परिषद

**भारतीय प्रेस परिषद**  
**अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2021 के तुलन पत्र का अंग हैं**

**अनुसूची 2- सी.पी.एफ. निधि**

विवरण		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क)	निधि का अथ शेष		7,79,40,993		7,44,15,749
ख)	निधि में वृद्धि				
i.	सी.पी.एफ. में परिषद का योगदान	19,62,730		40,36,347	
ii.	सी.पी.एफ. अग्रिम वसूली	-		8,94,055	
iii.	सी.पी.एफ. में कर्मचारियों का योगदान	82,84,810		82,51,949	
iv.	सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज - कर्मचारियों का योगदान	34,54,387		36,81,478	
v.	सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज - परिषद का योगदान	17,55,264		21,60,720	
v.	एनपीएस में परिषद का योगदान (सेवाभार ग्रहण करने से लेकर 31.03.2021 तक की अंतराविभेदक राशि)	-	1,54,57,191	8,34,265	1,98,58,814
<b>योग (क+ख)</b>			<b>9,33,98,184</b>		<b>9,42,74,563</b>
ग)	निधि के उद्देश्यों पर उपयोग/व्यय				
	सी.पी.एफ. प्रत्याहरण	(3,00,000)		(26,40,000)	
	सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	(1,71,18,047)		(87,74,132)	
	दिया गया सीपीएफ अग्रिम	(3,37,620)		(3,20,000)	
	पूर्व अवधि समायोजन	-		(17,92,088)	
	एनपीएस में अंतरण	-	(1,77,55,667)	(28,07,350)	(1,63,33,570)
<b>वर्ष के अंत में निधि का निवल शेष (क+ ख+ग)</b>			<b>7,56,42,517</b>		<b>7,79,40,993</b>

**अनुसूची 3 - चालू देयताएं और प्रावधान**

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	शुल्क की अग्रिम उगाही	20,30,398	41,96,558
2	- उगाही शुल्क उचंत	97,10,738	1,09,62,819
3	प्रतिभूति जमा	1,20,121	1,31,000
4	अव्ययित अनुदान	1,16,21,328	18,34,300
5	अन्य चालू देयताएं	-	-
6	पूर्व कर्मचारी के वारिस को देय	7,75,341	7,33,529
7	सांविधिक देय राशि	-	295
8	एनपीएस अभिदान	41,390	9,03,316
9	व्यय के लिए प्रावधान	70,021	-
<b>योग (क)</b>		<b>2,43,69,337</b>	<b>1,87,61,817</b>

ह0/-  
अनुपमा भटनागर  
सचिव  
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-  
सी.के.प्रसाद  
अध्यक्ष  
भारतीय प्रेस परिषद

## अनुसूची 4

अनुसूचियां जो 31.03.2021

विवरण	सकल ब्लॉक					31.3.2021 को लागत
	1.04.2020 को लागत	अथ समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान विक्री/ अंतरण	
			180 दिन तक	180 दिन के बाद		
वातानुकूलक और कूलर	26,78,564.00		70,000.00	2,23,530.00	-	29,72,094.00
कार और बाइसिकल	25,49,890.70		-	-	-	25,49,890.70
कंप्यूटर/पेरिफरल	50,67,058.83		3,53,846.00	5,29,398.00	-	59,50,302.83
संगोष्ठी कक्ष						
- सिविल कार्य	21,32,836.00		-	-	-	21,32,836.00
- संगोष्ठी तंत्र	1,97,595.00		-	-	-	1,97,595.00
- इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एवं फिक्सचर्स	5,09,211.00		-	-	-	5,09,211.00
- फर्नीचर और फिक्सचर्स	5,00,000.00		-	-	-	5,00,000.00
संगोष्ठी तंत्र	27,820.00		-	-	-	27,820.00
ईपीएबीएक्स तंत्र	5,41,485.00		-	-	-	5,41,485.00
क्रैकिंग मशीन	67,558.00		-	-	-	67,558.00
फर्नीचर और फिक्सचर	52,16,126.86		1,13,110.00	7,48,425.00	70,427.00	60,07,234.86
हीट कन्वैक्टर और हीटर	2,35,781.74		-	22,414.00	-	2,58,195.74
पट्टे पर जमीन	15,63,767.00		-	-	-	15,63,767.00
पुस्तकालय की किताबें	10,54,743.46		-	38,725.00	-	10,93,468.46
मोबाइल फोन	73,021.00		-	-	-	73,021.00
रेफ्रिजरेटर	1,74,675.00		-	-	-	1,74,675.00
सौर वाटर हीटिंग तंत्र	1,10,227.00		-	-	-	1,10,227.00
स्टेबिलाइज़र	52,458.76		-	-	-	52,458.76
टेप रिकार्डर	18,924.00		-	-	-	18,924.00
टेलीविजन	4,68,451.00	45,294.00	12,314.00	-	-	5,26,059.00
जल वितरक	1,18,321.00		-	-	-	1,18,321.00
इंवर्टर और बैट्रियां	13,894.00		-	-	-	13,894.00
जूसर मिक्सर ग्राइंडर	7,000.00		-	-	-	7,000.00
एयर प्यूरीफायर	99,011.00		29,994.00	2,20,284.00	-	3,49,289.00
सीसीटीवी कैमरा (एक्सेसरी सहित)	2,45,135.00		-	-	-	2,45,135.00
वैक्यूम क्लीनर	-		4,499.00	-	-	4,499.00
सेनिटाइज़र डिस्पेंसर	-		-	7,990.00	-	7,990.00
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-		-	5,63,922.00	-	5,63,922.00
<b>योग</b>	<b>2,37,23,555.35</b>		<b>5,83,763.00</b>	<b>23,54,688.00</b>	<b>70,427.00</b>	<b>2,66,36,873.35</b>

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूजोगत अग्रिम/पूजोगत कार्य प्रगति पर	3,28,913.00	-
	<b>3,28,913.00</b>	-

## के तुलन पत्र का अंग हैं

मूल्यहास दर	मूल्यहास					निवल ब्लॉक		
	31.3.2020 तक	अथ समायोजन	वर्ष हेतु	31.3.2021 तक बेची गई संपत्तियों का मूल्यहास	बट्टे खाते	कुल मूल्यहास	डबल्यू डी वी 31.3.2021	डबल्यू डी वी 31.3.2020
15.00%	14,18,325.00		2,16,301.00	-	-	16,34,626.00	13,37,468.00	12,60,239.00
15.00%	13,95,172.00		1,73,208.00	-	-	15,68,380.00	9,81,510.70	11,54,718.70
40.00%	44,24,804.00		5,04,320.00	-	-	49,29,124.00	10,21,178.83	6,42,254.83
15.00%	11,02,984.00		1,54,478.00	-	-	12,57,462.00	8,75,374.00	10,29,852.00
15.00%	81,513.00		17,412.00	-	-	98,925.00	98,670.00	1,16,082.00
10.00%	2,33,558.00		27,565.00	-	-	2,61,123.00	2,48,088.00	2,75,653.00
10.00%	1,88,353.00		31,165.00	-	-	2,19,518.00	2,80,482.00	3,11,647.00
15.00%	27,526.00		44.00	-	-	27,570.00	250.00	294.00
15.00%	3,91,480.00		22,501.00	-	-	4,13,981.00	1,27,504.00	1,50,005.00
15.00%	33,260.00		5,145.00	-	-	38,405.00	29,153.00	34,298.00
10.00%	27,93,856.00		2,89,893.00	59,766.00	-	30,23,983.00	29,83,251.86	24,22,270.86
15.00%	74,967.00		25,803.00	-	-	1,00,770.00	1,57,425.74	1,60,814.74
-	-		-	-	-	-	15,63,767.00	15,63,767.00
40.00%	9,73,792.46		40,125.00	-	-	10,13,917.46	79,551.00	80,951.00
15.00%	29,824.00		6,480.00	-	-	36,304.00	36,717.00	43,197.00
15.00%	98,138.00		11,481.00	-	-	1,09,619.00	65,056.00	76,537.00
40.00%	1,04,084.00		2,457.00	-	-	1,06,541.00	3,686.00	6,143.00
15.00%	46,443.00		902.00	-	-	47,345.00	5,113.76	6,015.76
15.00%	8,206.00		1,608.00	-	-	9,814.00	9,110.00	10,718.00
15.00%	2,78,841.00	3,397.00	36,573.00	-	-	3,18,811.00	2,07,248.00	1,89,610.00
15.00%	62,240.00		8,412.00	-	-	70,652.00	47,669.00	56,081.00
15.00%	4,178.00		1,457.00	-	-	5,635.00	8,259.00	9,716.00
15.00%	3,895.00		466.00	-	-	4,361.00	2,639.00	3,105.00
15.00%	7,426.00		34,758.00	-	-	42,184.00	3,07,105.00	91,585.00
15.00%	30,024.00		32,267.00	-	-	62,291.00	1,82,844.00	2,15,111.00
15.00%	-		675.00	-	-	675.00	3,824.00	-
15.00%	-		599.00	-	-	599.00	7,391.00	-
40.00%	-		1,12,784.00	-	-	1,12,784.00	4,51,138.00	-
	<b>1,38,12,889.46</b>		<b>17,58,879.00</b>	<b>59,766.00</b>		<b>1,55,15,399.46</b>	<b>1,11,21,473.89</b>	<b>99,10,665.89</b>

**भारतीय प्रेस परिषद**  
**अनुसूचियां जो 31.03.2021 के तुलन पत्र का अंग हैं**

**अनुसूची 5 - निवेश**

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>मियादी जमा</b>				
अथ शेष :				
मूल राशि	7,23,42,484		6,90,10,387	
: प्रोदभूत ब्याज	40,74,087	7,64,16,571	38,20,447	7,28,30,834
जोड़ें : वर्ष के दौरान एफ डी आर में बढ़ोतरी		8,65,51,384		8,26,59,489
: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	13,54,362		9,18,732	
: वर्ष के दौरान प्रोदभूत ब्याज	31,49,522	45,03,884	40,74,087	49,92,819
घटायें : वर्ष के दौरान भुनाये गये अथवा परिपक्व एफडीआर	7,25,20,384	(9,18,01,933)		(8,40,66,571)
<b>योग</b>		<b>7,56,69,906</b>		<b>7,64,16,571</b>

ह0/-  
अनुपमा भटनागर  
सचिव  
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-  
सी.के.प्रसाद  
अध्यक्ष  
भारतीय प्रेस परिषद

**भारतीय प्रेस परिषद**  
**अनुसूचियां जो 31.03.2021 के तुलन पत्र का अंग हैं**

अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

विवरण		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क.	चालू परिसंपत्तियां				
1.	<b>विविध देनदार :</b>				
	- उगाही शुल्क के कारण	14,32,30,099	14,32,30,099	13,21,51,029	13,21,51,029
2.	<b>रोकड़ शेष</b> (डाक टिकटों और अग्रदाय सहित)				
	अग्रदाय लेखा शेष	50,000		50,000	
	डाक टिकटें	29,379	79,379	13,529	63,529
3.	<b>बैंक शेष :</b>				
	- अनुसूचति बैंकों के पास: बचत खाते				
	- इलाहाबाद बैंक	53,77,174		1,26,788	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - सामान्य खाता	61,94,155		16,45,005	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - परिक्रामी खाता	1,79,552		13,50,954	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - उगाही शुल्क खाता	-		90,470	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - सी.पी. एफ. खाता निक्षेप खाते	81,86,998	1,99,37,878.72	1,00,17,293	1,32,30,510.53
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - परिक्रामी खाता पूर्व कर्मचारी लाभार्थियों के लिए एफडीआर	72,52,552		56,94,207	-
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - शशि टंडन	3,93,479		3,67,822	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - रमेश गोयल	2,18,240		2,03,609	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - संगीता मलिक	60,047		56,436	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - अजय मदान	76,209	80,00,527	71,240	63,93,314
	<b>योग (क)</b>		<b>17,12,47,884</b>		<b>15,18,38,382</b>

ह0/-  
अनुपमा भटनागर  
सचिव  
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-  
सी.के.प्रसाद  
अध्यक्ष  
भारतीय प्रेस परिषद

**भारतीय प्रेस परिषद**  
**अनुसूचियां जो 31.03.2021 के तुलन पत्र का अंग हैं**

अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1	<b>स्टाफ को ऋण :</b>			
	- मनोरंजन एवं आतिथ्य अग्रिम	91,261		40,502
	- स्टाफ को विविध व्यय के लिए अग्रिम	23,468		13,468
	- उत्सव अग्रिम	2,08,806		11,700
	- एल.टी.सी. अग्रिम	12,000		-
	- स्टेशनरी सामग्री, डाक की खरीदारी के लिए अग्रिम	-	3,35,535	1,00,000
2	<b>प्राप्त मूल्य के लिए रोकड़ या जिन्स में वसूल की जाने वाली अन्य राशियां और अग्रिम</b>			
	- पुस्तकों, पत्रिकाओं के लिए अग्रिम	-	-	-
	- पार्टियों को अग्रिम			5,42,811
	- यात्रा भत्ता अग्रिम	78,686		1,15,206
	- स्रोत पर काटा गया कर	7,96,148	8,74,834	7,96,148
3	<b>प्रोद्भूत आय</b>			
	क) परिक्रामी खाते के निक्षेपों पर		1,86,420	3,51,105
	ख) श्रीमती शशि टंडन (पूर्व कर्मी) के निक्षेपों पर		13,335	16,708
	ग) श्री अजय मदान के निक्षेपों पर		2,471	3,897
	घ) सुश्री संगीता मलिक के निक्षेपों पर		817	979
	ड.) श्री रमेश गोयल (पूर्व कर्मी) के निक्षेपों पर		10,743	12,838
4	<b>विभिन्न विभागों के पास निक्षेप</b>		3,074	3,074
	<b>योग (ख)</b>		<b>14,27,229</b>	<b>20,08,436</b>
	<b>योग (क+ख)</b>		<b>17,26,75,113</b>	<b>15,38,46,818</b>

ह0/-  
अनुपमा भटनागर  
सचिव  
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-  
सी.के.प्रसाद  
अध्यक्ष  
भारतीय प्रेस परिषद

**भारतीय प्रेस परिषद**  
**अनुसूचियां जो 31.03.2021 के आय एवं व्यय लेखा का अंग हैं**

**अनुसूची 7 - उगाही शुल्क से तथा अन्य आय**

विवरण		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	समाचारपत्रों/पत्रिकाओं/ समाचार एजेंसियों से प्राप्त कुल उगाही शुल्क:	1,60,37,879		2,03,38,444	
	जोड़े : चालू वर्ष के लिए की गई मांग	3,05,79,000		2,81,14,000	
	घटाएं : पिछले वर्षों के लिए प्राप्त शुल्क	(32,00,723)		(59,14,727)	
	घटाएं : चालू वर्ष के लिए प्राप्त शुल्क	(1,20,25,426)		(1,34,51,684)	
	घटाएं : अग्रिम/उचंत/विविध प्राप्त शुल्क	(8,11,730)	3,05,79,000	(9,72,033)	2,81,14,000
2	अन्य (स्पष्ट करें)				
	- रद्दी कागज़ की बिक्री	3,905		10,022	
	- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के लिए शुल्क	930		1,369	
	- स्मारिका में विज्ञापन से आय	1,62,600		3,05,201	
	- अन्य	2,81,173	4,48,608	4,55,653	7,72,245
	<b>योग</b>		<b>3,10,27,608</b>		<b>2,88,86,245</b>

ह0/-  
अनुपमा भटनागर  
सचिव  
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-  
सी.के.प्रसाद  
अध्यक्ष  
भारतीय प्रेस परिषद

**भारतीय प्रेस परिषद**  
**अनुसूचियां जो 31.03.2021 के आय एवं व्यय लेखा का अंग हैं**

**अनुसूची 8 - अनुदान**

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और सहायिकी)				
- केंद्र सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)				
- वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	7,87,30,006		8,86,09,098	
- जोड़ें : पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान	18,34,300		13,90,902	
	8,05,64,306		9,00,00,000	
- घटाएं : सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान	52,15,706		58,42,198	
- घटाएं : स्थिर परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त अनुदान	29,38,451		29,14,485	
- घटाएं : पिछले वर्ष से संबंधित अव्ययित अनुदान लौटाया गया	-		13,90,902	
- घटाएं : चालू वर्ष का अव्ययित अनुदान	1,16,21,328	6,07,88,821	4,43,398	7,94,09,017
<b>योग</b>		<b>6,07,88,821</b>		<b>7,94,09,017</b>

**अनुसूची 9 - अर्जित ब्याज**

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>1 सावधि निक्षेपों पर:</b>				
क) अनुसूचित बैंकों के पास				
- सीपीएफ खाता (सामान्य निधि में अंतरित)	44,62,927		49,92,819	
- परिक्रामी निधि खाता	3,94,746		2,57,804	
- सामान्य निधि खाता	40,957	48,98,630	24,892	52,75,515
<b>2 बचत खातों पर :</b>				
क) अनुसूचित बैंकों के पास				
- सामान्य निधि खाता	85,686		1,04,809	
- सीपीएफ खाता (सामान्य निधि में अंतरित)	1,81,683		1,52,738	
- उगाही शुल्क खाता	-		-	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	24,618	2,91,987	39,002	2,96,549
<b>3 ऋणों पर</b>				
क) कर्मचारी/स्टाफ				
- आवास निर्माण अग्रिम		1,213		1,63,297
<b>योग</b>		<b>51,91,830</b>		<b>57,35,361</b>

**भारतीय प्रेस परिषद**  
**अनुसूचियां जो 31.03.2021 के आय एवं व्यय लेखा का अंग हैं**

**अनुसूची 10 - स्थापना व्यय**

विवरण		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	वेतन और मजदूरी		4,83,85,443		4,84,93,266
2	वेतन की बकाया राशि		10,68,259		1,36,29,221
3	समयोपरि भत्ता		-		-
4	ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति		5,74,500		10,11,319
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति		14,75,767		20,70,846
6	एल.टी.सी.		4,53,934		10,95,627
7	अर्जित छुट्टी का नकदीकरण		16,36,317		23,29,454
8	भविष्य निधि में अंशदान		35,74,854		62,34,175
9	स्टाफ़ को प्रशिक्षण		-		50,000
10	सेवा निवृत्ति लाभ		54,69,056		39,05,353
			6,26,38,130		7,88,19,261
11	घटाएं : स्टाफ़ को उपदान		(4,21,493)		(86,862)
<b>योग</b>			<b>6,22,16,637</b>		<b>7,87,32,399</b>

ह0/-  
अनुपमा भटनागर  
सचिव  
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-  
सी.के.प्रसाद  
अध्यक्ष  
भारतीय प्रेस परिषद

**भारतीय प्रेस परिषद**  
**अनुसूचियां जो 31.03.2021 के आय एवं व्यय लेखा का अंग हैं**

**अनुसूची 11 - अन्य प्रशासनिक व्यय**

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बिजली और पानी	32,11,468	45,89,442
2	कार्यालय व्यय	29,690	2,27,938
3	मरम्मत और रखरखाव	47,98,359	60,09,393
4	वाहनों की मरम्मत और रखरखाव	2,67,263	3,81,280
5	यात्रा और परिवहन व्यय	40,41,698	55,93,020
6	किराया, पौर कर और कर	6,66,329	61,954
7	डाक टिकट, टेलीफोन और संचार प्रभार	8,84,665	10,66,089
8	मुद्रण और स्टेशनरी	20,12,962	26,93,859
9	समाचारपत्र और पत्रिकाएं	1,38,874	1,73,093
10	हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कार	25,580	29,390
11	बीमा	77,671	51,528
12	कानूनी और वृत्तिक प्रभार	1,79,106	10,25,247
13	मनोरंजन	3,09,522	3,80,055
14	प्रदर्शनी और संगोष्ठी	1,73,578	33,29,798
15	अन्य - विविध	5,348	17,568
16	विज्ञापन व्यय	16,66,016	-
17	अन्य व्यय	4,75,197	5,66,683
18	फ्रैकिंग मशीन की एएमसी	-	50,000
19	भिन्न-भिन्न अनुभागों के लिए अन्य पुस्तकें	9,698	1,892
20	स्कैनिंग	-	43,011
21	वर्ग IV के लिए वर्दी	-	1,35,000
22	शेष राशि बट्टे खाते	-	19,032
23	नियत परिसंपत्ति की बिक्री संबंधी हानि	-	1,22,140
24	लेवी शुल्क बट्टे खाते	44,500	1,27,750
25	कोविड-19 संबंधी व्यय	47,071	-
26	वेबसाइट डेवलपमेंट संबंधी खर्च	5,36,304	-
27	स्वच्छ भारत परियोजना संबंधी व्यय	1,09,364	-
<b>योग</b>		<b>1,97,10,262</b>	<b>2,66,95,162</b>

**अनुसूची 12 - वित्त प्रभार**

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	नियत ऋणों पर	-	-
ख)	अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
<b>योग</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

**भारतीय प्रेस परिषद**  
**31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं**  
**की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची**

**अनुसूची 13- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:**

1. **लेखा परिपाटी**  
वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाए, के आधार पर तैयार किए गए हैं।
2. **लेखा प्रणाली**  
परिषद लेखा प्रोद्भवन प्रणाली का पालन कर रही है- जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाए।
3. **निवेश**  
क. अंशदायी भविष्य निधि के विरुद्ध निवेश को उद्दिष्ट निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।  
ख. परिक्रामी (ऋण एवं अग्रिम) लेखे के विरुद्ध निवेश को वर्तमान परिसंपत्तियां माना गया है।  
ग. निवेश को मूलधन मूल्य पर दर्शाया गया है क्योंकि उस पर प्रोद्भूत ब्याज से वृद्धि हुई।
4. **नियत परिसंपत्तियां**  
नियत परिसंपत्तियों को, उन पर ड्यूटी तथा कर सहित अर्जन की मूल्य लागत पर विवेचित किया गया है। अर्जन से संबद्ध अन्य प्रत्यक्ष व्ययों को पूंजी में परिणत नहीं किया गया है।
5. **मूल्यहास**  
मूल्यहास आयकर नियमों में विहित दरों के अनुसार चार्ज किया जा रहा है। हालांकि नियत परिसंपत्ति की बिक्री के मामले में लाभ/हानि, बिक्री के वर्ष में ही स्वतः अंकित हैं।
6. **सरकारी अनुदान**  
(क) सरकारी अनुदान में से एक वर्ष में खर्च हुई राशि के अनुसार हिसाब किया जाता है। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अव्ययित अनुदान को अलग रख लिया जाता है या वर्ष-प्रति- वर्ष अपनाई गई नीति के अनुसार इसे वर्ष के अंत में सरकार को लौटा दिया जाता है।  
(ख) नियत परिसंपत्तियों में जोड़ने के लिए उपयोग किए गए अनुदान को पूंजीगत निधि में अंतरित किया गया है।  
(ग) अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान को अंशदायी भविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है।
7. **सेवानिवृत्ति लाभ**  
(क) सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा नकद आधार पर रखा गया है इसलिए देय उपदान, छुट्टी भुनाने आदि का कोई प्रावधान नहीं है।  
(ख) वे कर्मचारी, जिनके खाते को एनपीएस में अंतरित कर दिया गया है, के अतिरिक्त परिषद अपने स्वयं के सी.पी.एफ. फंड को संधारित कर रही है।

ह0/-  
अनुपमा भटनागर  
सचिव  
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-  
सी.के.प्रसाद  
अध्यक्ष  
भारतीय प्रेस परिषद

**भारतीय प्रेस परिषद**  
**31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की**  
**अंश निर्माण संबंधी अनुसूची**

**अनुसूची 14- आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पणियां**

**क. आकस्मिक देयता**

परिषद के विरुद्ध दावे की ऋण के रूप में प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है- रुपये शून्य (गत वर्ष शून्य) ।

**ख. लेखाओं पर टिप्पणियां**

**1. वर्तमान परिसंपत्तियां, कर्ज एवं अग्रिम**

क. वर्गीकृत राशियों में विविध देनदारों, पुस्तकों और आवधिकों के लिए अग्रिमों, पक्षों को अग्रिम, परिवहन भत्ता का अग्रिम एवं कर्मचारियों को लोन/की संबद्ध पक्षों/ विभागों से पुष्टि नहीं की गई है/समाधान नहीं किया गया है।

ख. परिषद-प्रबंधन की राय में, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों, कर्जों और अग्रिमों का वसूली योग्य मूल्य होता है जोकि कम-से-कम, आमतौर पर व्यवसाय में तुलनपत्र में दर्शायी गई राशि के समान है ।

**2. कराधान हेतु प्रावधान**

यह देखते हुए कि परिषद की आय को कर से मुक्त रखा गया है, कराधान का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है ।

**3. आंकड़ों का समूहीकरण**

गत वर्ष के समान आंकड़ों का, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहीकरण/पुनः व्यवस्थित किया गया है ।

**4. उगाही शुल्क**

**(क) उगाही शुल्क उचंत (कुल 97,10,738/- रु.):**

उगाही शुल्क उचंत खाता, जिसकी राशि 97,10,738/- रु. है, उगाही शुल्क से संबंधित है जोकि एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए या सीधे बैंक में जमा कराने से प्राप्त हुए। प्रबंधन के पास इसकी पहचान के लिए कोई विवरण/दस्तावेज़ नहीं हैं । अतः इसे उचंत खाते में रखा गया है तथा पिछले वर्षों में अपनवाई गई नीति के अनुसार प्रकाशकों के साथ इसका समाधान होने के बाद ही इसे लेवी शुल्क में जोड़ा जाएगा।

(ख) अग्रिम उगाही शुल्क (कुल 20,30,398/- रु.): पिछले वर्षों की 12,19,358/-रु. बकाया राशि के साथ वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किया गया इस वर्ष 8,11,040/-रु. का अग्रिम उगाही शुल्क समाधान के अधीन है। (01 अप्रैल 2020 को रु. 41,96,558/- रुपये की बकाया राशि में से रु. 29,77,200/- रुपये घटा दिये गए हैं, यानी पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान अग्रिम रूप से प्राप्त राशि का चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समायोजन हो गया।)

5. सीपीएफ निधि: सी.पी.एफ. फंड में शेष राशि और सी.पी.एफ. के लिए समान निवेश सुलह नहीं हुई है।

6. टीडीएस/आय कर 7.96 लाख रु.: शीर्ष 'नकद या जिन्स में वसूल किया जाने वाला अग्रिम' और अन्य राशि के अंतर्गत दर्शाया गया टीडीएस, जोकि 7.96 लाख रु. है, पिछले वर्ष का है, और वसूली योग्य नहीं है। प्रबंधन वित्त वर्ष 21-22 के दौरान अनुमोदन प्राप्त करने के बाद में इसे बट्टे खाते डालने जाने पर प्रबंधन द्वारा विचार विमर्श चल रहा है।

7. बोनस की घोषणा: परिषद ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने कर्मचारियों के लिए किसी बोनस की घोषणा और भुगतान नहीं किया है।

8. बैंक शेष: बैंक शेष को परिषद के बही खातों के अनुसार लिया गया है। हालांकि बैंकों के अनुसार शेष राशि का समाधान करने के लिए समाधान विवरण तैयार कर दिया गया है। प्रबंधन ने समाधान में बकाया राशि की निम्नलिखित प्रविष्टियों पर गौर किया है। तथा,

क) भारतीय स्टेट बैंक (लेवी शुल्क खाता) : यह 2018-19 के वित्तीय वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया था, लेकिन लेखा बहियों में 90,470/- रु. की राशि अभी भी बकाया है जो विभिन्न समाधान प्रविष्टियों से संबंधित है। प्रबंधन ने चालू वित्त वर्ष के दौरान मंजूरी प्राप्त होने के बाद परिशोधन प्रविष्टियां जारी कर दी है।

ख) बैंक समाधान विवरण में बैंक शुल्क/चैक आदि से संबंधित दर्शाई गई प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद लेखाबद्ध किया जाएगा।

ह0/-  
अनुपमा भटनागर  
सचिव  
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/-  
सी.के.प्रसाद  
अध्यक्ष  
भारतीय प्रेस परिषद

**भारतीय प्रेस**  
**31.03.2021 को समाप्त वर्ष के**

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>I. अथ शेष</b>				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय लेखा)		50,000		66,652
ख) बैंक शेष				
- इलाहाबाद बैंक	1,26,788		4,97,376	
- सामान्य निधि	16,45,005		8,19,909	
- उगाही शुल्क खाता	90,470		90,470	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	13,50,954		11,44,155	
- सी.पी.एफ खाता	10,017,293	1,32,30,511	69,99,691	95,51,601
ग) डाक टिकटें		13,529		-
<b>II. प्राप्त अनुदान</b>				
क) भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) से		7,87,30,006		8,86,09,098
<b>III. प्राप्त ब्याज</b>				
क) बैंक निक्षेपों पर				
- एफडीआर पर प्रोत्भुत ब्याज	40,74,087	-	35,11,907	
- सावधि निक्षेप	13,55,448	-	-	
- बचत खाते	2,91,987	57,21,522	2,96,549	38,08,456
ख) ऋण, अग्रिम आदि		1,213		1,63,297
<b>IV. उद्ग्रहण शुल्क और अन्य आय (स्पष्ट करें)</b>				
उद्ग्रहण शुल्क प्राप्त	1,60,37,879		2,03,69,444	
विज्ञापन पावती	1,62,600		2,44,601	
स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री	10,661		1,07,500	
सूचना का अधिकार	930		1,369	
विविध प्राप्तियां	2,80,188		4,58,011	
रद्दी कागज़ की बिक्री	3,905		10,022	
वसूली -				
- वेतन (विविध)	4,21,493		86,862	
- पुस्तकों से	-		-	
- ई ओएल से	-		-	
- स्मारिका में विज्ञापन से आय	-	1,69,17,656	60,600	2,13,38,409
<b>V. परिपक्व निवेशों से प्राप्तियां</b>				
क) एफडीआर को भुनाना				
- परिक्रामी निधि लेखा	-		-	
- सी.पी.एफ. लेखा	8,22,42,484		5,65,57,997	
- सामान्य निधि	41,31,000		40,00,000	
- कर्मचारी हेतु	-	8,63,73,484	-	6,05,57,997

**परिषद**

**लिए प्राप्तियाँ और भुगतान**

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>I. व्यय</b>				
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 10 के अनुसार)	6,14,10,705		7,37,94,093	
ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 11 के अनुसार)	1,85,15,749		2,55,78,174	
ग) देय व्यय का भुगतान किया गया			-	
घ) स्कैनिंग				
ड.) स्वच्छ भारत व्यय		7,99,26,454		9,93,72,267
<b>II. निधि के प्रति किए गए भुगतान</b>				
क) परिक्रामी निधि में से किए गए भुगतान (ऋण और अग्रिम)				
- ऋणों का संवितरण	-		-	
- उत्सव अग्रिम	-		-	
- गृह निर्माण अग्रिम	-		-	
- मोटर कार अग्रिम	-		-	
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी. एच.एस. अग्रिम	-		-	
ख) सी.पी.एफ. निधि से				
- स्टाफ को अग्रिम/आहरण	-		-	
- परिषद से जा रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	-		-	
<b>III. किए गए निवेश और निक्षेप</b>				
क) उद्दिष्ट/एन्डाउमेंट निधियों से			-	
- परिक्रामी निधि के प्रति (ऋण और अग्रिम)	10,00,000			
- सी.पी.एफ. निधि के प्रति	1,81,91,892		1,45,41,182	
ख) अपनी निधि से				
(निवेश-अन्य)	8,65,51,384		6,26,39,872	
- सुरक्षा जमा राशि	10,000		-	
- कर्मचारी के लिए	2,45,232	10,59,98,508	2,48,552	7,74,29,906
<b>IV. स्थिर परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजीगत काम पर व्यय</b>				
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद				
- पुस्तकालय की पुस्तकें	38,725		59,302	
- वातानुकूलक एवं कूलर	2,93,530		6,20,959	
- कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	5,63,922		-	
- फर्नीचर तथा अन्य	8,61,535		1,92,559	
- हीट कन्वेक्टर	22,414		-	
- वैक्यूम क्लीनर	4,499		-	
- कंप्यूटर एवं पेरिफेरल्स	8,83,244		1,78,412	
- एयर प्यूरीफायर	2,50,278		99,011	
- सीसीटीवी कैमरा			2,45,135	
- मोबाइल फोन			13,898	
- वॉटर डिस्पेंसर			6,510	

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>VI. कोई अन्य प्राप्तियां</b>				
क) जमा राशि को भुनाना	-	-	-	-
ख) अग्रिमों की वसूली				
- आवास निर्माण अग्रिम	2,26,561		-	
- पक्षों से				
- उत्सव अग्रिम				
- सदस्यों या कार्यालय से परिवहन भत्ता/ महंगाई भत्ता अग्रिम	5,03,683		4,78,647	
- स्टाफ अग्रिम	3,32,655		10,63,457	
- स्कूटर अग्रिम	-		-	
- मोटर कार अग्रिम	-		-	
- सीपीएफ अग्रिम			8,94,055	
- संगोष्ठी/राष्ट्रीय प्रेस दिवस			3,00,000	
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी.एच.एस. अग्रिम		10,62,899	-	27,36,159
ग) कर्मचारी से वसूली				
- जीवन बीमा अंशदान	2,45,232		2,48,551	
- यात्रा व्यय	-		-	-
- सी.पी.एफ. अग्रिम वापसी	5,62,380		-	-
- स्थायी संपत्ति की बिक्री/अंतरण	-		-	-
- सीपीएफ अंशदान	84,21,139		78,85,070	
- एनपीएस अभिदान	19,21,564		20,52,426	
- रिकवरी ऑफिसर, को-ओप सोसाइटी		1,11,50,315	-	1,01,86,048
घ) सामान्य निधि से सी.पी.एफ.निधि में अंतरित राशि				
- पीएफ में परिषद के अंशदान के लिए	53,380		2,12,323	
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	-		-	
- परिषद के अंशदान पर ब्याज के लिए	-		-	
- अन्य	-		4,31,441	
		53,380	-	6,43,441
ड.) अन्य प्राप्तियां				
- जीवन बीमा प्राप्ति				
- सुरक्षा जमा राशि	19,121		9,500	
- प्राप्त जुर्माना			-	
- अन्य		19,121	-	9,500
च) स्रोत पर काटा गया कर		18,03,182		
<b>कुल</b>		<b>21,51,26,817</b>		<b>20,08,05,313</b>

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
- फ्रैंकिंग मशीन			4,423	
- सेनिटाइज़र डिस्पेंसर	7,990			
- टेलीवीजन, अडियो सीस्टम और अन्य	12,314			
- कार और बाइसिकल		29,38,451	11,09,842	25,30,051
ख) पूंजी गज अग्रिम (सीडब्ल्यूआईपी)	3,28,913	3,28,913		-
<b>V. अधिशेष धनराशि/ऋणों की वापसी</b>				
क) भारत सरकार को				
- अधिक अव्ययित अनुदान				
<b>VI. वित्त प्रभार (ब्याज)</b>				
<b>VII. अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)</b>				
क) सामान्य निधि से सी.पी.एफ. निधि में अंतरित राशि:				
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए				
- परिषद के अंशदान पर ब्याज के लिए				
- अन्य			420	420
ख) अग्रिम				
- पक्षों के लिए			5,31,979	
- पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए			-	
- संगोष्ठी के लिए			3,00,000	
- ऑडिटोरियम बुक करने के लिए			-	
- स्टेशनरी खरीदने के लिए			-	
- पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए			-	
- स्टाफ अग्रिम	12,32,589		18,71,987	
- सदस्यों/अधिकारियों को परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता अग्रिम	5,00,000		6,08,296	
- अन्य के लिए		17,32,589		33,12,262
ग) स्रोत पर काटा गया कर		18,03,182		31,34,332
घ) अन्य भुगतान				
- एनपीएस अभिदान	23,52,049		17,01,036	
पूर्वावधि समायोजन	29,413		-	
- ऋणदाता	-		-	
- लेवी शुल्क		23,81,462	31,000	17,32,036
<b>VIII. इति शेष</b>				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय खाता)		50,000		50,000
ख) बैंक शेष				
- इलाहाबाद बैंक	53,77,174		1,26,788	
- सामान्य निधि	61,94,155		16,45,005	
- उगाही शुल्क खाता	-		90,470	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	1,79,552		13,50,954	
- सी.पी.एफ. खाता	81,86,998	1,99,37,879	1,00,17,293	1,32,30,511
ग) डाक टिकटें	-	29,379		13,529
		21,51,26,817		20,08,05,313

**मामलों का विवरण**  
**1, अप्रैल 2020- 31 मार्च, 2021**

क्र.सं.	विवरण	धारा-13	धारा-14	कुल
1	31.03.2020 को लंबित मामले	96	341	437
2	1 अप्रैल, 2020-31 मार्च, 2021 के बीच दर्ज मामले	426	2179	2605
3	1 अप्रैल, 2020-31 मार्च, 2021 के बीच निर्णीत मामले	57	80	137
4	मामले, जो सीधे परिषद को रिपोर्ट किए गए	-	-	-
5	1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच प्रारंभिक चरण में खारिज करके समाप्त किए गए तथा परिषद को रिपोर्ट किए गए मामले	249	2013	2262
6	<b>31 मार्च, 2021 को कुल लंबित मामले</b>	<b>216</b>	<b>427</b>	<b>643</b>

प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयों की  
विषयगत सूची (2020-21)

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
<b>समाचारकर्मियों का उत्पीड़न</b>			
1	श्री जी.एन. तिवारी, प्रबंध संपादक, यूथ एजेंडा, पटना, बिहार की पुलिस प्राधिकारियों एवं बिहार स्टेट हाऊसिंग बोर्ड, पटना के विरुद्ध शिकायत । (13/82/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त
2	श्री हरिश्याम बाजपयी, संपादक, द टेलीकास्ट, हरदोई, उत्तर प्रदेश की श्री श्याम प्रकाश, विधायक एवं अन्य हरदोई, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत । (13/110/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
3	श्री रामचरण माली, मुख्य संपादक, वनवासी एक्सप्रेस, बारां, राजस्थान की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार के विरुद्ध शिकायत ।(13/220/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	निदेश सहित समाप्त
4	श्री शिव कुमार अग्रवाल, संपादक, शहीद भगत सिंह टाइम्स, नई दिल्ली की असामाजिक तत्वों व अन्य, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत । (13/174/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	पुलिस द्वारा आश्वासन दिये जाने पर समाप्त
5	श्री दीपक निहालचंद गुप्ता, संपादक और श्री आतिश दयाराम त्रिपुडे, फोटोग्राफर, श्री, कन्याकुब्ज वैश्यभूमि (पत्रिका), नागपुर महाराष्ट्र की असामाजिक तत्वों व पुलिस प्राधिकारियों जलगांव, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत । (13/147/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	पुलिस द्वारा आश्वासन दिये जाने पर समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
6	श्री ताराकान्त द्विवेदी, “अकेला” संपादक, दैनिक जन स्वाभिमान, मुंबई, महाराष्ट्र की श्री देवेन भारती, संयुक्त आयुक्त (पुलिस), मुंबई, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (13/8/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	आधारहीन न होने के कारण समाप्त
7	श्री धर्मेन्द्र सिंह रनेरा, संपादक टाइम्स ऑफ मंदसौर, मध्य प्रदेश की श्री ईश्वर लाल चौहान, सहायक निदेशक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, मंदसौर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (13/203/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
8	श्री विजयकुमार, संवादाता दैनिक जागरण नवादा, बिहार की डॉ. सत्येंद्र कुमार सिन्हा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस अधीक्षक, नवादा, बिहार के विरुद्ध शिकायत। (13/199/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	भ्रामक शिकायत होने के कारण समाप्त
9	श्री अविनाश सक्सेना, रिपोर्टर, मॉडर्न रिपोर्टर साप्ताहिक, मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश की श्री मुकेश गुप्ता, संपादक, दैनिक आज की दास्तान, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (13/115/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	योग्य न होने के कारण खारिज
10	सुश्री प्रियंका बोरपुजारी, स्वतंत्र पत्रकार एवं सदस्य, मुंबई प्रेस क्लब, मुंबई की मुंबई पुलिस के विरुद्ध शिकायत। (13/211/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
11	श्री सुधीर दीक्षित, ब्यूरो चीफ, दैनिक युवा हस्ताक्षर, पीलीभीत की श्री नरेश पाल सिंह, श्री मनोज सोनकर, श्री वैभव श्रीवास्तव, पीलीभीत, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत। (13/132/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	पुलिस को निष्पक्ष जांच के निदेश के साथ समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
12	श्री ओमप्रकाश बघेल, संपादक, दुनिया एक नज़र में, अलीगढ़ की पुलिस प्राधिकारियों उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत (13/129/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	योग्य न होने के कारण खारिज
13	श्री शाह आलम, संवाददाता, दैनिक शाह टाइम्स, मुज्जफरनगर, उ.प्र. की नगर पंचायत, चरथावल, मुज्जफरनगर, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत (13/72/18-19-पीसीआई)	22.01.2021	वापस ले लिया गया
14	श्री महेंद्र सिंह, संपादक, वीकली किसौली टाइम्स, बुलंदशहर, उ.प्र. की पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायत (13/119/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
15	श्री रूप किशोर राजपूत, फोटो पत्रकार, हितैशी की जंग, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की माँ भगवती मेडिकल स्टोर के विरुद्ध शिकायत (13/20/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	टिप्पणी के साथ समाप्त
<b>प्रेस को सुविधाएं</b>			
16	श्री राकेश कथुरिया, जिला संवाददाता, दिव्य हिमाचल, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश की जिला जनसंपर्क अधिकारी, कांगडा, हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (13/5/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	राज्य सरकार को निदेश के साथ समाप्त
17	श्री डी.डी. मित्तल, नेशनल ऑर्गनाइज़र महासचिव, ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन, उत्तराखंड की सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध शिकायत। (13/67/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	परिषद के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)
18	तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स से आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, तेलंगाना सरकार के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त (13/70/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
19	श्री रथीश के.वी. प्रकाशक, युवा दर्शनम, पतनमतिटटा केरल की रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया (आर.एन.आई.) के विरुद्ध शिकायत। (13/183/17-18-पीसीआई)	21.09.2020	मामले का निपटान हो गया
20	श्री पितबासा मिश्रा, संपादक/प्रकाशक, उत्कल मेल, उड़िया डेली, राउरकेला, ओडिशा, की सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ऑडिशा सरकार, भुवनेश्वर के विरुद्ध शिकायत। (13/9/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	राज्य सरकार के आश्वासन पर समाप्त
21	श्री डी.डी. मित्तल, संयोजक/महासचिव, ऑल इंडिया स्मॉल न्यूजपेपर्स एसोसिएशन, उत्तराखंड की सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून, उत्तराखंड के विरुद्ध शिकायत। (13/93/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	खारिज
22	श्री बशीर मंज़ार, महा सचिव, कश्मीर एडिटर्स गिल्ड, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की जम्मू और कश्मीर सरकार के विरुद्ध शिकायत। (13/198/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	मामले का निपटान हो गया
23	श्री फयाज़ अहमद कालू, मुख्य संपादक, ग्रेटर कश्मीर/कश्मीर उज़्मा, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के विरुद्ध शिकायत। (13/41/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	मामले का निपटान हो गया
24	श्री भूदेव प्रसाद, स्वामी/प्रकाशक, 'अलीगढ़ हंगामा', अलीगढ़, उ.प्र. की अलीगढ़ हंगामा के शीर्षक एवं स्वामित्व के हस्तांतरण की प्रमाणीकृत प्रति के संबंध में अपील दिनांकित 17/4/2019 (406/2020 पीसीआई)	21.09.2020	आर.एन.आई. को निदेश के साथ समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
25	श्री बसंत कुमार, प्रकाशक, प्रकाश बुलेटिन, नई दिल्ली की रजिस्ट्रार, आरएनआई, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (13/130/17-18-पीसीआई)	21.09.2020	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कानून में अनुमत उपचारात्मक कदम उठाने के निदेश के साथ समाप्त
26	श्री सुशील चौधरी, प्रकाशक, दैनिक गणदूत, अगरतला, त्रिपुरा की निदेशक, सूचना एवं संस्कृति मामले, त्रिपुरा सरकार, अगरतला, त्रिपुरा के विरुद्ध शिकायत।(13/54/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	राज्य सरकार को निदेश के साथ समाप्त
27	श्रीमती महमूदा मंसूरी, प्रकाशक, दैनिक अवंतिका हेराल्ड, उज्जैन, मध्य प्रदेश की आरएनआई, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत।(13/23/19-20-पीसी-आई)	21.09.2020	टिप्पणी के साथ निपटान के कारण समाप्त
28	श्रीमती महमूदा मंसूरी, प्रकाशक, साप्ताहिक अवंतिका हेराल्ड, उज्जैन, मध्य प्रदेश की डीएवीपी, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (13/154/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	मामले का निपटान हो गया
29	श्री तुमुल विजय, संपादक, तुमुल तूफानी, मुरादाबाद, उ.प्र. की नगर पालिका, बिलारी के विरुद्ध शिकायत। (13/128/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	त्वरित भुगतान के लिए प्रतिवादी को निदेश के साथ समाप्त
30	श्री शरद कटियार, संपादक, यूथ इंडिया न्यूज ग्रुप, फर्रुखाबाद, उ.प्र. की श्रीमती मोनिका रानी, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद और डॉ. अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ के विरुद्ध शिकायत। (13/55/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	वापस ले लिया गया
31	श्री अमर सिंह जौहरी, रिपोर्टर, आखिरी कोशिश, पत्रिका, पानीपत की मुख्य सचिव, महानिदेशक, सूचना व जनसम्पर्क विभाग, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत। (13/140/18-19-पीसीआई)	22.01.2021	समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
32	श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फ़ेडरेशन की प्रधान महानिदेशक, पीआईबी, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (12/2020/बी-पीसीआई)	22.01.2021	योग्य न होने के कारण खारिज
33	श्री बी.पी. गौतम, प्रकाशक/पत्रकार, गौतम संदेश, हिन्दी साप्ताहिक, उ.प्र. की श्री राम निवास शर्मा, अपर जिला मजिस्ट्रेट बदायूं के विरुद्ध शिकायत। (13/45/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	वापस ले लिया गया
<b>स्व: प्रेरणा से संज्ञान</b>			
34	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश (रूटीन) संख्या 2430 दिनांकित 30.10.2019 पर स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (13/153/ सुओ-मोटू/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
35	श्री आशीष अवस्थी, संपादक, मीडियाब्रेक, साप्ताहिक समाचारपत्र/न्यूज़ पोर्टल के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज किये जाने पर स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (98/2020/ एसएम/बी-पीसीआई)	22.01.2021	जांच पूरी करने और रिपोर्ट जमा करने के निदेश के साथ कार्यवाही बंद
36	उत्तर-पूर्वी दिल्ली में चल रही सांप्रदायिक हिंसा को कवर करने पर मीडियाकर्मियों पर कथित हमले के संबंध में परिषद द्वारा स्व: प्रेरणा से संज्ञान (44/2020/ एसएम/बी-पीसीआई)	22.01.2021	कार्यवाही बंद-पुलिस द्वारा मामले में जांच की जा रही है।
37	जम्मू कश्मीर में गोलीबारी के दौरान फोटो पत्रकारों को आई चोटों के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (13/167/18-19-पीसीआई)	22.01.2021	फोटो-पत्रकारों के दुर्घटनावश घायल हो जाने के कारण कार्यवाही बंद।

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
38	श्री आशीष राजे, फोटो पत्रकार पर मुंबई पुलिस द्वारा कथित हमले के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञाना (26/2020/एसएम/बी-पीसीआई)	22.01.2021	पुलिस अधिकारियों को अंतिम आदेश पारित करने के निदेश के साथ कार्यवाही बंद
39	सुश्री तोंगम रीना, संपादक, अरुणाचल प्रदेश को ऑनलाइन खतरा होने के संबंध में इंटरनेशनल फ़ेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स द्वारा जारी मीडिया रिलीज़ के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञाना (90/2020/एसएम/बी-पीसीआई)	22.01.2021	पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट होने के कारण कार्यवाही बंद
40	श्री प्रशांत चक्रवर्ती, वरिष्ठ पत्रकार/ महासचिव, त्रिपुरा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स पर हमले के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञाना (207/2020/एसएम/बी-पीसी-आई)	22.01.2021	पत्रकार पर हमला या प्रहार नहीं होने के कारण कार्यवाही बंद
41	चेन्नई पुलिस द्वारा पत्रकार श्री वी. अनबज़हगन की गिरफ्तारी के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञाना (5/2020/एसएम/बी-पीसीआई)	22.01.2021	इस टिप्पणी के साथ, कि सरकार को कोई कार्रवाई करने से पहले तथ्यों पर विचार करना चाहिए था, तथा न्यायाधीन होने के कारण कार्यवाही बंद
42	इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता के विरुद्ध जांच के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञाना (100/2020/एसएम/बी-पीसीआई)	22.01.2021	इस टिप्पणी के साथ, कि पत्रकार को समन करना न्यायोचित था, कार्यवाही बंद

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
43	ओडीशा में कोविड-19 काल के दौरान रिपोर्टिंग करने पर पत्रकारों को निशाना बनाने के विरूद्ध स्व: प्रेरणा से संज्ञाना (186/2020/एसएम/बी-पीसीआई)	22.01.2021	आधारहीन होने के कारण कार्यवाही बंद
44	पत्रकार श्री शुभम त्रिपाठी की शुक्लागंज, उन्नाव, उ.प्र. में हत्या के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञाना (178/2020/एसएम/बी-पीसीआई)	22.01.2021	पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट होने के कारण कार्यवाही बंद
45	“Trivandrum Press Club rocked by attacks on women journos” कैप्शन के अंतर्गत प्रकौ-शित समाचार के संबंध में स्व: प्रेरणा से कार्रवाई (13/180/एसएम/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	न्यायाधीन होने के कारण कार्यवाही बंद
46	पुलिस प्राधिकारियों, मेघालय सरकार के विरूद्ध श्री सी.के. नायक, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद, से प्राप्त पत्र। (2/2020 बी-पीसीआई)	22.01.2021	मेघालय उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर कार्यवाही बंद
47	नई दिल्ली में कारवां पत्रिका के पत्रकारों पर हमले के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञाना (306/सुओ-मोटू/2020-बी-पीसीआई)	22.01.2021	पुलिस के आश्वासन पर कार्यवाही बंद
48	पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी पर अपने पत्रकारिता संबंधी कर्तव्य के लिए हमले के संबंध में स्व:-प्रेरणा से संज्ञाना (77/2020/एसएम-बी-पीसीआई)	22.01.2021	पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट होकर कार्यवाही बंद
49	महाराष्ट्र सरकार के परिशिष्ट दिनांकित 18.4.2020 के संबंध में परिषद द्वारा स्व: प्रेरणा से संज्ञाना(73/2020/एसएम/बी-पीसीआई)	22.01.2021	महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा आदेश वापस लिए जाने पर कार्यवाही बंद

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
50	कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टिंग करने पर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञान । (188/सुओ-मोटू/2020-बी-पीसीआई)	22.01.2021	पुलिस के बयान पर गौर करते हुए कार्यवाही बंद
51	कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टिंग करने पर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञान । (189/सुओ-मोटू/2020-बी-पीसीआई)	22.01.2021	पुलिस के बयान पर गौर करते हुए कार्यवाही बंद
52	कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टिंग करने पर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञान । (190/सुओ-मोटू/2020-बी-पीसीआई)	22.01.2021	पुलिस के बयान पर गौर करते हुए कार्यवाही बंद
53	डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डीसीए-चएल), कोलकाता प्रबंधन के विरुद्ध कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन न देने के आरोप के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (270/2020/एसएम/बी-पीसीआई)	22.01.2021	टिप्पणी के साथ कार्यवाही बंद
54	कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रिपोर्टिंग करने पर हिमाचल प्रदेश में पत्रकारों को कथित तौर पर निशाना बनाने के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञान।(183/सुओ-मोटू/2020-बी-पीसीआई)	22.01.2021	न्यायाधीन होने के कारण कार्यवाही बंद
55	कांकेर, छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हमले के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञान । (एसएम/ओसीटी/1/2020-बी-पीसीआई)	22.01.2021	न्यायाधीन होने के कारण कार्यवाही बंद

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
<b>प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती</b>			
56	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के विरुद्ध प्रेस एसोशिएशन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, आईएनपीसी के महासचिव, फॉरेन करेसपॉण्डेन्ट क्लब, नई दिल्ली के अध्यक्ष की शिकायत। (13/82/19-20-पीसीआई)	16.02.2021	इस संस्तुति के साथ समाप्त, कि वित्त मंत्रालय नये सिरे से मामले की योग्यता/ गुणदोष की जांच करे
57	वित्त मंत्रालय के विरुद्ध श्री अशोक मालिक, अध्यक्ष एनयूजे (इंडिया), श्री मनोहर सिंह, अध्यक्ष, नहनाल जर्नलिस्ट एसोशिएशन, श्री राजीव रंजन नाग, अध्यक्ष, इंडिया फ़ेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, दिल्ली चैप्टर की शिकायत। (13/86/19-20-पीसीआई)	16.02.2021	इस संस्तुति के साथ समाप्त, कि वित्त मंत्रालय नये सिरे से मामले की योग्यता/ गुणदोष की जांच करे

प्रेस के विरुद्ध दर्ज शिकायतों में न्यायनिर्णयों की विषयगत सूची  
(2020-21)

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
<b>सिद्धान्त और प्रकाशन</b>			
1	श्री सुनील गजानन गोडबोले, मुंबई, महाराष्ट्र की संपादक, लोकसत्ता, मुंबई, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (14/486/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
2	श्री सुनील गजानन गोडबोले, मुंबई, महाराष्ट्र की संपादक, लोकसत्ता, मुंबई, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत।(14/132/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	खारिज – योग्य न होने के कारण
3	श्री सुनील गजानन गोडबोले, मुंबई, महाराष्ट्र की संपादक, लोकसत्ता, मुंबई, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत।(14/428/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त– योग्य न होने के कारण
4	श्री मोहम्मद साकिब शब्बीर पठान, सांगली, महाराष्ट्र की संपादक प्रतिध्वनि, सांगली, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (14/174/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	समाचार पत्र द्वारा दिये गये वचनपत्र (अंडरटेकिंग) के आलोक में समाप्त
5	श्री महेश कुमार डुडडी, झुंझुनू, राजस्थान की संपादक, दैनिक अम्बर, झुंझुनू, राजस्थान के विरुद्ध शिकायत। (14/313/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	परिनिन्दा
6	श्रीमती रीवा छहरिया, पूर्व नगर पार्श्व, संगरूर, पंजाब की संपादक, पंजाब केसरी, जालंधर, पंजाब के विरुद्ध शिकायत।(14/331/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	समाचार पत्र द्वारा दिये गये वचनपत्र (अंडरटेकिंग) के आलोक में समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
7	श्रीमती रीवा छहरिया, पूर्व नगर पार्श्व, संगरूर, पंजाब की संपादक, जगबानी, जालंधर, पंजाब के विरुद्ध शिकायत (14/332/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	समाचार पत्र द्वारा दिये गये वचनपत्र (अंडरटेकिंग) के आलोक में समाप्त
8	श्री बृजेंद्र शरण श्रीवास्तव 'गांधी' चेयरमैन, पीपल्स एक्शन जस्टिस फॉर ऑल फाउंडेशन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश की श्री आशीष अवस्थी, ब्यूरो चीफ, दैनिक हिन्दुस्तान, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत (14/89/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	खारिज – योग्य न होने के कारण
9	श्री विजय गोयल, राज्य सांख्यिकी और कार्य-क्रम कार्यान्वयन मंत्री, संसदीय कार्य, नई दिल्ली की संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत (14/437/17-18-पीसीआई)	21.09.2020	खारिज
10	मीडिया सेल, अपराध अन्वेषण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर की संपादक, द संडे गार्डियन, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत (14/56/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	परिनिन्दा
11	श्री बापूसाहेब लक्ष्मण जरदपाटिल, तालुका हवेली, पुणे, महाराष्ट्र की संपादक, सकल, पुणे, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत (14/352/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	शिकायतकर्ता के वर्तन को प्रकाशित करने के लिए समाचार पत्र को निदेश के साथ समाप्त
12	श्री के. रवि कुमार, संस्थापक सचिव, ऐक्या केरल, ग्रंथशाला एवं व्यानशाला, चंगकुलानगरा, केरल की संपादक, मलयाला मनोरमा, कोट्टायम और कोल्लम, केरल के विरुद्ध शिकायत (14/103/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	खारिज - शिकायत भ्रामक

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
13	श्री कमल नाथ, अध्यक्ष, एमपीसीसी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य और संपादक, इंडियन एक्सप्रेस, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (14/254/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त
14	श्री कमल नाथ, अध्यक्ष, एमपीसीसी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य और संपादक, राजस्थान पत्रिका, जयपुर के विरुद्ध शिकायत। (14/255/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त
15	श्री कमल नाथ, अध्यक्ष, एमपीसीसी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य और संपादक, भास्कर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/256/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त
16	श्री कमल नाथ, अध्यक्ष, एमपीसीसी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य और संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (14/257/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त
17	श्री कमल नाथ, अध्यक्ष, एमपीसीसी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य और संपादक, जागरण, भोपाल के विरुद्ध शिकायत। (14/258/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त
18	श्री कमल नाथ, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पीपीसी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य और संपादक, नई दुनिया, कानपुर के विरुद्ध शिकायत। (14/259/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त
19	श्री कमल नाथ, अध्यक्ष, एमपीसीसी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य और संपादक, संध्या प्रकाश, भोपाल के विरुद्ध शिकायत। (14/260/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त
20	श्री कमल नाथ, अध्यक्ष, एमपीसीसी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य और संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (14/261/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
21	श्री प्रशांत सिंह, प्रबंधक/निदेशक, चौधरी जयवीर सिंह महिला शिक्षण संस्थान, कन्नौज, उत्तर प्रदेश की दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/9/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	अखबार को सावधान किया
22	श्री सुभाष झा, अधिवक्ता, मुंबई, महाराष्ट्र की संपादक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (14/640/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	चेतावनी
23	श्री सदानंद. एस. घोदिरिकर, पुणे, महाराष्ट्र की संपादक, लोकसत्ता, मुंबई, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (14/566/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	परिनिन्दा
24	श्री गगन आनंद, अधिवक्ता की हिंदुस्तान के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (1796/2020-ए)	22.01.2021	परिनिन्दा
25	पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली की इंडियन एक्सप्रेस के विरुद्ध शिकायत। (518/2020-ए)	22.01.2021	निदेश के साथ परिनिन्दा
<b>प्रेस और मानहानि</b>			
26	श्री सतबीर सिंह, अधिवक्ता, होशियारपुर, पंजाब की संपादक, दैनिक जागरण, होशियारपुर, पंजाब के विरुद्ध शिकायत। (14/274/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	आधारहीन होने के कारण खारिज
27	श्री सतबीर सिंह, होशियारपुर, पंजाब की संपादक, दैनिक भास्कर, होशियारपुर, पंजाब के विरुद्ध शिकायत। (14/275/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	आधारहीन होने के कारण खारिज
28	सुश्री प्रीति शाह, मुख्य महाप्रबंधक, सीईआरसी और संपादक, ग्राहक साथी, अहमदाबाद, गुजरात की दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/53/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	प्रतिवादी समाचार पत्र द्वारा आश्वासन दिया गया

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
29	श्री विवेक कौशल, होशियारपुर, पंजाब की संपादक और श्री परमिंदर बरियाना, दैनिक भास्कर, होशियारपुर, पंजाब के विरुद्ध शिकायत। (14/341/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	आधारहीन होने के कारण खारिज
30	डा. कृष्ण लाल सेठी, मालिक और चिकित्सक, मानव सेवा हॉस्पिटल एंड सेठी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब की प्रधान संपादक, साप्ताहिक सुखरतनामा न्यूज़पेपर, जिला श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब के विरुद्ध शिकायत। (14/429/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त
31	श्री वी.सागर, सचिव, आईसीएआई, नई दिल्ली की संपादक, द पायनियर, नोएडा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/491/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	खेद व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के लिए समाचार पत्र को निदेश के साथ समाप्त
32	श्री दीपिंदर सिंह, अधिवक्ता, होशियारपुर, पंजाब की संपादक, दैनिक जागरण, होशियारपुर, पंजाब के विरुद्ध शिकायत। (14/263/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
33	श्री दीपिंदर सिंह, अधिवक्ता, होशियारपुर, पंजाब की संपादक, दैनिक भास्कर, होशियारपुर, पंजाब के विरुद्ध शिकायत। (14/264/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
34	डा. पाबक कानूनगो, सचिव, जननमंडल फाउंडेशन, कटक, उड़ीसा की संपादक, द बिस्वास, ओडिया पाक्षिक, ओडीशा के विरुद्ध शिकायत। (14/294/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त
35	डा. अजित सिंह ग्रेवाल, करनाल, हरियाणा की संपादक, दैनिक भास्कर, पानीपत, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत। (14/62/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
36	डा. अजित सिंह ग्रेवाल, करनाल, हरियाणा की संपादक, द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ के विरुद्ध शिकायत। (14/63/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
37	डा. अजित सिंह ग्रेवाल, करनाल, हरियाणा की संपादक, अमर उजाला, करनाल, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत। (14/64/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
38	डा. अजित सिंह ग्रेवाल, करनाल, हरियाणा की संपादक, दैनिक जागरण, पानीपत, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत। (14/219/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
39	डा. प्रसून चक्रवर्ती, अध्यक्ष आई आर एंड ए ए, अगरतला, त्रिपुरा की संपादक, स्यन्दन पत्रिका, बंगाली दैनिक, अगरतला, त्रिपुरा के विरुद्ध शिकायत। (14/128/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	सीबीआई द्वारा मामले की जांच/न्यायाधीन होने से समाप्त
40	श्रीमती अंजु अग्रवाल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/182/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
41	श्रीमती अंजु अग्रवाल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, नवभारत टाइम्स, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/183/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
42	श्रीमती अंजु अग्रवाल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, अमर उजाला, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/184/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
43	श्रीमती अंजु अग्रवाल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/185/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
44	श्री वेदन्तम गिरि, अपर स्थानीय आयुक्त, तेलंगाना भवन, नई दिल्ली की संपादक, आंध्र प्रभा, हैदराबाद के विरुद्ध शिकायत। (14/418/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	खारिज - शिकायत भ्रामक
45	श्री भगवानदीन साहू, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की दैनिक भास्कर, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/354/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	खारिज-योग्य न होने के कारण
46	श्री नरेंद्र लालचंद मेहता, एमएलए, मीरा-भयंदर, थाणे, महाराष्ट्र की संपादक, लक्ष्यधारी, हिंदी साप्ताहिक, थाणे, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (14/252/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	अखबार द्वारा माफीनामा प्रकाशित करने का आश्वासन दिया गया
47	श्री अनिल कुमार, कटिहार, बिहार की दैनिक हिन्दुस्तान, पुर्णिया, बिहार के विरुद्ध शिकायत। (14/193/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	खारिज - शिकायत भ्रामक
48	डा. कमलेश भंडारी, प्रधानाचार्य, पी.एम.बी गुजराती कॉमर्स कालेज, इंदौर, मध्य प्रदेश की संपादक, पत्रिका, इंदौर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत।(14/571/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाप्त
49	श्री हरबंस सिंह संधू, मुंबई, महाराष्ट्र की संपादक, साकिब टाइम्स, मुंबई, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (14/502/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	खारिज क्योंकि शिकायतकर्ता प्रतिवादी द्वारा कहे जाने पर अपना पक्ष रखने के लिए इच्छुक नहीं था
50	श्री राकेश मनोचा, श्री राजेश मनोचा, श्री रमेश मनोचा, जबलपुर, मध्य प्रदेश की संपादक, दैनिक भास्कर, जबलपुर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/220/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	शिकायतकर्ता के वर्तन को प्रकाशित करने के लिए समाचार पत्र को निदेश के साथ समाप्त



क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
51	श्री शिव मोहन सिंह, कार्यकारी अधिकारी और श्री विवेक कुमार गुप्ता, कम्प्युटर ऑपरेटर, (आउटसोर्सिंग) नगर पंचायत समधन, कन्नौज, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत(14/560/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	पत्रकार के खिलाफ अखबार द्वारा कार्रवाई के कारण शिकायत वापस ली गयी
52	श्री नरेन्द्र सिंह यादव, निदेशक, कोमिल सिंह शांति देवी डिग्री कॉलेज, कन्नौज, उत्तर प्रदेश की संपादक, दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत (14/8/19-20-पीसीआई)	21.09.2020	भविष्य में सावधान रहने के लिए अखबार को आगाह किया गया
53	निदेशक, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, ओरियंटल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल, मध्य प्रदेश की संपादक, प्रदेश टुडे, भोपाल, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत(14/708/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	खारिज - शिकायत भ्रामक
54	श्रीमती रितु गढ़वाल, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति बरेली, रायसेन, मध्य प्रदेश की संपादक, आज का संविधान, रायसेन, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत (14/193/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	खारिज - शिकायत भ्रामक
55	श्री दीपक चौधरी, नीमच कैंट, मध्य प्रदेश की संपादक, नई दुनिया, इंदौर, मध्य प्रदेश के विरुद्ध शिकायत (14/297/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	स्पष्टीकरण प्रकाशित करने के निदेश के साथ समाप्त
56	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस मुख्यालय, नंदिनी हिल्स सांबा, जम्मू कश्मीर की स्टेट टाइम्स के मुख्य संपादक तथा ब्यूरो चीफ के विरुद्ध शिकायत (14/381/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	समाप्त
57	श्री मरूफ़, मुरादाबाद, उ.प्र. की मुल्क की सोच के संपादक के विरुद्ध शिकायत (14/370/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
58	श्री संदीप सरदाना, सिरसा, हरियाणा की दैनिक भास्कर, हिसार (हरियाणा) के विरुद्ध शिकायत। (14/247/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
59	श्री संदीप सरदाना, सिरसा, हरियाणा की दैनिक सवेरा टाइम्स, जालंधर (पंजाब) के विरुद्ध शिकायत। (14/248/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
60	श्री संदीप सरदाना, सिरसा, हरियाणा की अमर उजाला, हिसार (हरियाणा) के विरुद्ध शिकायत। (14/249/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
61	श्री संदीप सरदाना, सिरसा, हरियाणा की पल-पल, सिरसा, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत। (14/250/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
62	श्री संदीप सरदाना, सिरसा, हरियाणा की दैनिक सच कहूँ, सिरसा, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत। (14/251/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
63	श्री दर्शन सिंह, अध्यक्ष, संत अत्तर सिंह जी विद्या प्रसार और वैल्फेयर कमेटी, संगरूर, पंजाब की अजित, संगरूर के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14/330/19-20-पी.सी.आई.)	22.01.2021	समाप्त
64	श्री विवेक शुक्ला, महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट अफेयर्स भारत होटल्स लिमिटेड तथा द ललित होटल, नई दिल्ली की दैनिक भास्कर, जयपुर के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14/259/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	परिनिन्दा
65	श्री संजीव परिया, अधिवक्ता, सचिव, बार एसोसियेशन, फर्रुखाबाद, उ.प्र. की यूथ इंडिया, दैनिक संध्या, फर्रुखाबाद उ.प्र. के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14/398/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	समाप्त

क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
66	श्री अवधेश मिश्रा, अधिवक्ता, उ.प्र. की यथ इंडिया, दैनिक संध्या, फर्रुखाबाद, उ.प्र. के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14/384/19-20-पी.सी.आई.)	22.01.2021	समाप्त
67	श्री विजेंद्र कुमार अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, शशि केबल्स लिमिटेड, लखनऊ की दैनिक जागरण, लखनऊ के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14/272/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
68	श्री विजेंद्र कुमार अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, शशि केबल्स लिमिटेड, लखनऊ की अमर उजाला, लखनऊ के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14/273/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	पत्रकारिता के आचरण के मानक का उल्लंघन नहीं होने के कारण खारिज
69	सहायक क्षेत्रीय निदेशक, उ.प्र. परिवहन कार्यालय, आगरा की अमर भारती के विरुद्ध शिकायत। (14/221/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	समाप्त
<b>प्रेस और नैतिकता</b>			
70	डा. एस.के.अरोड़ा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली की संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (14/433/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	भविष्य में सावधान रहने का अखबार को निदेश
71	श्री देव शर्मा, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश की श्री नीरज शर्मा और श्री आनंद वर्मा, दैनिक जागरण के एजेंसी धारकों, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/715/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	एजेंसी धारकों के विरुद्ध समाचार पत्र द्वारा संतोषजनक कार्रवाई करने के कारण समाप्त
72	श्री संजय एस.कांबले, पुणे की लोकमंथन, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (14/296/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	समाचार पत्र द्वारा दिये गये आश्वासन पर समाप्त
73	श्री राम बिलास यादव, अपर सचिव, ग्राम विकास विभाग, देहरादून, उत्तराखंड की श्री हेमन्त कुमार मिश्रा, संपादक/पत्रकार, क्राइम रिव्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14/504/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	संबंधित संपादक/पत्रकार की परिनिन्दा


क्र. सं.	पक्ष	निर्णय की तिथि	निर्णय
74	श्री वकीलुर रहमान खान, संवादाता, प्रभात खबर, हिन्दी दैनिक, पश्चिम चंपारण, बिहार की संपादक और मालिक, प्रभात खबर, मुज्जफ्फरपुर, बिहार के विरुद्ध शिकायत (14/43/18-19-पीसीआई)	21.09.2020	अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण समाप्त
<b>स्व: प्रेरणा से संज्ञान</b>			
75	हिंदुस्तान, नई दिल्ली द्वारा क्लासीफाइड आपत्तिजनक, अश्लील और भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित करने के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (29/2020/एसएम-ए)	22.01.2021	परिनिन्दा
76	हिंदुस्तान, नई दिल्ली द्वारा क्लासीफाइड आपत्तिजनक, अश्लील और भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित करने के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (278/2020/एसएम-बी)	22.01.2021	परिनिन्दा
77	दैनिक भास्कर द्वारा फेक समाचार प्रकाशित करने के संबंध में स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (151/2020/एसएम-ए)	22.01.2021	परिनिन्दा
78	हिंदुस्तान द्वारा पत्रकारिता के मानकों के उल्लंघन के संदर्भ में स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (1900/2020/एसएम-ए)	22.01.2021	परिनिन्दा
79	पत्रकारिता के आचरण के मानकों 19(i) (क) (ख) और 31 (vi) का उल्लंघन करने के संबंध में टेलीग्राफ द्वारा इसके दिनांक 17.03.2020 के अंक में माननीय राष्ट्रपति का व्यंग्यपूर्ण चित्रण तथा सनसनीखेज सुर्खियों का इस्तेमाल करते हुए समाचार के प्रकाशन पर स्व: प्रेरणा से संज्ञान। (149/2020/एसएम-ए)	22.01.2021	निदेश के साथ परिनिन्दा
<b>पेड समाचार</b>			
80	जतिन्दर कुमार, होशियारपुर की दैनिक भास्कर, पंजाब के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14/328/19-20-पीसीआई)	22.01.2021	समाप्त

## न्यायनिर्णयों का आलेख 2020-21



पाद टिप्पणी

- क 1. अनुमोदित (10.53%)
- क 2. अस्वीकृत (33.33%)
- क 3. आश्वासन/निपटान/संशोधन/पुनः जाँच (26.32%)
- क 4. जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन होने/निराधार होने के कारण बंद (29.82%)



पाद टिप्पणी

- क 1. अनुमोदित (20%)
- क 2. अस्वीकृत (37.5%)
- क 3. आश्वासन/निपटान/संशोधन/पुनः जाँच (11.25%)
- क 4. जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन होने/निराधार होने के कारण बंद (31.25%)

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062020-219952  
CG-DL-E-16062020-219952

**असाधारण**  
**EXTRAORDINARY**  
**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)**  
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**  
**प्राधिकार से प्रकाशित**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

---

सं. 1684]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2020/ज्येष्ठ 26, 1942
No. 1684]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2020/JYAISHTHA 26, 1942

---

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**  
**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

**का.आ. 1887(अ).**—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ख) के साथ पठित प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 29 मई, 2021 तक की अवधि के लिए भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित व्यक्ति के नाम को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

व्यक्ति, जो समाचार पत्र के प्रबंधन के कारबार के स्वामी हैं या संचालित करते हैं [धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

1. श्री अशोक कुमार नवरत्न  
प्रबंध संपादक, एनसीआर टुडे, डेली  
5/9, अशोक नगर कालोनी,  
गुलार रोड, अलीगढ़, उ.प्र.-302001  
निवास : मित्रनगर, गुलार रोड,  
अलीगढ़, उ.प्र.-202001.

मध्यम श्रेणी समाचार पत्र

[फा. सं. एम-22011/5/2017-प्रेस (पार्ट-I)]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072020-220591  
CG-DL-E-20072020-220591

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2102]  
No. 2102]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18, 2020/आषाढ़ 27, 1942  
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18, 2020/ASHADHA 27, 1942

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**  
**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2020

**का.आ. 2385 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (6) के अनुसरण में, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), 16 मार्च, 2018 में अधिसूचना संख्यांक का०आ० 1194(अ) तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :—

“3 श्री माधव कौशिक  
उपाध्यक्ष, साहित्य अकादमी,  
मकान संख्या 3277, सेक्टर, 45डी  
चण्डीगढ़-160 047”।

[फा.सं. एम-22011/5/2017-प्रेस-भाग (1)]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. 1194 (अ) तारीख 16 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1788 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2018, का आ. 3267 (अ), तारीख 13 सितम्बर, 2019 और का. आ. 4480 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा संशोधित की गई।

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022021-224974  
CG-DL-E-05022021-224974

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]  
No. 64]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

**सा.का.नि. 102(अ).**—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेस परिषद् (व्यक्तियों के संगमों की अधिसूचना संबंधी प्रक्रिया) नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं.**- इन नियमों में--
  - (क) "अधिनियम" से प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) अभिप्रेत है;
  - (ख) "व्यक्तियों के संगम" से धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्तियों के संगम अभिप्रेत है;
  - (ग) "समिति" से अध्यक्ष द्वारा धारा 8 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 5 के अधीन गठित संवीक्षा समिति अभिप्रेत है;
  - (घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ड) उन शब्दों और पदों जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है।

3. अधिसूचित किए जाने वाले व्यक्तियों के संगम.—प्रथम परिषद के मामले में केन्द्रीय सरकार और किसी पश्चातवर्ती परिषद के मामले में पूर्ववर्ती परिषद का सेवानिवृत्त होने वाला अध्यक्ष, धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन व्यक्तियों के संगमों को अधिसूचित करने के प्रयोजन के लिए, व्यक्तियों के पात्र संगमों से कम से कम दो व्यापक रूप से परिचालित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक प्रकाशन द्वारा दावों को फाइल किया जाना आमंत्रित करेगी।

4. व्यक्तियों के संगम की पात्रता.—नियम 3 के अधीन दावे फाइल करने के लिए पात्र होने के संबंध में, व्यक्तियों के किसी संगम को दावों के फाइल किए जाने की अंतिम तारीख से पूर्व कम से कम छह वर्ष के लिए तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुआ होना चाहिए और तत्पश्चात् निरंतर अपना कारोबार करते रहना चाहिए, और ऐसी सुसंगत विधियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तः प्रमाणित उसके सबूत में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:

परंतु व्यक्तियों के ऐसे संगम के संगम का जापान इसकी सदस्यता को किसी विशिष्ट धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा तक निर्बंधित नहीं करेगा।

(5) दावों की संवीक्षा.—(1) नियम 3 के अधीन व्यक्तियों के संगमों द्वारा फाइल किए गए दावों की ऐसी संवीक्षा समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी जो परिषद् के सदस्य में से अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो किसी भी रीति में ऐसे दावेदार संगमों में से किसी संगम से सहयुक्त नहीं हैं और परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(2) परिषद्, संवीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विचार करने के पश्चात्, समुचित विनिश्चय करेगी और धारा 5 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार व्यक्तियों के संगमों को अधिसूचित करेगी:

परंतु जहां परिषद के विनिश्चय और संवीक्षा समिति की सिफारिशों में अंतर है, वहां ऐसा विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले, संवीक्षा समिति के सदस्यों से भिन्न, कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

[फा. सं.एम-22013/1/2018-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

**प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की  
विषयगत सूची (2020-21)**

क्र. सं.	पक्षकार	रद्द करना/ अस्वीकृत	आदेश की तिथि	स्थिति
1.	प्रकाशन के स्थान के बदलाव की घोषणा की प्रामाणिक प्रति के संबंध में श्री महावीर जैन, प्रकाशक, मरु लहर, पाली राजस्थान की अपील। (मिसिल संख्या 27/57/20-21) (पीआरएबी)	प्रकाशन के स्थान का बदलाव	09.02.2021	समाप्त
2.	श्री सुवशिश चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त, लाइसेंसिंग, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04/07/2020 के विरुद्ध श्री विजय कुमार चोपड़ा, प्रकाशक/मुद्रक/संपादक, पंजाब केसरी (दिल्ली संस्करण) की अपील। (मिसिल संख्या 27/58/20-21) (पीआरएबी)	दिनांकित 13/2/2020 के घोषणापत्र की प्रामाणिकता रद्द कर दी गई	09.02.2021	अपील वापिस ले ली गई
3.	अपर पुलिस आयुक्त, लाइसेंसिंग और विधिक, जयपुर, राजस्थान द्वारा 'वतन प्रेस' की नई प्रिंटिंग इकाई के लिए घोषणा के प्रमाणीकरण को खारिज करने के लिए पारित आदेश दिनांकित 4/01/2021 के विरुद्ध श्री सोमेश शर्मा, प्रकाशक, राष्ट्रदूत, जयपुर, राजस्थान की अपील। (मिसिल संख्या 27/61/20-21) (पीआरएबी)	घोषणापत्र की प्रामाणिक प्रति अस्वीकृत	09.02.2021	अपर पुलिस आयुक्त, जयपुर के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया गया।

## न्यायनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची (प्रेस द्वारा दर्ज मामलों में)

### समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

1. समाचार पत्रों को पैनलबद्ध करते समय, सरकारी विज्ञापनों से संबंधित कार्रवाई करते समय सरकारी प्राधिकारियों को सर्वाधिक पिछड़े जनजातीय क्षेत्र से प्रकाशित किये जा रहे समाचारपत्रों पर विचार करना चाहिए।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/220/18-19-पीसीआई दिनांक 21.9.2020, प्रेस परिषद समीक्षा, अक्टूबर, 2020 अंक)

2. बीट अधिकारी और प्रभागीय अधिकारी से संपर्क संबंधी विवरण उन पत्रकारों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्होंने उचित परीक्षा/जांच के बाद उन पर मंडरा रहे खतरे की सूचना दी है।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/174/18-19-पीसीआई दिनांक 21.9.2020, प्रेस परिषद समीक्षा, अक्टूबर, 2020 अंक)

3. जब किसी पत्रकार पर उसके आलोचनात्मक लेखन के लिए एक आपराधिक अपराध के तहत आरोप लगाया जाता है, तो पुलिस प्राधिकारी उचित समय के भीतर मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/132/19-20-पीसीआई दिनांक 22.1.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, अप्रैल, 2021 अंक)

4. पुलिस प्राधिकरण को अवश्य ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी पत्रकार को उसके वृत्तिक कार्य के लिए न धमकाया जाए।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/20/19-20-पीसीआई दिनांक 22.1.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, अप्रैल, 2021 अंक)

### प्रेस को सुविधाएं

5. हिमाचल प्रदेश सरकार, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए अपनी समूह बीमा योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश पत्रकार योजना, 2017 के नियम 6 के तहत मृत्यु और स्थायी विकलांगता के साथ-साथ दुर्घटना के दौरान लगने वाली चोटों पर भी विचार करेगी।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/5/19-20-पीसीआई दिनांक 21.9.2020, प्रेस परिषद समीक्षा, अक्टूबर, 2020 अंक)

6. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समाचारपत्रों की घोषणा का प्रमाणीकरण, स्वामित्व का प्रमाणीकरण भी माना जाएगा।

(न्यायनिर्णय संख्या 406/2020-पीसीआई दिनांक 21.9.2020, प्रेस परिषद समीक्षा, अक्टूबर, 2020 अंक)

7. आरएनआई समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए, आंकड़ों का रखरखाव सुनिश्चित करेगा क्योंकि समाचार पत्र का पंजीकरण न होने से समाचारों का प्रसार कम हो जाएगा, जो प्रेस की स्वतंत्रता की भावना का उल्लंघन है।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/130/17-18-पीसीआई दिनांक 21.9.2020, प्रेस परिषद समीक्षा, अक्टूबर, 2020 अंक)

8. राज्य सरकार (सरकारों) के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (डीआईपीआर) को सरकारी विज्ञापनों के लिए समाचार पत्र को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अपग्रेड करने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों पर अवश्य विचार करना चाहिए।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/54/19-20-पीसीआई दिनांक 21.9.2020, प्रेस परिषद समीक्षा, अक्टूबर, 2020 अंक)

9. आरएनआई समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते समय, विभिन्न चरणों में विसंगतियों को चिन्हित न करके, एक ही बार में पूर्ण विवरण के साथ विसंगतियों को चिन्हित करेगा।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/23/19-20-पीसीआई दिनांक 21.9.2020, प्रेस परिषद समीक्षा, अक्टूबर, 2020 अंक)

10. सरकारी विभाग, संबंधित समाचार पत्रों को, विज्ञापन बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

(न्यायनिर्णय संख्या 13/128/19-20-पीसीआई दिनांक 22.1.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, अप्रैल, 2021 अंक)

### **स्वप्रेरणा से संज्ञान**

11. विभिन्न विभागों के कर्मियों के भ्रष्ट आचरण से संबंधित कुछ पुस्तकों का प्रदर्शन करने वाले पत्रकार ने किसी भी तरह से, पुस्तक मेले की शांति और सौहार्द को खतरे में नहीं डाला। (न्यायनिर्णय संख्या 5/सूओ/मोटू/2020 दिनांक 22.1.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, अप्रैल, 2021 अंक)

12. लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अर्थात् समाचार पत्रों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न करना, अमानवीय है और स्वस्थ कार्यप्रणाली के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह सीधे तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता और उसके नैतिक मानक को प्रभावित करता है। इसलिए, समाचार पत्रों के मामलों से किसी भी प्रकार जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वे इसे समय पर ठीक करने के लिए सभी प्रयास करें।

(न्यायनिर्णय संख्या 270/सूओ-मोटू/2020 दिनांक 22.1.2021, प्रेस परिषद समीक्षा, अप्रैल, 2021 अंक)

## न्यायनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची (प्रेस के विरुद्ध दर्ज मामलों में)

### सिद्धांत और प्रकाशन

#### सटीकता और निष्पक्षता

1. समाचार पत्र (समाचारपत्रों) को समाचार पत्र में मटका, खेल (गेमिंग) चार्ट और उसके परिणामों को प्रकाशित करके खेल (गेमिंग) की सहायता करने और सुविधा प्रदान करने में शामिल नहीं होना चाहिए।

(न्यायनिर्णय संख्या 14/174/19-20-पीसीआई दिनांक 21.9.2020, प्रेस परिषद समीक्षा अक्टूबर, 2020 अंक)

2. एक समाचार, जिसका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है, उसे सामान्य तरीके से प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।

(न्यायनिर्णय संख्या 14/640/19-20-पीसीआई दिनांक 21.9.2020, प्रेस परिषद समीक्षा अक्टूबर, 2020 अंक)

3. समाचार पत्र (समाचारपत्रों) में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या किसी अन्य रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समाचार रिपोर्ट में तथ्य और आंकड़े सटीक होने चाहिए न कि काल्पनिक।

(न्यायनिर्णय संख्या 14/566/18-19-पीसीआई दिनांक 21.9.2020, प्रेस परिषद समीक्षा अक्टूबर, 2020 अंक)

#### पत्रकारिता में उत्तम आचरण

4. यदि कोई त्रुटि चिन्हित की जाती है, तो संपादक को उस पर उचित ध्यान देना चाहिए और यदि सही पाया जाता है तो संपादक को सही वर्तन मंगवाना चाहिए और उसे उसी प्रमुखता के साथ समाचार पत्र के उसी संस्करण में प्रकाशित करना चाहिए।

(न्यायनिर्णय संख्या 14/352/18-19-पीसीआई दिनांक 21.9.2020, प्रेस परिषद समीक्षा अक्टूबर, 2020 अंक)

### **प्रकाशन-पूर्व- सत्यापन**

5. (i) वे पत्रकार, जो स्वेच्छा से समाचारों/लेखों के स्रोत का खुलासा नहीं करते हैं, वे इसकी सटीकता और प्रामाणिकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे।
- (ii) यदि पत्रकार स्वेच्छा से समाचारों/लेखों के स्रोत का खुलासा करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी और दायित्व स्रोत की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
- (iii) यदि समाचार विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त हुआ है, तो पत्रकारों की जिम्मेदारी तय करने के लिए यह प्रासंगिक विचार हो सकता है।

(न्यायनिर्णय संख्या 518/2020-ए-पीसीआई दिनांक 22.01.2021, प्रेस परिषद समीक्षा अप्रैल, 2021 अंक)

### **प्रेस और नैतिकता**

#### **वृत्तिक कदाचार**

6. पत्रकारों का, किसी को बदनाम करने, परेशान करने या ब्लैकमेल करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अनैतिक है।

(न्यायनिर्णय संख्या 14/504/18-19-पीसीआई दिनांक 21.9.2020, प्रेस परिषद समीक्षा अक्टूबर, 2020 अंक)

